पंचम माला, खंड 23, अंक 6 सोमवार, 26 फरवरी, 1973/7 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 6 Monday, February 26, 1973/Phalguna 7, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 26 फरवरी, 1973/7 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 6, Monday, February 26, 1973/Phalguna 7, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**			
82. चीनी के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति	Declining Trend in Sugar Production	..	1—4
83. कनाडा से गेहूं का आयात	Import of Wheat from Canada	..	4—6
84. वृद्धावस्था पेंशन पर अनुमानित व्यय	Cost of Old Age Pension	..	6—8
86. अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना	Setting up of more Medical Colleges	..	8—11
87. खाद्यान्नों की सप्लाई के लिये बिहार सरकार का अनुरोध	Bihar Government's request for supply of foodgrains	..	12
88. मैसूर राज्य के गेहूं के कोटे में कमी करना	Decrease in wheat quota for Mysore State	..	12—13
93. गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने के लिये गुजरात सरकार की मांग	Gujarat Government's demand for increase in allotment of wheat	..	13—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**			
81. राज्यों में अध्यापकों को परिवार नियोजन का प्रचार-कार्य सौंपना	Job of Family Planning Propaganda entrusted to Teachers in States	..	16—17
85. विश्वविद्यालय स्तर पर तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पद्धति लागू करना	Introduction of Three Year Course at University Level	..	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates thas the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
89. राज्यों द्वारा पारित किये गये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी अधिनियम	Land Ceiling Acts by States ..	18
90. जहाजरानी निगम द्वारा हाल ही में खरीदे जहाजों की मरम्मत पर व्यय	Expenditure on repairs of newly purchased Ships by Shipping Corporation ..	18—19
91. वनस्पति घी में मिलावट	Adulteration in Vanaspati Ghee ..	19
92. न्यूनतम बोनस में वृद्धि करने का चीनी उद्योग पर प्रभाव	Impact of Enhancement of Minimum Bonus on Sugar Industry ..	19
94. गुजरात में मोटे अनाज तथा दालों के मूल्यों में वृद्धि	Spurt in prices of coarse grain and pulses in Gujarat ..	19—20
95. दिल्ली में राशन की दुकानों पर अचानक छापे	Surprise raids on Ration shops in Delhi ..	20
96. रबी की फसल के लिये खाद्यान्न उत्पादन के आपात कार्यक्रम में प्रगति	Progress of emergency food production programme for rabi crop ..	20—21
97. उर्दू भाषा को उचित स्थान देने के सम्बन्ध में कार्यवाही	Steps to give proper place to Urdu ..	21—22
98. कीट नाशक दवाओं का विमानों द्वारा छिड़का जाना	Aerial spray of insecticides and pesticides ..	22
99. खाद्यान्नों के थोक व्यापार को हाथ में लेने के बारे में केरल सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Kerala Government to taking over of Wholesale Trade in Foodgrains ..	22—23
100. डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा सम्बन्धी विधान	Legislation on Rural Service for Doctors ..	23
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
801. स्कूल आफ बुद्धिस्ट फिलास्फी, लेह	School in Buddhists Philosophy, Leh ..	23
802. कार्गिल झंखार सड़क के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Kargil-Zankhar Road ..	23—24
803. सीमा सड़क निर्माण संगठन द्वारा लेह गुड़गुड़ दो मार्ग का निर्माण	Construction of Leh-Gurgur Do Road by B. R. C. O. ..	24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
804. कलकत्ता के निकट दमदम क्षेत्र के निवासियों को हुए पक्षाघात के कारण	Causes of Paralytic Afflictions among the inhabitants of Dum Dum Area near Calcutta ..	24
805. सीमा सड़क निर्माण संगठन द्वारा लेह्-नूबरा मार्ग का निर्माण	Construction of Leh-Noobra Road by BRCO ..	24—25
806. करों, भविष्य निधि तथा लाटरी की वह राशि, जिसका किसी ने दावा नहीं किया है, को समाज कल्याण कार्यों हेतु उपलब्ध करना	Availability of Tax Revenue, Provident Fund and Unclaimed Lottery Money for Social Welfare Work ..	25
807. बिहार में भूमि तथा सिंचाई की दरों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन	Agitation against Increased rate of Land and Irrigation Rates in Bihar ..	25
808. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के लिये पंजीकरण	Registration for Built up Houses by DDA ..	25—26
809. राज्यों को खाद्यान्नों का व्यापार अपने नियंत्रण में ले लेने के लिये सहायता देना	Aid to States for Take over of Grains Trade ..	26
810. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by DDA ..	26
811. दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध वितरण अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्ति	Posts of Milk Distribution Officer and Assistant Milk Distribution Officer in DMS held by Scheduled Castes/ Tribes ..	26—28
812. संसद् भवन के दुग्ध बार में लस्सी, मिल्कशेक तथा आइसक्रीम का बनाया जाना	Preparation of Lassi, Milk Shake and Ice Cream at Milk Bar of Parliament House ..	29—30
813. संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की बिक्री	Sale of DMS Products in Parliament House ..	30—31
814. दिल्ली शिक्षा विभाग में अस्थायी अनुसूचित जनजाति अध्यापक	Temporary Scheduled Tribes teachers in Delhi Education Department ..	31
815. सेंट्रल स्कूलों में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of S. C. and S. T. Employees in Central Schools ..	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
816. दिल्ली के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू करना	Introduction of Revised Pay Scales of Delhi Teachers ..	31—32
817. दिल्ली में पी० जी० टी०में कार्यकर रहे टी० जी० टी० के लोगों को सिलेक्शन ग्रेड से वंचित करना	Denial of Selection Grade to T. G. T. Officiating in P. G. T. in Delhi ..	32
818. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हरियाणा को केन्द्र द्वारा अनुदान तथा ऋणों का दिया जाना	Central Grants and Loans to Haryana for increased Agricultural Production ..	32—33
819. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पंजाब को केन्द्रीय सरकार के अनुदान तथा ऋण	Central Grants and loans to Punjab for increasing Agricultural Production ..	33
820. मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की संस्थाओं को अनुदान	Grants to institutions in Shajapur District, Madhya Pradesh ..	33—34
821. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली स्थित गुरुकुल विद्यालयों को अनुदान	Grants to Gurukul Vidyalayas located in Punjab, Haryana and Delhi ..	34
822. दिल्ली और नयी दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों में अनाज की कमी	Shortage of Cereals in Delhi and New Delhi Fair Price Shops ..	34
823. खुले बाजार में अनाज का उतारा जाना	Unloading of Foodgrain in Open Market ..	34—35
824. सेक्टर 12 आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेदिक चिकित्सालय	Ayurvedic CGHS Dispensary of Sector XII R. K. Puram, New Delhi ..	35
825. ग्रेटर कैलाश भाग-II, नई दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये अनुमति	Permission for Construction of Houses in Greater Kailash, Part II New Delhi ..	35—36
826. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को मकान अलाट करने की योजना	Scheme for Allotment of House to Ex-Servicemen by DDA ..	36
827. आर० के० पुरम०, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों को आगे किराये पर देना	Sub-Letting of Government Quarters in R. K. Puram, New Delhi ..	37

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
828. छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता का उपयोग	Utilisation of Central Loan Assistance to States for Minor Irrigation ..	37
829. लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों की बेदखली) अधिनियम 1971 को लागू करने की तिथि	Date of Commencement of the Public Premises (Eviction of Unauthoritised Occupants) Acts, 1971 ..	37—38
830. राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा में पूरी की गई परियोजनाएं	Projects executed in Orissa under Central Assistance to States ..	38
831. 1973 के अकाल के कारण राजस्थान में सिंचाई कार्य	Irrigation works in Rajasthan due to Famine in 1973 ..	39
832. राजस्थान सरकार द्वारा पानी की निकासी के लिये केन्द्रीय सहायता का अनुरोध	Request from Rajasthan for Central aid to drain out water ..	39
833. पंचायतों को अधिक अधिकार	More Powers to Panchayats ..	39—40
834. तमिलनाडु के लिये उर्वरकों की शीघ्र सप्लाई का अनुरोध	Request for Urgent supply of fertilizer to Tamil Nadu ..	40
835. भारत सेवक समाज के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Commission on Bharat Sewak Samaj ..	40
836. राजधानी में उपभोक्ता वस्तुओं में बड़े पैमाने पर मिलावट	Large Scale Adulteration of Consumable Articles in the Capital ..	40—41
837. दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिये वहां से हटाये गये दुकानदारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Shopkeepers uprooted for Beautification of Jama Masjid Area of Delhi ..	41
839. राष्ट्रीय नेताओं के बारे में टाइम कैपसूल जमीन में गाड़ना	Embedding of Time Capsule in respect of National Leaders ..	41—42
840. कच्छ के बंजर क्षेत्र को हरे क्षेत्र में परिवर्तित करना	Barren Area of Kutch as a Green Area ..	42
841. शहरी सम्पत्ति की सीमा सम्बन्धी विधेयक को पास करने वाले राज्य	Ceiling on Urban Property Bill Passed by States ..	42—43
842. शीघ्र उर्दू शिक्षण केन्द्र	Instant Urdu Teaching Centres ..	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
843. भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बारे में जांच करने की मांग	Demand for Enquiry into working of Bharat Sewak Samaj ..	44
844. वर्ष 1971-72 के दौरान सहकारी समितियों के धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Funds of Cooperative Societies during 1971-72 ..	44
845. वेतन दिवस को मद्यनिषेध लागू करने के बारे में प्रधान मंत्री का सुझाव	Prime Minister's suggestion regarding Enforcement of Prohibition on Pay Day ..	44—45
846. जर्मन जनवादी गणतन्त्र से एक शिष्टमंडल का दौरा	Visit by a Delegation from GDR ..	45
847. अपंग और विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Disabled and Handicapped persons ..	45—46
848. समुद्री डीजल इंजनों का आयात	Import of Marine Diesel Engines ..	46
849. गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजनाओं के लिये नियत की गई निधि का उपयोग	Utilisation of Funds Allocated for Slum Clearance Schemes ..	46—47
850. चीते की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिये सहायता की अपील	Appeal for help to save Tiger from Extinction ..	47
851. कोचीन शिपयार्ड का निर्माण	Construction of Cochin Shipyard ..	47—48
852. जनवरी, 1973 में वनस्पति के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Vanaspati in January, 1973 ..	48
853. सड़कों का निर्माण करने के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistant to Madhya Pradesh for Construction of Roads ..	48—49
854. अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं का आयात	Wheat imported from USA under PL 480 ..	49
855. भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के विकास पर विचार-गोष्ठी	Seminar on Development of Scientific Literature in Indian Languages ..	49
856. शीतलहर के कारण मृत्यु	Deaths due to Cold Wave ..	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
857.	दिल्ली में अपंग लोगों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने वाले संस्थाओं का आम स्तर	General Standard in Institutions Imparting Training and Education to Handicapped in Delhi ..	50
858.	राजस्थान को खाद्यान्नों की सप्लाई के लिये मुख्य मंत्री का अनुरोध	Chief Minister's Request for Supply of Foodgrains to Rajasthan ..	50—51
859.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 151 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	Rs. 151 Crore National Health Scheme for Rural Areas ..	51—52
860.	खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिये उपाय	Measures to Prevent Loss of Foodgrains ..	52
861.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण का खाद्यान्न विक्रेताओं द्वारा विरोध	Foodgrains Dealer's Opposition to Takeover of Wholesale Trade in Foodgrains by FCI ..	53—54
862.	मछली पकड़ने की यंत्रचालित नौकाओं के चालकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Crew of Mechanical Fishing Boats ..	54
863.	पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अनुपात में कमी	Shortfall in Ratio of Females to Males ..	54
864.	शिक्षा नीति में परिवर्तन	Change in Education Policy ..	54—55
865.	मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन फीस) पर प्रतिबन्ध	Ban on Capitation Fee for Admission to Medical Colleges ..	55—56
866.	खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Foodgrains ..	56
868.	गांवों में पेय जल में हैजा के कीटाणु	Cholera Germs in Drinking Water in Villages ..	56—57
870.	भारत में अन्धे होने की घटनायें	Cases of Blindness in India ..	57
871.	दिल्ली की सब्जियों का विषाक्त होना	Delhi's Vegetables Poisonous ..	58
872.	राज्यों में उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains at Fair Price Shops in States ..	58—59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
873. बिहार का खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने को तैयार होना	Bihar ready for taking over Foodgrains Trade ..	59
874. खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण	Taking over of Wholesale Trade in Grains ..	59—60
875. अनाज के व्यापार को नियंत्रण में लेने को विफल करने की कार्यवाही	Sabotage of Grain Trade Take over ..	60
876. डाक्टरों में बेरोजगारी की स्थिति	Unemployment situation among Doctors ..	60
877. चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने तथा केरल के लिये अलग चीनी क्षेत्र बनाने के लिये केरल की मांग	Demand from Kerala for Fixation of Levy Prices for Sugar and Separate Sugar Zone in Kerala ..	61
878. ग्रामीण जनता के लिये सस्ती चिकित्सा सुविधाएं	Cheap Medical Facilities for Rural Population ..	61
879. कृषि पुनर्वित निगम के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा पुनर्वित पोषित कृषि योजनाएं	Agricultural Projects refinanced by International Development Association through Agricultural Refinance Corporation ..	62
880. राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का थोक व्यापार के अधिग्रहण के निर्णय का क्रियान्वयन	Implementation of Decision for Taking over of Wholesale Trade in Food grains by States ..	63
881. दिल्ली की उचित दर दुकानों से गेहूं और आटे का गायब होना	Wheat and Atta vanished from Fair Price Shops in Delhi ..	63
882. घेला सोमनाथ मन्दिर को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking Over of Ghela Somnath Temple ..	63—64
883. मध्य गुजरात के पत्तनों की उपेक्षा	Neglect of Central Gujarat Ports ..	64
884. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कार्यकरण सम्बन्धी गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट	Report of Gajendragadkar Committee on Working of ICAR ..	64
885. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education ..	64—65
886. विदेशों से खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains from Abroad ..	65—66
887. राज्यों में गन्ने तथा चीनी की उत्पादन लागत	Costs of Production of Sugarcane and Sugar in States ..	66—67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
888. खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेने के निर्णय के क्रियान्वयन की लागत	Cost of Implementation of Decision to Take Over Wholesale Trade in Foodgrains ..	67
889. दिल्ली विश्वविद्यालय के निष्कासित विद्यार्थियों के मामलों पर पुनर्विचार	Review of Cases of Rusticated Students of Delhi University ..	68
890. पांच से 18 एकड़ भूमि के स्वामी परिवारों का ब्यौरा	Families Owning Land between 5 and 18 Acres ..	68
891 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में जे० जे० कालोनी की एक महिला की मृत्यु	Death of an old lady of JJ Colony in CGHS Dispensary ..	68—69
892. राजस्थान के कृषकों को सप्लाई की गई श्रीराम यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता	Percentage of Nitrogen in Sri Ram Urea supplied to Farmers of Rajasthan ..	69—70
893. मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, दिल्ली के छात्रों द्वारा सीधी कार्यवाही की धमकी	Direct action threat by the Students Maulana Azad Medical College, Delhi ..	70—71
894. विशाखापतनम् बन्दरगाह पर सुरक्षा कर्मचारियों तथा मजदूरों के बीच विवाद की जांच	Investigations into dispute between Security Personnel and Workers at Visakhapatnam Port ..	71
895. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि	Amount spent for Universities and Colleges by UGC ..	71
896. स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी	English as Optional Subject in Schools ..	72
897. भारत और बंगला देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग समझौता	Indo-Bangladesh agreement on Cultural Co-operation ..	72
898. विदेशों से आयात किये गए खाद्यान्न	Foodgrains Imported from Abroad ..	72—73
899. पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यानों का फिर से आयात करने का प्रस्ताव	Proposal to renew import of Foodgrains under PL 480 ..	73

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
900. राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुसार किसानों के लिये राष्ट्रीय संगठन	National Organisations for farmers as suggested by National Commission on Agriculture ..	73
901. निर्यात और आयात के लिये विदेशों से किराये पर लिये गए जहाज	Ships of Foreign Countries chartered for exports and imports	73
902. भारत तथा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग	National Highway in India and Rajasthan ..	73—74
903. नौवहन समिति का प्रतिवेदन	Report of Shipping Committee ..	74
904. इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 30-1-73 में "ट्रैवलिंग बाई डी० टी० सी० सर्विस नाइटमैरिश" शीर्षक से छपा समाचार	News item under the caption "Travelling by DTC service night marish" appearing in the Indian Express Dt. 30.1.73 ..	74—76
905. स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Health Services ..	76—77
906. दिल्ली के अध्यापकों के वेतन में असंगति	Anomaly is salary of Delhi Teachers ..	77
907. राजस्थान को सप्लाई किये गए खाद्यान्नों की मात्रा	Quantity of Foodgrains supplied to Flat/Plat ..	77
908. दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों/प्लाटों के आंवटन के लिये नाम रजिस्टर कराना	Registration for Allotment of DDA Rajasthan ..	77—78
909. सालारजंग संग्रहालय से चित्रों की चोरी की जांच	Inquiry into theft of paintings from Salarjung Museum ..	78
910. वर्ष 1972-73 में बिहार की उर्वरक की आवश्यकता	Requirements of Supply of fertiliser to Bihar during 1972-73 ..	78—79
911. कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या	Cases of Leprosy ..	79—81
912. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बेकार हो चुकी दवायें बांटने के मामले	DUD Medicines supplied by CGHS ..	81—82
913. आदिवासी किसानों को मोटर पम्प सैटों की मुफ्त सप्लाई	Free supply of Motor pump sets to Tribal Agriculturists ..	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
914.	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण — Nationalisation of Sugar Industry ..	83
915.	डी० टी० सी० के चालकों को कम दिखाई देना — Defective Vision of DTC Drivers ..	83—84
916.	कैंसर का पता लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन — Report of the Cancer Assessment Committee	84—85
917.	क्वार्टरों के आवंटन लिये गत 10 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारी — Government Employees waiting for Allotment of Houses for the Last 10 Years ..	85—86
918.	छात्रों द्वारा नशीले पेयों का प्रयोग — Use of Narcotic Drinks by Students ..	86
919.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क — Demurrage Paid by FCI ..	86—87
920.	छात्रों में असन्तोष — Unrest among Students	87—88
921.	सोयाबीन की खेती करने वाले राज्य — States producing Soyabeans ..	88
922.	खण्डवा-अजमेर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग — Demand for declaring Khandwa-Ajmer Road as National Highway ..	88—89
923.	श्यामलाल चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा ठेकेदार को अधिक भुगतान करना — Excess payment made to Contractor by Shyamlal Charitable Trust, Delhi	89
924.	पटना की गंगापुल परियोजना के नियंत्रण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना — Taking over of Ganga Bridge Project in Patna ..	89—90
925.	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली — Delhi School Teachers Cooperative House Building Seciety, Delhi ..	90
926.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली में कथित अनियमितताएं — Alleged Irregularities in the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society, Delhi ..	90
927.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली — School Teachers Cooperative House Building Society, Delhi ..	91
928.	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली का नक्शा — Lay out Plan of the Delhi School Teachers Cooperative House Building Society, Delhi ..	91—92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
929.	दिल्ली में नये राशन कार्ड जारी करना Issue of new Ration Cards in Delhi ..	92
930.	देश के अस्पतालों में हैक्सा क्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक Ban on use of Hexa-Chlorophene in Hospitals in the country	92—93
931.	शिक्षा विभाग, दिल्ली के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची Seniority list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Education Department, Delhi ..	93
932.	चौथी योजना के दौरान ग्रामीण रोजगारों के द्रुत कार्यक्रमों के लिये मजूरी Sanction for Crash Programme for Rural Employment during Fourth Plan ..	93—94
933.	बारी के बिना क्वार्टरों का आवंटन करने के नियम Rules for out of turn Allotment of Quarters ..	94—95
934.	राजधानी में गेहूं के भाव में वृद्धि Rise in price of wheat in capital ..	95
935.	अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध में ढील Relaxation in inter state Movement of of Foodgrains ..	95—96
936.	नई दिल्ली में मंत्रियों, सचिवों, विशिष्ट व्यक्तियों के बंगलों और सरकारी कार्यालयों में किये गये अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर व्यय Expenditure on Additional Construction in Bungalows of Ministers, Secretaries and V. I. Ps. and Government offices in New Delhi ..	96
937.	डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप IV के सरकारी क्वार्टरों में सफेदी और मरम्मत Repairs and White Washing of Type IV Quarters in DIZ Area ..	96—97
938.	संगम कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, गाजियाबाद की दिल्ली विकास प्राधिकरण को नेशनल बाई पास नं० 24 के बारे में अनुरोध Request from Sangam Cooperative House Building Society Ltd., Ghaziabad to DDA regarding National Byepass No. 24 ..	97—98
939.	दिल्ली में राशन में कटौती Cut in Ration in Delhi ..	98
940.	दिल्ली विश्वविद्यालय में वातावरण Atmosphere in Delhi University ..	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
941. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में संचालन समिति का गठन	Constitution of Governing Body of BHU ..	98--99
942. चीनी के कारखाने तथा उनकी उत्पादन क्षमता	Sugar Mills and their production capacity ..	99
943. बिहार सरकार द्वारा चीनी व्यापार को अपने हाथ में लेना	Sugar Trade in Bihar taken over by State Government ..	100
944. चावल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि	Steep rise in prices of Rice ..	100
945. कृषि विश्वविद्यालयों को पी० एल० 480 निधि से अनुदान	Grants to Agricultural Universities from PL 480 Funds ..	100—101
946. नारियल विकास योजना	Scheme for Coconut Development ..	101—102
947. नारियल के पौधों की रोगों से रोक थाम	Check on Diseases of Coconut Plants ..	102
948. कुष्ठ आरोग्य निवास (सैनिटोरियम)	Leprosy Sanitoria ..	103
949. खरीफ की फसल के दौरान चावल का उत्पादन	Production of Rice during Kharif Crop ..	103
950. गेहूं और चावल के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Power committee on taking over of Wholesale Trade of Wheat and Rice ..	103—104
951. नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिये प्रस्ताव	Proposal for National Open University ..	104—105
952. बेरोजगार डाक्टरों के लिये माडल कोआपरेटिव डिस्पेंसरी स्कीम (आदर्श सहकारी औषधालय योजना)	The Model Cooperative Dispensary scheme for unemployed doctors ..	105
953. गुलबर्ग और बीदापुर को सूखा सम्बन्धी राहत के लिये वित्तीय सहायता की मांग	Demand for Financial aid for drought relief in Gulbarga and Bidapur areas ..	105—106
954. चीनी के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Sugar ..	106
955. 1972-73 के लिये बिहार को चीनी का कोटा	Sugar quota for Bihar for 1972-73 ..	106—107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
956. केन्द्रीय सरकार की पटना में गन्दी बस्ती सफाई योजना	Central Slum Clearance Scheme for Patna ..	107
957. दिल्ली के ट्रक चालकों द्वारा धरना	Dharna by Truck operators in Delhi ..	108
958. उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को गेहूं ले जाने पर रोक	Ban on movement of wheat from Uttar Pradesh to other States ..	108
959. बम्बई का जनसंख्या अध्ययन संस्थान	The Institute of Population Studies in Bombay ..	108—109
960. महाराष्ट्र में मलवान के निकट "रोहिणी" स्टीमर का डूब जाना	Capsizing of Steamer 'Rohini' near Malwan in Maharashtra ..	109
961. चीनी मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sugar Mills ..	109
962. महाराष्ट्र में भुखमरी के कारण हरिजन महिला की मृत्यु	Death of Harijan Woman in Maharashtra due to Starvation ..	109—110
963. 7, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली का आवंटन	Allotment of 7, Safdarjang Road, New Delhi ..	110
964. विदेशों से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains from Abroad ..	110
965. कालेजों में प्रवेश पर प्रतिबंध	Restriction in admission to colleges	110—111
966. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर केन्द्रीय सरकार की सहमति	Central concurrence to Orissa Land Reforms (Amendment) Bill ..	111
967. सागर विश्वविद्यालय में धर्मदा निधि बनाया जाना	Creation of Endowment Fund in Saugar University ..	111
968. मध्य प्रदेश में गल्ले का व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेना	Taking over foodgrains trade in Madhya Pradesh ..	112
969. अनाज के गोदामों की क्षमता बढ़ाना	Increase in Storage capacity of Warehouses of foodgrains ..	112
970. पश्चिम बंगाल का सालबोनी, मिदनापुर में पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध	Request from West Bengal for establishment of Cattle Breeding Centre at Salboni, Midnapur ..	113
971. प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान पुस्तकों का प्रकाशन	Production of Science books in Regional Languages ..	113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
972. जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण अस्पतालों की स्थापना	Establishment of Rural Hospitals in Tribal Areas ..	114
973. जनवरी, 1973 में दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Co-operative Ministers held in January, 1973 in Delhi ..	114—115
974. खेलकूद सम्बंधी राष्ट्रीय नीति	National Sports Policy ..	115
975. राजस्थान के झुंझुनू जिले में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Schemes under Crash programme for rural employment in Jhunjhunu District, Rajasthan ..	115—116
976. बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस, पिलानी को सहायता	Assistance to Birla Institute of Technology and Science, Pilani ..	116
977. पश्चिमी तट के मुख्य पत्तनों के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central grants for Western Coast Major Ports ..	116—117
978. राज्यों में नगरीय तथा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये ऋण दिया जाना	Loan to Urban and Rural Housing Schemes in States ..	117—119
979. परिवार नियोजन के कार्य में प्रगति	Progress of Family Planning ..	120
980. राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता	National Library, Calcutta ..	120—121
981. कलकत्ता पत्तन में भ्रष्टाचार के बारे में प्रकाशित समाचार	Press Report Re : Corruption in Calcutta Port ..	121—122
982. हल्दिया में जहाज बनाने वाले यार्ड का निर्माण	Construction of a Ship-Building Yard in Haldia ..	122
983. ग्रामीण रोजगार योजनाओं में प्रगति	Progress in Rural Employment Schemes ..	122—123
984. पूर्वी भारत में भू सर्वेक्षण	Soil Survey in Eastern India ..	123
985. नेत्रहीन व्यक्तियों को शिक्षा देने वाली दिल्ली की संस्थाओं में आवास सुविधा	Accommodation in Delhi Institution giving education to blind persons ..	124
986. खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, 1954	The Prevention of Adulteration Act, 1954 ..	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
987. देश में रक्त की आवश्यकता	Requirement of Blood in the country ..	125
988. पंजाब में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	National Malaria Eradication Programme in Punjab ..	125—126
989. छोटे तथा सीमान्तक किसानों को सहायता	Aid to Small and Marginal Farmers ..	126—127
990. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के गठन सम्बन्धी नियम	Rules Regarding Setting up of NCERT ..	127
991. राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारी संघ को मान्यता	Recognition of Staff Association of NCERT ..	128
992. छात्र असन्तोष के बारे में उप-समिति की नियुक्ति	Setting up of Sub-Committee on Student Unrest ..	128—129
993. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजपथ	New National Highways in Fifth Five Year Plan ..	129—130
994. मोन्युमेंट असिस्टेंटों की भर्ती	Recruitment to Post of Monument Assistants	130—131
995. ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के वितरण में भेदभाव	Discrimination in Sugar Distribution in Rural Areas ..	131—132
996. शिक्षा के विषय में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच के लिये उप-समिति की नियुक्ति	Setting up of Sub-Committee to Examine Central Responsibility in Education ..	132
997. पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी	Decrease in Wheat Quota for West Bengal ..	132—133
998. निःशुल्क प्राइमरी और मिडिल स्कूल	Free Primary and Middle Schools ..	133—134
999. पश्चिम बंगाल सरकार से गेहूं और चावल की सप्लाई बढ़ाने की मांग	Request from West Bengal Government for increased supply of Wheat and Rice. ..	134—135
1000. पश्चिम बंगाल में 'अमन' धान की उपज	Production of 'Aman' Paddy Crop in West Bengal ..	135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
श्री लंका से भारत मूलक व्यक्तियों का स्वदेश लौटना	Repatriation of persons of Indian Origin from Sri Lanka ..	136—138
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh ..	136
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	136—137
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	138—139
गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित सरकारी निर्णय के बारे में वक्तव्य	Statement re. Government's decision to take over wholesale trade in wheat ..	139—141
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmad ..	139—141
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ..	141
66वां प्रतिवेदन	Sixty Sixth Report ..	141
खान (संशोधन) विधेयक	Mines (Amendment) Bill ..	141
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	141
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 ..	141—142
मध्य प्रदेश में डीजल तेल की कमी	Scarcity of Diesel Oil in Madhya Pradesh ..	141—142
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address ..	142
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha ..	142—143
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी	Shri Y. Easwara Reddy ..	143
श्री एन० श्री कांतन नायर	Shri N. Sreekantan Nair ..	143—144
श्री आर० वी० स्वामीनाथन्	Shri R. V. Swaminathan ..	145—146
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim ..	146—148
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah ..	148—149
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar ..	149
श्री शंकर देव	Shri Shanker Dev ..	149—150
श्री एस० बी० गिरि	Shri S. B. Giri ..	150—151

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	..	151
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	..	151—154
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav		154—156
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	..	156—157
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni		157—158
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M. M. Joseph		158—159
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	..	159—160
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	..	160—161
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudhra Pratap Singh	..	161—162
महाराष्ट्र में नई रेल परियोजनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement re. New Railway Projects in Maharashtra	..	162—163
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	..	162

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 26 फरवरी, 1973/7 फाल्गुन, 1894 (शक)
Monday, February 26, 1973/Phalguna 7, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति

*82. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादन में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों में चीनी का उत्पादन गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने, गन्ने के स्थान पर गुड़ और खण्डसारी तैयार करने, अत्यधिक वर्षा होने, कुछेक स्थानों में बाढ़ें आने और अन्य स्थानों में सूखा पड़ने जैसी दैवी विपदाओं से गन्ने की फसल को हानि पहुंचने में कमी हुई थी लेकिन चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से चीनी के उत्पादन में वृद्धि होनी शुरू हो गई है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : I want to know whether this shortfall is due to decline in the cane production and whether the decline in the cane production is due to the fact that the people are giving more importance to production of food grains than to cane production or whether it is also because of the fact that some of the sugar mills have been closed ?

Prof. Sher Singh : I have already told that the decline in the sugar production is due to shrinkage in the area under cane production. The other reason is that the people have started producing food grains. There are very few mills which have been closed. Some mills are not working properly and some areas have been affected as a result of that.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I want to know the various measures Government

have adopted to augment production and to achieve the target of 36 lakh tonnes of production, which was 31-32 lakh tonnes last year ?

Prof. Sher Singh : The hon. Member is correct in saying that the production of sugar last year was 31-32 lakh tonnes. But this year we have given some incentive, we have given rebate and have raised the price. As a result, the sugar production upto the 15th February has been 3lakh 40 thousand tonnes more. We expect the production to be upto 36 lakh tonnes this year.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या खांडसारी और गुड़ का उत्पादन अधिक होने का मुख्य कारण गन्ने के मूल्य का कम होना है और यदि हां, तो क्या गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है और, यदि हां, तो उक्त मूल्य वृद्धि गत वर्ष और इस वर्ष की तुलना में कितनी है ?

प्रो० शेर सिंह : इस वर्ष गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक हैं और आंशिक नियंत्रण की नीति के कारण देश के विभिन्न भागों में अधिक मूल्य दिये जा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आंशिक नियंत्रण के बाद, गत वर्ष और इस वर्ष के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

प्रो० शेर सिंह : मैं इस बारे में उल्लेख कर चुका हूं । गत वर्ष की तुलना में न्यूनतम सांविधिक मूल्य 20 प्रतिशत अधिक हैं ।

Shri R. P. Yadav : I want to know whether the hon. Minister is aware of the fact that there is collusion between the officers of the mills and the cart drivers as a result of which higher number of carts are shown in records than are actually delivered and the payments made are more. As a result, the mills are incurring losses.

I want to know what action is being taken to avoid it ?

Prof. Sher Singh : I could not understand what actually the hon. Member wanted to say. The mills are not running in losses. Generally, they are making profits. In case there is some complaint like this, the hon. Member may send it to us and we will forward it to the state concerned.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated in reply to a question that some mills are not working properly. I want to know whether they are old mills or new ones. I also want to know the measures Government have adopted for those mills which have not been working properly ? My second question is about a Cooperative Mill which was opened at Marera about two years back. It has been lying closed for quite some time. About 200 employees of the Mill have been retrenched. Some complaints have been received in this connection. Central Government have been approached to remove these difficulties. The persons sent from here are not doing anything. I want to know what action Government is going to take in this connection ?

Prof. Sher Singh : I want notice in this regard.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that some Mills have not been working properly. I want to know what action Government are going to take in this regard ?

Mr. Speaker : It is a very general question.

Prof. Sher Singh : Some mills have not been working properly due to shortage of sugar cane. There may be some other reasons for it also. I want a notice to give information in this regard.

Shri Achal Singh : I want to know whether the requirement of the country will be met by the present sugar production ?

Prof. Sher Singh : Yes. The persent sugar production is enough to meet our present requirement. We will have a surplus stock of about 6 lakh tonnes in October.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हमारी आवश्यकता 40 लाख टन से अधिक की है और और गत वर्ष इसकी कमी नहीं थी। आंध्र प्रदेश में सहकारी कारखाने गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार उन्हें ऐसा करने से रोकती है। सरकार गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देकर सहकारी कारखानों को अधिक गन्ना प्राप्त करने में कैसे सहायता दे सकती है, जिससे वे अधिक चीनी का उत्पादन कर सकें ?

प्रो० शेर सिंह : मैं इस बारे में राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि राज्य सरकार सहकारी कारखानों को गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने से क्यों रोक रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ने से चीनी निकलने के आंकड़ों में लगातार 30 प्रतिशत तक का हेर-फेर किया जाता है, सरकार ने वसूली आंकड़ों की सत्यता के परिवीक्षण के लिये जिन उत्पादन शुल्क इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है उन उत्पादन शुल्क इंस्पेक्टरों को वापिस बुलाने के क्या कारण हैं ? वसूली आंकड़ों को आजकल बहुत घटाया जा रहा है।

प्रो० शेर सिंह : यह प्रश्न वित्त मंत्री से किया जा सकता है क्योंकि मुझे उत्पादन-शुल्क इंस्पेक्टरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बारे में आपकी अनुमति चाहता हूं। चीनी के उत्पादन में कमी हुई है। मेरा यह विचार है कि वसूली चीनी की प्रतिशतता वास्तव में 10.5 थी जिसे 8.2 दिखाया गया है। वे इंस्पेक्टर ऐसे आंकड़े दिखाने से रोकते थे। अतः उनको हटा कर यह रोक हटा ली गई है और उन्हें स्वयं मूल्यांकन के अवसर प्रदान कर दिये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप वसूली आंकड़ों में भारी फेर-बदल किया गया है और इसी कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई है। क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह तथ्य नहीं है ?

प्रो० शेर सिंह : गन्ने से चीनी निकालने के प्रश्न पर हम अलग से विचार कर सकते हैं। उत्पादन-शुल्क इंस्पेक्टरों द्वारा कुल उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। उन्हें तो उत्पादन शुल्क वसूल करना होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि चीनी का उत्पादन, गन्ने से चीनी की वसूली और इन आंकड़ों की यर्थाथता से सम्बन्धित है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री कुछ तथ्य छिपा रहे हैं। इस मामले में भारी भ्रष्टाचार होता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि वसूली के आधार पर भुगतान किया जाता है। वास्तविक स्थिति यह है कि यदि वास्तविक वसूली 10 प्रतिशत होती है तो उसे 8 प्रतिशत दिखाया जाता है और बाकी चीनी काले बाजार में बेची जाती है। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० गिरि : चीनी के स्थान पर खांडसारी का उत्पादन इसलिये किया जा रहा है कि ऐसा करने से उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल रहा है। अतः क्या सरकार चीनी और गन्ने के

बिक्री मूल्य को जोड़ेगी जिससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की सप्लाई खांडसारी निर्माणकर्ताओं को न कर चीनी मिलों को करने में प्रोत्साहन मिले ?

प्रो० शेर सिंह : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister is trying to evade the question. The Government has taken 20 crores of rupees from mill owners.

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य का आरोप बिल्कुल निराधार है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : He is deliberately not answering the question.

कनाडा में गेहूं का आयात

*83. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा से लगभग 150 लाख बुशल गेहूं खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) कनाडा से गेहूं भारत कब तक पहुंच जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कनाडा से 17 एम० बुशेल (4.68 लाख मी० टन) की एक मात्रा खरीदी गई है ।

(ख) लागत तथा भाड़ा आधार पर कुल 37.69 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है ।

(ग) यह सारी मात्रा भारतीय बन्दरगाहों पर जून, 1973 तक पहुंच जाने की आशा है ।

Shri Shrikishan Modi : We had to purchase wheat from Canada due to serious famine conditions prevailing in India, but the wheat will arrive by the end of June. Our local crops will be available by April. Who is responsible for placing the orders late and not getting the wheat by March ? I do not understand why the Government was not able to foresee the impending serious famine conditions ?

I also want to know when the first, second and the last consignments of wheat will be reaching here ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : शायद मैंने जो कुछ कहा है वह माननीय सदस्य समझ नहीं सके । मैंने यह कहा था कि गेहूं की पूरी मात्रा जून के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि गेहूं का जून से आना आरम्भ होगा । वास्तव में 20 फरवरी तक लगभग दो लाख टन गेहूं और माइलो भारतीय पत्तनों पर पहुंच चुका था । 71 जहाजों की व्यवस्था की गई है जो उन देशों से गेहूं लायेंगे जिन देशों से गेहूं खरीदा गया है और स्वभावतया अन्तिम जहाज गेहूं लेकर जून तक पहुंच जायेगा ।

Shri Shrikishan Modi : I want is know whether the wheat purchased from Canada is more costly or cheaper as compared to the wheat purchased from other countries ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कनाडा, अर्जेनटाइना और अमरीका से गेहूं खरीदा गया है। कनाडा के गेहूं का मूल्य 90.57 डालर से 97.136 डालर प्रति टन जहाज तक निःशुल्क था। अर्जेनटाइना के गेहूं का मूल्य 96.35 डालर जहाज तक निःशुल्क था। अमरीकी गेहूं का मूल्य 99 से 106.25 डालर के बीच था। चूंकि उक्त खरीद विभिन्न अवधियों में की गई है अतः इसका औसत मूल्य लिया गया है।

Shri Shrikishan Modi : The hon. Minister has simply mentioned the prices. He has not indicated whether the wheat had been purchased at high prices or low prices.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ये वाणिज्यिक खरीदें हैं। खरीद मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर निर्भर करता है।

श्री एस० बी० पाटिल : माननीय मन्त्री ने अभी जहाज तक निःशुल्क मूल्य के बारे में बताया। उपभोक्ता के लिये बिक्री मूल्य कितना होगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चूंकि उपभोक्ता को बिक्री मूल्य में राज सहायता दी जाती है, अतः उपभोक्ता के लिये इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि गेहूं बाहर से खरीदा जाये अथवा अपने ही देश में गेहूं की वसूली की जाये। 78 रुपये प्रति क्विन्टल का समान बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया है। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि जहाज तक निःशुल्क मूल्य क्या है और भाड़ा 15 डालर प्रति टन होगा। राज सहायता के बारे में विचार किया जायेगा। अन्तिम हिसाब उपलब्ध होने पर हम इस सम्बन्ध में आंकड़ों का पता लगायेंगे।

श्री फतेह सिंह राव गायक वाड़ : क्या सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि यदि उक्त गेहूं का आयात जल्दी किया गया होता, तो हमें गेहूं का मूल्य कम देना पड़ता और कि हमें गेहूं का क्रयादेश देने में भी देरी हुई ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह प्रश्न उठाने के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम अगस्त अथवा सितम्बर में गेहूं नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उस समय हमारे पास गेहूं का बड़ी मात्रा में स्टाक जमा था। यदि महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर में सितम्बर अक्तूबर के दौरान सूखा नहीं पड़ता तो गेहूं के आयात की बिल्कुल आवश्यकता न होती। अतः यह कहना उचित नहीं है कि हमने गेहूं के आयात में विलम्ब किया। अन्य देश इस बारे में पहले ही निर्णय ले लेते हैं क्योंकि उनके खेती और कटाई के मौसम भिन्न भिन्न हैं। चूंकि उनका कटाई का मौसम जून से अगस्त तक था अतः उन्होंने इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत सावधानी से विचार किया है।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि कनाडा से गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय दर पर खरीदा गया था। इस बात पर निर्णय करते समय कि कनाडा द्वारा निर्धारित मूल्य उचित है क्या सरकार ने चीन और रूस द्वारा कनाडा को दिये जाने वाले मूल्य से इसका मुकाबला किया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कोई भी सरकार उस मूल्य को सरकारी तौर पर नहीं बताती जिस मूल्य पर वह खरीद अथवा बिक्री करती है। हमने ये आंकड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारे यहां लोकतन्त्रात्मक प्रणाली है और हम सदन की इच्छाओं का आदर करते हैं। सामान्यतया मूल्य बताने की प्रक्रिया नहीं है। अतः हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम यह पता लगा सकें कि अन्य देशों ने किस मूल्य पर गेहूं की खरीद की। इसके अतिरिक्त, अगस्त-सितम्बर, अक्तूबर से

मूल्यों में वृद्धि हो रही है। उक्त देशों ने जिन महीने में खरीद की है उसके अनुसार मूल्यों का भुगतान किया है। यदि वे खरीद जल्दी करते तो उन्हें सस्ते दामों पर गेहूं उपलब्ध होता यदि वे बाद में खरीदते तो उन्हें गेहूं मंहगा पड़ता।

वृद्धावस्था पेंशन पर अनुमानित व्यय

*84. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि केन्द्र और राज्यों की उचित वित्तीय क्षमताओं के अन्तर्गत भारत में वृद्धावस्था पेंशन पर कितना व्यय होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख). वृद्धावस्था पेंशनें कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने गैर-योजना बजटों में से दी जाती हैं। लगभग 1,50,000 व्यक्तियों को पेंशनें प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के वित्तीय सामर्थ्य के भीतर इस कार्यक्रम की कोई महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव नहीं है। सरकार बच्चों सम्बन्धी सेवाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना तथा इनके लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहती है।

श्री बी० वी० नायक : विश्व भर के सभी समाजवादी देशों में वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था की जा चुकी है। स्केंडीनेवियाई देशों में यह दर 700 से 800 क्राऊन प्रतिमास हो सकती है— (**व्यवधान**) हम अपने देश को समाजवादी देश कहते हैं। जबकि वृद्धावस्था पेन्शन को सामाजिक सुधार का एक अंग स्वीकार किया जा चुका है और यदि यह प्रश्न वृद्ध तथा युवक में अन्तर करने का है, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों जैसे अन्य वर्गों को पेन्शन देने का भी कोई आधार नहीं है ? जब वृद्ध तथा युवक के मध्य अन्तर करने का प्रश्न उठता है तो यही बात सामने आती है। क्या यही सिद्धान्त देश के उन पेन्शन भोगी वर्गों पर लागू नहीं होता जोकि देश में महत्वपूर्ण तथा प्रभावी अल्पमत में विद्यमान हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : यह महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक वर्ग है। सरकार का यह विश्वास है कि यदि हमारे पास संसाधन हों तो प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। परन्तु यदि साधन सीमित हों, तो फिर कतिपय प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना ही पड़ता है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि बच्चों की देख-भाल के लिये हम यथा संभव तथा यथाशक्ति प्रयास करें। इसी कार्यक्रम पर हम बार-बार जोर देते आ रहे हैं। यदि हम इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर भी अनुमान लगाते हैं, तो इसपर लगभग 525 करोड़ रुपये का खर्च आता है। वृद्धावस्था पेन्शन कार्यक्रम के लिये इतनी राशि तो चाहिये ही। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सीमित संसाधनों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि एक छोटा सांकेतिक कार्यक्रम अपनाने की बजाय, हम बच्चों के लिये एक व्यापक कार्यक्रम अपनायें और फिर ज्यों-ज्यों हमारी संसाधन स्थिति सुधरेगी हम निश्चय ही वृद्धावस्था पेन्शन लागू करेंगे।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का यह अर्थ लिया है कि सामाजिक

सुधार के रूप में वृद्धों की देख-भाल तथा बच्चों की देख-भाल परस्पर पृथक बातें हैं तथा वे एक दूसरे की पूरक नहीं हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते, तो हम उन्हें परस्पर अनुपूरक ही रखते । दुर्भाग्य से हमारी संसाधन-स्थिति ऐसी ही है जिसके बारे में सभा पूरी तरह जानती है ।

Shri B. S. Bhaura : The list pertaining to old age pensions in the states is so long that many people generally, pass away till they reach the priority and a decision is taken after they are dead. A number of such cases are in my notice. May I know whether the Government are going to have a scheme to finance the states so as to enable the people to get their pension in time ?

Prof. S. Nurul Hasan : Hon. Member's question perhaps pertains to the Government employees, whereas the main question was quite different. I do not know the pension rules pertaining to the Government employees. The hon. Members question was regarding granting pensions to all those who are old and particularly who have no money to take care of themselves. It did not concern the Government employees.

श्री राम सहाय पाण्डे : क्योंकि हमारा देश एक समाजवादी राष्ट्र है तो क्या पेन्शन, जिसे कि मंत्री महोदय कहते हैं कि संसाधनों की कमी तथा वृद्धों की संख्या अधिक होने के कारण प्रदान नहीं कर सकते, के अतिरिक्त क्या कोई ऐसी योजना सोची जा रही है जिसके द्वारा वृद्धों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता अथवा इसी प्रकार की कोई सहायता देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके क्योंकि ये बातें पेन्शन से सर्वथा भिन्न हैं ? आखिर हम सबको भी तो एक दिन बूढ़े हो जाना है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य शायद निःशुल्क चिकित्सा सहायता के बारे में कह रहे हैं ।

Mr. Speaker : Give them such a medicine as may not let them become old.

श्री भागवत झा आजाद : इस योजना की आवश्यकता को स्वीकारने वाले तथा यह बताने वाले कि उक्त योजना पर 500 करोड़ से कुछ अधिक राशि खर्च होगी, मंत्री महोदय के वक्तव्य से प्रोत्साहित होकर, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अच्छे दिन आने के बाद, जबकि उनके पास कुछ संसाधन होंगे, इस योजना को अंशों में सांकेतिक रूप में ही लागू करेंगे ? सरकार के विचार से इस पेन्शन व्यवस्था के बारे में क्या सम्भावनायें हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें पहले ही कदम उठा चुकी हैं, जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का यही अर्थ है कि राज्य सरकारें समाज में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपने दायित्व के बारे में सजग हैं । यदि कुल संसाधन-स्थिति कुछ अच्छी होती तो निस्सन्देह ही इस योजना को लागू करने में आगे कदम बढ़ाया जाता । परन्तु दुर्भाग्य से, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे । अलबत्ता यह सच नहीं है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है । अनेक राज्य सरकारें अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ कर रही हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अन्य कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को आरम्भ कर दिया है परन्तु पेन्शन की राशि केवल 20 रुपये ही रखी है । क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कोई राज्य सहायता देगी ताकि वे अपनी योजना जारी रख सकें अन्यथा राज्य सरकारें धन की कमी के कारण इसे बन्द करने जा रही हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, योजना आयोग ने पांचवीं योजना में व्यय का हिसाब लगाते समय अभी तक यह नहीं स्पष्ट किया कि केन्द्रीय क्षेत्र के लिये तथा राज्य क्षेत्र के लिये कितनी-कितनी व्यवस्था की गई है। इसलिये जब मैंने यह कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को उच्च प्राथमिकता देना संभव न होगा तो .....

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न तो भिन्न था। कुछ राज्य सरकारों ने यह योजना पहले से ही चालू कर रखी है और वे 20 रुपये की थोड़ी-सी राशि दे रहे हैं। सही स्थिति यह है कि वे धनाभाव के कारण, केन्द्रीय सहायता के बिना इसे जारी रखने में असमर्थ हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न को भलीभांति समझ गये हैं तथा वह उसका उत्तर दे रहे थे.....

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं वस्तुतः यह बात स्पष्ट कर रहा था कि यदि हमारे पास कोई ऐसी योजना होती तो अवश्य ही हम सहर्ष राज्य सरकारों को सहायता देते, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हमारी तो कोई ऐसी योजना ही नहीं है और जब हमने अपना हिसाब-किताब लगाया तो अनुभव किया कि पांचवीं योजना में वर्तमान संसाधनों को देखते हुए इसको व्यवस्था करना संभव नहीं हो सकेगा।

अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना

\+

*86. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों में प्रवेश की वार्षिक भरती क्षमता में असंतुलन को दूर करने के लिए अगले योजना काल के दौरान और अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन राज्यों की, जिनमें मेडिकल कालेजों की संख्या कम है, उन राज्यों के बराबर लाया जा सके जिन राज्यों में मेडिकल कालेजों की संख्या आवश्यकता से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समय देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में सीटों की कुल संख्या कितनी है और देश की कुल जनसंख्या से इसका अनुपात क्या है और इस अनुपात के अनुसार कितने लोगों के पीछे एक सीट उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितने मेडिकल कालेज खोले जायेंगे, इस प्रश्न पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

(ग) देश में इस समय 99 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 12,000 छात्र भर्ती किये जा सकते हैं।

1961 की स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति ने जिसके अध्यक्ष डा० ए० एल० मुदालियर थे आने वाले कुछ समय के लिये देश के लिये एक आदर्श प्रतिमान सुझाया था, जिसके अनुसार 50 लाख की आबादी के लिये एक सौ सीटों वाला एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका

अर्थ हुआ 50,000 की आबादी के लिये एक मेडिकल सीट। चूंकि कुछ मेडिकल कालेज प्रतिवर्ष एक सौ से अधिक छात्रों को दाखिला देते हैं, अतः सीट और आबादी का वर्तमान राष्ट्रीय अनुपात लगभग 1:45,000 है जो मुदालियर समिति की सिफारिश की अपेक्षा अच्छा है।

श्री आर० के० सिन्हा : मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं दिया गया कि "...और अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन राज्यों को, जिनमें मेडिकल कालेजों की संख्या कम है, उन राज्यों के बराबर लाया जा सके जिन राज्यों में मेडिकल कालेजों की संख्या आवश्यकता से अधिक है।"

केवल बड़े बड़े महानगरों में ही अधिकाधिक मेडिकल कालेज खोलने की अधिक प्रवृत्ति रही है ताकि नगरों के लोग लाभान्वित हो सकें। मुझे इससे ईर्ष्या नहीं है। परन्तु ग्रामीण जनसंख्या वाला विशाल क्षेत्र इस संबंध में उपेक्षित रखा जा रहा है। क्या यह मंत्रालय यह सोचता है कि देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिये भी कोई योजना होनी चाहिये तथा इसे भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये ?

श्री ए० के० किस्कू : पिछली चार योजनाओं की अवधि में मेडिकल कालेजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है...

एक माननीय सदस्य : कितनी ?

श्री आर० के० सिन्हा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेडिकल कालेजों के अभाव वाले राज्य...

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ सब्र कीजिये।

श्री ए० के० किस्कू : समूचे तौर पर स्थिति यह है कि जब कि 1950-51 में केवल 30 मेडिकल कालेज ही थे जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 2500 थी, अब हमारे पास 99 मेडिकल कालेज हैं जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 12000 है।

हमें पता है कि कुछ राज्यों में इनकी कमी है तो कुछ राज्यों में आवश्यकता से कुछ अधिक मेडिकल कालेज हैं और सरकार इस संबंध में विचार कर रही है परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संबंधी स्टीयरिंग ग्रुप ने कहा है कि वार्षिक प्रवेश-क्षमता में वृद्धि को देखते हुए पांचवीं योजना के दौरान कोई नया मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार इस सारे मामले पर विचार कर रही है तथा उसे ग्रामीण जनसंख्या का भी बहुत ख्याल है और हम पिछड़े क्षेत्रों में काफी संख्या में डाक्टर भेज रहे हैं एवम् सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री आर० के० सिन्हा : मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि कतिपय क्षेत्रों में कमी है। परन्तु दूसरी ओर वह कहते हैं कि यह सिफारिश भी की गई है कि और नये मेडिकज कालेज खोले ही नहीं जाने चाहिये। मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये ही आपके 50 लाख की जनसंख्या के पीछे एक मेडिकल कालेज के हिसाब से, पूरे 12 मेडिकल कालेज होने चाहिये। उस क्षेत्र में मेडिकल कालेजों का अभाव है। 125 लाख जनसंख्या वाले फैजाबाद डिवीजन में एक भी मेडिकल कालेज नहीं हैं। और यह केवल किसी एक डिवीजन की बात नहीं बल्कि सारे देश में ही ऐसी स्थिति है। इस प्रश्न पर विचार करते समय सरकार क्या यह बात ध्यान में रखेगी कि सरकार

दिल्ली, मद्रास जैसे महानगरों के नये छात्रों के लिए तो इतने अधिक मेडिकल कालेजों की व्यवस्था कर रही है परन्तु ग्रामीण जनसंख्या की उपेक्षा की जा रही है ?

श्री ए० के० किस्कू : राष्ट्रीय मानदण्ड 50,000 लोगों के लिए एक कालेज का है परन्तु जैसा कि मैंने कहा समूचे तौर पर इसमें वृद्धि हुई है और अब यह अनुपात 1: 45,000 का है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों में भी कमी है। तथापि इस सारे मामले पर सरकार विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में जितना शीघ्र हो सके पर्याप्त संख्या में डाक्टर पहुंचायें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : चौथी योजना का लक्ष्य 13,000 छात्र प्रतिवर्ष था। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह केवल 12,000 है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कमी क्यों है ? ग्रामीण लोगों की डाक्टरों संबंधी आवश्यकताओं को वह कैसे पूरा करेंगे ? ऐसे बहुत से ग्रामीण हैं जिन्होंने कभी दवायें ही नहीं ली हैं, बल्कि उन्होंने तो डाक्टरों की शक्ल भी नहीं देखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे ग्रामीण जनता को किस प्रकार अधिक चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे ?

श्री ए० के० किस्कू : ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाक्टर भेजने की सारी समस्या पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और इसके लिये हम उपाय खोजने में लगे हुए हैं। प्रवेश देते समय, अधिकांश राज्यों में एक बांड भरवाया जाता है, तथा कुछ राज्यों ने तत्सम्बन्धी उपयुक्त कदम भी उठाये हैं। यह विशिष्ट बात मैं यहां कहना चाहता था ताकि हम और अधिक डाक्टर भेज सकें। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा, चिकित्सा शिक्षा के समूचे प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम जानना चाहते हैं कि फरीदाबाद स्थित गुरुगोविन्द सिंह मेडिकल कालेज का क्या हुआ ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : और सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज के बारे में भी (**व्यवधान**) मेरा भी एक प्रश्न है। इसलिये मैं उठा हूं श्रीमन्।

श्री मनोरंजन हाजरा : मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश के समय हम देखते हैं कि उनके पास अपेक्षित अंक प्रतिशतता होते हुए भी उन्हें प्रवेश पाने का कोई अवसर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है ?

श्री ए० के० किस्कू : मुझे विश्वास है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश अत्यन्त कड़ी प्रतियोगिता के बाद मिलता है। यद्यपि न्यूनतम पास अंक 45 प्रतिशत हैं, प्रत्येक राज्य ने प्रवेश के लिये संबंधित स्तर पर न्यूनतम अंक निर्धारित कर रखे हैं तथा सर्वाधिक पात्र तथा योग छात्रों को अवश्य ही अवसर मिलता है।

श्री पी० आर० शिनाय : 99 मेडिकल कालेजों में से अधिकांश कालेजों का संचालन गैर सरकारी एजेन्सियों के हाथों में है। ये गैर सरकारी मेडिकल कालेज ऊंची दरों पर शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य दान प्राप्त करके ही कुशलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन गैर सरकारी मेडिकल कालेजों को उदारतापूर्वक अनुदान देने की कोई योजना तैयार की है ताकि ये कालेज ऊंची दरों पर शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य दान लेना छोड़ दें।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस समय गैर सरकारी मेडिकल कालेज चलाने वाले संस्थान कैपीटेशन फी तथा दान वसूल करते हैं। हम इस प्रक्रिया को

समाप्त करना चाहते हैं। हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है और यदि आवश्यक हुआ तो हम इसके लिये कानून भी बना देंगे।

श्री पी० आर० शिनाय : सरकार से अनुदान मिले बिना वे कैपीटेशन फी आदि लेना कैसे छोड़ सकते हैं। क्या सरकार के पास तो इन गैर सरकारी कालेजों को कोई अनुदान देने का प्रस्ताव है ताकि वे दान-वसूल करना छोड़ दें ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि एक बार विश्वविद्यालय से स्वीकृति मिल जाती है और वह संस्थान चल रहा है तभी सरकार इसके आधार पर विचार करके कुछ सहायता देने की सोच सकती है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार की स्वीकृति लिये बिना ही अपने आप कोई मेडिकल कालेज खोलने का प्रयास करता है, तब उसे सहायता देने को हम बाध्य नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : बहुत अधिक केपीटेशन फी वसूल करके आरम्भ होने वाले कालेजों के बारे में सरकार का क्या रवैया है ? वस्तुतः देश भर में इस मामले में विभिन्न राज्यों में बड़ा घोटाला हो रहा है, चाहे वह राज्य हरियाणा हो अथवा कोई अन्य, हम सरकार का रवैया जानना चाहते हैं। क्या सरकार इस प्रवृति को प्रोत्साहित करती है या नहीं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि वे इसे आरम्भ न करने दें.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज का क्या हुआ ? उन्होंने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ छल ही नहीं किया है अपितु बहुत से लोगों से दान भी एकत्र किया है.....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री श्री उमा शंकर दीक्षित द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अगला प्रश्न ले लिया है। हम अभी तक चार या पांच प्रश्न भी नहीं कर सके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : छात्रों का शोषण हो रहा है। वे प्रतिदिन मेरे मकान पर आ रहे हैं। मैं कर भी क्या सकता हूं ? सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज का क्या हुआ ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे बैठ जाएं। 45 मिनट की अवधि में हम 4 प्रश्न से अधिक पर विचार नहीं कर पाये हैं। हम प्रश्नकाल के दौरान प्रत्येक बात पर चर्चा और उस पर वाद-विवाद नहीं कर सकते।

जहां तक गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि नये मन्त्री किसी भी समय हमें अन्तिम स्थिति से अवगत करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 87 लिया जायेगा।

श्री पी० एम० मेहता : मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या 88 और 93 का भी इस प्रश्न के साथ मिलाकर एक ही उत्तर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस अनुरोध को स्वीकार करता हूं। इनका एक ही उत्तर दिया जाए।

खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए बिहार सरकार का अनुरोध

+

*87. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की लगातार कमी होने के कारण बिहार सरकार ने केन्द्र से जनवरी, 1973 से 100,000 टन खाद्यान्न सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अब तक बिहार को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया जा चुका है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) बिहार सरकार ने जनवरी, 1973 के लिए 2,00,000 मीटरी टन गेहूं और 20,000 मीटरी टन चावल आवंटित करने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) और (ग). सरकार के पास खाद्यान्नों की कुल मिलाकर उपलब्धता और जनवरी महीने के लिए कमी और सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार को 38,200 मीटरी टन गेहूं और 500 मीटरी टन मोटा अनाज सप्लाई किया गया था।

मैसूर राज्य के गेहूं के कोटे में कमी करना

+

*88. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य को प्रतिमास गेहूं का कोटा 25,000 टन मिल रहा था जबकि उसने कोटे को बढ़ाकर प्रतिमास 50,000 टन करने की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर तथा जनवरी के महीने में इसे घटाकर 15,000 टन प्रतिमास कर दिया है ;

(ख) क्या बीजापुर, बीदर और गुलबर्गा, केवल इन तीन जिलों के लिए ही 5,000 टन गेहूं की आवश्यकता रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गेहूं के कोटे में वृद्धि करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) मैसूर सरकार को नवम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक के प्रत्येक मास के दौरान 50,000 मी० टन गेहूं के आवंटन की मांग के प्रति नवम्बर के लिए 25,000 मी० टन और दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 के लिए प्रत्येक मास 15,000 मी० टन का आवंटन किया गया है।

(ख) बीजापुर, बिदार और गुलबर्गा की जरूरत राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार प्रतिमास 25,000 मी० टन गेहूं है।

(ग) समूची उपलब्धता के अन्दर केन्द्रीय स्टाक के खाद्यान्नों का आवंटन राज्य सरकारों की

उचित आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। तदनुसार मैसूर राज्य को गेहूं का आवंटन किया गया है और किया जाता रहेगा।

गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने के लिए गुजरात सरकार की मांग

*93. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और सूखे से प्रभावित तथा कमी वाले अन्य राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य की उचित जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

Shri Ramshekhar Prasad Singh : Taking into account the demand of foodgrains made by Bihar the foodgrains supplied to Bihar State has not relieved the difficult situation there, and Bihar Government have requested for more foodgrains. I want to know from the hon. Minister what the Government is going to do in this regard ? Government have given details of the foodgrains supplied upto January. I want to know if any quantity of foodgrains has been despatched there after January ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम बिहार को प्रतिमास खाद्यान्न भेज रहे हैं। किन्तु बिहार सरकार ने 2 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न की मांग की है वह यथार्थ निर्धारण से बहुत अधिक है क्योंकि 1966-67 में बिहार में भयंकर सूखे के दौरान अधिकतम 1,80,000 मीटरिक टन खाद्यान्न दिया गया था।

फिर भी, मेरा माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि गुजरात, महाराष्ट्र-राजस्थान और मैसूर जैसे कुछ राज्यों में भयंकर सूखे से फसल को भारी क्षति पहुंची थी (**अंतर्बाधाएं**) और कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रत्येक राज्य के कुछ भागों में सूखा पड़ रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिहार में फसल बहुत अच्छी है। इस वर्ष विशेषकर बिहार में गेहूं की अत्यधिक फसल होगी। वहां बहुत अधिक फसल काटी जायेगी। अतः बिहार के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बारे में बहुत दबाव न डालें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि मैसूर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अब भी 25,000 मीटरिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय और सरकार को भली प्रकार पता है कि सारे राज्य में मूल्य बढ़ गये हैं और विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग राशन की दुकानों पर जाते हैं जहां सरकार खाद्यान्न सप्लाई करती है। क्या सरकार मैसूर राज्य के लिए नियत कोटे में परिवर्तन कर इस कोटे में दी गई मात्रा को बढ़ायेगी ? और क्या मैसूर राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कोटा नियत किया गया है ? यदि हां, तो यह कितना है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने मैसूर सरकार और राज्य के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्पक स्थापित किया हुआ है। हमें वहां के लोगों से वस्तुतः बहुत सहानुभूति है क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोग बहुत कष्ट में हैं। अभी दो या तीन दिन पूर्व मैसूर के मुख्य मन्त्री तथा उनके अन्य सहयोगी यहां आये थे, और उन्होंने मुझसे इस मामले की चर्चा की थी। उन्होंने मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री फखरुद्दीन अली अहमद को अपनी कुछ कठिनाइयां बताई थीं। अतः हमने इस महीने फरवरी में मैसूर के लिए 5000 मीटरिक टन कोटा और बढ़ाने का निर्णय किया है। वस्तुतः हम जिलावार या क्षेत्रवार कोटा नियत नहीं करते। हम राज्यों को कोटा दे देते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरा प्रश्न था कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इतने अधिक अनुमानों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और कुछ अधिक कोटा नियत करेगी जिससे अन्य क्षेत्रों की भी प्रतिपूर्ति की जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम राज्य सरकारों के अनुरोध पर सदा विचार करते हैं।

श्री बेकारिया : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को 1,10,000 मीटरिक टन से अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता है किन्तु केन्द्र गुजरात सरकार की मांग से आधी खाद्यान्न भी सप्लाई नहीं कर रहा है, जिससे गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ? मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल्य कम करने और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मोटे अनाज को लाने और ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करने के लिए कदम उठायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि आपको पता है कि मूल्य वृद्धि के बारे में सरकार बहुत चिन्तित है। किन्तु सूखा और अन्य कठिनाइयों के कारण ही मूल्यों में वृद्धि हुई है। हम खाद्यान्नों की वसूली और उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के लिए हर सम्भव उपाय कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो जाए।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए विशिष्ट सुझाव, जैसे प्रतिबन्ध हटाने का सम्बन्ध है, प्रतिबन्ध वसूली करने और कठिनाई वाले क्षेत्रों को अलग करने की दृष्टि से लगाये जाते हैं ताकि हम फालतू अनाज वाले राज्यों में अनाज की वसूली कर सकें और कम अनाज वाले राज्यों में खाद्यान्न उपलब्ध कर सकें। मेरे विचार में ऐसा राष्ट्रीय हितों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के हितों में किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मांग के लिए अत्यधिक दबाव न डालें।

श्री बेकारिया : दो या तीन जिलों को तो मैंने स्वयं देखा है, और अन्य जिलों से रिपोर्ट भी प्राप्त की है। रिपोर्टों से मुझे पता चला है कि गांवों और छोटे नगरों में गेहूं की जो सप्लाई की जाती है वह प्रति व्यक्ति दो या तीन किलो मास के हिसाब से की जाती है। लोगों को पर्याप्त गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न नहीं मिल रहे हैं और इसी कारण वहां स्थिति बहुत खराब है और गुजरात राज्य में भूख से लोगों की मृत्यु होने की सम्भावना है। इस स्थिति को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य को गेहूं का और अतिरिक्त कोटा देने जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गुजरात के मन्त्रियों का हमसे सम्पर्क है और मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री, दोनों मुझसे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी से मिले हैं। गुजरात राज्य की कठिनाई का हमको पता है। माननीय सदस्यों को एक बात की सराहना करनी चाहिए कि हमारे पास जो भण्डार है उसे हमें देश भर में समान रूप से वितरित करना है। गुजरात राज्य को हम उच्चतम

प्राथमिकता दे रहे हैं । किन्तु राष्ट्र के हितों में आयात कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे भण्डार सुरक्षित बने रहें और निर्धारण के आधार पर उचित रूप से वितरित किए जाएं, केन्द्र निष्पक्ष निर्धारण करता है । किन्तु हम गुजरात से सम्पर्क बनाए हुए हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए हम हर सम्भव प्रयास करेंगे कि गुजरात सरकार की अधिकतम सहायता की जा सके ।

Shri Arvind M. Patel : Sir, the requirements of the drought affected Gujarat was not being fully met. A labourer requires five kilo wheat in a week but the poor labour gets only one kilo wheat. In this condition how can a man pull on ? Is Government proposing to supply some other foodgrains in lieu of wheat when they are unable to meet the requirement of wheat ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गुजरात को पहले दिए गये खाद्यान्नों के अतिरिक्त हमने लगभग 15,000 मीटरिक टन माइलो दिया है । मार्च के पश्चात् से जहाजों से जैसे ही माल उतारा जायेगा और अतिरिक्त खाद्यान्न भेज दिये जायेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि कुछ राज्यों में गेहूं और अन्य खाद्यान्न कम मात्रा में सप्लाई किए गए हैं । उन्होंने कनाडा से गेहूं के आयात के बारे में भी कहा है कि सरकार का विचार वास्तविक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न आयात करने का नहीं है । जो कुछ उन्होंने कहा है उसको दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कनाडा और अन्य देशों से और अधिक गेहूं का क्रय करने के बारे में विचार कर रही है ताकि कुछ महीने पश्चात मंत्री महोदय को सदन में आकर यह कहना न पड़े कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए हमें अब कुछ अधिक मूल्य पर गेहूं खरीदना पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्तमान स्थिति में विदेशों से गेहूं खरीदेगी जिससे कि बाद में महंगा गेहूं न खरीदना पड़े ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर तो सदन में कुछ मिनट पहले ही दे दिया गया था ।

श्री पी० जी० मावलंकर : वह कहते हैं कि सरकार जून में अन्तिम जहाज आने की आशा करती है । अभी दिए गए उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए क्या उन्हें इस बात की आशा है कि और अधिक गेहूं का आयात किया जायेगा ? यदि हां, क्या वह यह कार्य अब करेंगे या बाद में ? वे देश की विदेशी मुद्रा और अधिक क्यों व्यय करना चाहते हैं ? मेरा यह प्रश्न है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार ने इस समस्या पर बहुत विचार किया है । हम समझते हैं कि उचित प्रशासन और माननीय सदस्यों के सहयोग से खाद्यान्नों के आयात का स्तर नीचा रखकर हम देश में खाद्यान्नों की मितव्ययता बनाये रखने की स्थिति में हो जायेंगे ।

श्री नवल किशोर सिन्हा : बिहार के लिए जनवरी, 1973 के लिए 38,000 मीटरिक टन गेहूं और 500 मीटरिक टन मोटे अनाज का आवंटन किया गया है । उस राज्य के जिलों में राशन की दुकानों में वास्तविक रूप से कितना खाद्यान्न आया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने आवंटित किए गए खाद्यान्नों का उल्लेख कर दिया है । बिहार को लगभग 37,000 मीटरिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था । जैसा मैंने बताया है कि वहां यह खुले बाजार में भी उपलब्ध है । क्योंकि सरकारी वितरण प्रणाली के मूल्यों और खुले बाजार में उपलब्ध खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत अन्तर है, इसलिए सरकारी वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव है । बिहार में इस वर्ष की खरीफ की फसल की सम्भावनाएं अपेक्षाकृत अच्छी हैं

और बिहार की आवश्यकता के बारे में जितना भी उचित है, हम उनकी आवश्यकतायें पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० एम० मेहता : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि गुजरात में सरकारी वितरण प्रणाली असफल हो गई है और राज्य सरकार ने राशन में आलू देना आरम्भ कर दिया है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से गेहूं या चावल नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह गुजरात राज्य की उचित मांगों को पूरा करेंगे और सप्लाई बढ़ायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे यह पता है कि वहां कुछ कठिनाइयां हैं किन्तु यह कहना कि गुजरात में वितरण प्रणाली असफल हो गई है मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं... (**अंतर्बाधाएं**) जहां तक आलुओं का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इसके लिए माननीय सदस्य को गुजरात सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हम गुजरात सरकार को सुझाव देते हैं कि अन्ततः मेरा अपना अनुमान है कि देश में खाद्यान्नों की बहुत मामूली कमी है—लोगों को अन्न से इतर वस्तुएं लेनी चाहिए। यदि लोग ऐसा बहुत कम करते हैं तो हमारी खाद्य स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य का सहयोग चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इसकी आलोचना न करें। हम गुजरात की उचित आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने का प्रयत्न जारी रखेंगे।

श्री रसिकलाल पारिख : लगातार तीन महीने, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में गुजरात में राशन की दुकाने लोगों को केवल 250 किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई कर सकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे इस बात का पता नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष राशन की दुकान ने कितना खाद्यान्न वितरित किया है। हमारा गुजरात राज्य के साथ सम्पर्क बना हुआ है और राज्य की सहायता करने का हमारा सतत प्रयास रहेगा।

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मोटे अनाज के मूल्य गेहूं से भी अधिक हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को यह सलाह देने का है कि मोटे अनाज के निर्बाध रूप से लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रतिबन्ध के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में अध्यापकों को परिवार नियोजन का प्रचार कार्य सौंपना

*81. **श्री एम०वी० कृष्णप्पा** :
डा० सरदीश राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन आंदोलन में अधिक सफलता नहीं मिली है और नसबन्दी के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है ;

(ख) क्या मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में अध्यापकों को कम से कम दो व्यक्ति नसबन्दी शिविर में लाने के लिए कहा गया है; और

(ग) क्या परिवार नियोजन आंदोलन की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनायी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला परिवार नियोजन समिति, उज्जैन ने यह निर्णय किया कि परिवार नियोजन अपनाने की प्रेरणा देने के लिये अध्यापकों और विकास विभागों के अन्य कर्मचारियों और गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग कर लिया जाए । परन्तु ऐसी कोई हिदायतें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं की गईं ।

(ग) कतिपय क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारणों के अध्ययन करने और इसे आवश्यक गति प्रदान करने के लिये उपायों और साधनों का सुझाव देने के लिये कुछ राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति पहले ही बना दी गई है ।

Introduction of Three-year Course at University Level

*85. **Shri Narendra Singh**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have suggested to the State Governments that they should introduce three-year course at University level in their States;

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto; and

(c) the progress made in this regard so far?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As recommended by the Education Commission (1964-66) and accepted in the National Policy Resolution on Education (1968), the Central Advisory Board of Education at its 36th meeting held at New Delhi on September 18-19, 1972 decided to recommend to all State Governments to follow the uniform pattern of education, *viz.* 10+2+3. Relevant extract from the Resolution adopted by the Board is reproduced below:

> "The Board reiterates its earlier recommendation made in the 34th meeting that it is desirable to adopt a uniform pattern of education, *viz.* 10+2+3, in all parts of the country. It notes with satisfaction that three States have implemented the programme and recommends that it should be implemented in all parts of the country by the end of the Fifth Plan."

The above pattern has already been enforced in the following States :

1. Andhra Pradesh, Kerala and Mysore.

2. Three year degree courses are already in force in the following States after 11 or 12 years of schooling/pre-university Instruction :

> Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal.

3. The following States are considering the question of raising 2 years degree course to 3 years course.

Bihar and Uttar Pradesh (Other than Central Universities)

4. Maharashtra has both 2 and 3 year degree course and is considering the change over to a 3 year course where it is 2 years.

राज्यों द्वारा पारित किये गये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी अधिनियम

*89. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में हुए राज्य विधान सभाओं के चुनावों के पश्चात से कितने राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अपने अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रेषित किए हैं, और उक्त राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य भूमिहीनों में कितनी फालतू भूमि का वितरण करेगा ;

(ग) सभी राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पारित करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) किन किन राज्यों ने फालतू भूमि का वितरण पहिले ही कर दिया है; और प्रत्येक राज्य ने कुल कितनी भूमि का वितरण किया है और कितने व्यक्तियों में यह वितरण किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4280/73]**

जहाजरानी निगम द्वारा हाल ही में खरीदे जहाजों की मरम्मत पर व्यय

*90. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम को नये खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन जहाजों के नाम क्या हैं; उन्हें किस-किस वर्ष खरीदा गया था तथा उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में भारतीय नौवहन निगम द्वारा खरीदे गये जहाजों की अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4281/73]**

मरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल खर्च का अनुपात, जैसा विवरण में दिखाया गया है, इन जहाजों की कमायी का 6.69% तथा इन जहाजों की कुल पूंजीगत लागत का 3.11% निकलता है। ये दो प्रतिशतताएं उचित समझी गयी हैं।

Adulteration in Vanspati Ghee

*91. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether consumers belonging to lower class get adulterated Vanaspati Ghee and in less weight also ;

(b) whether a Committee has recommended to the Government that research should be made for the preparation of cheap and proper packings for the same ; and

(c) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Chances of adulteration and short-weighment exist only in the case of vanaspati purchased in loose form.

(b) The Estimates Committee (1971-72) had recommended that research should be undertaken to evolve suitable and economical packings of vanaspati.

(c) The Government are exploring the possibilities.

न्यूनतम बोनस में वृद्धि करने का चीनी उद्योग पर प्रभाव

*92. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले न्यूनतम सांविधिक बोनस में वृद्धि किये जाने के बाद गत वर्ष चीनी के मूल्य में 20 पैसे प्रति किलोग्राम वृद्धि कर दी गई थी ;

(ख) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने चीनी उद्योग पर न्यूनतम बोनस का प्रभाव के बारे में किये गये अपने नवीनतम अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि कुल उत्पादन लागत पर बढ़े हुये बोनस का प्रभाव 20 पैसे प्रति किलोग्राम, जिसकी सरकार ने पहले ही अनुमति दे दी है के स्थान पर 0. 7 पैसा प्रति किलोग्राम ही अधिक पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1972-73 के उत्पादन के लिए चीनी का भारित औसत निकासी मूल्य 19.59 रुपये प्रति क्विन्टल तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) और (ग). भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के अर्थशास्त्री द्वारा किए गए अध्ययन से सम्बन्धित सूचना, तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इस बढ़ोतरी में न्यूनतम बोनस की, की गई वृद्धि का प्रभाव केवल लगभग 0.56 रुपये प्रति क्विन्टल था और शेष में गन्ने का उच्चतम न्यूनतम अधिसूचित मूल्य, बैंकों की उधार दरों में वृद्धि और कुछेक अन्य ज्ञात वृद्धियां शामिल हैं।

गुजरात में मोटे अनाज तथा दालों के मूल्यों में वृद्धि

*94. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अकालग्रस्त लोगों को मोटे अनाज तथा दालों के मूल्यों में हुई

आकस्मिक वृद्धि के रूप में एक और संकट का सामना करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के मुख्य मंत्री एवं खाद्य मंत्री ने दिल्ली का दौरा किया था और इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्री ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि उनके द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध ढीले किये जायें ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मोटे अनाजों और दालों के मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति आयी है । तथापि, अक्तूबर, 1972 से उरद के भाव गिरे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन राज्यों द्वारा मोटे अनाजों के संचलन पर लगाए गये प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गुजरात को अपने खाते में मोटे अनाजों की सीमित मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दें ।

Surprise Raids on Ration Shops in Delhi

*95. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Goverment has been drawn to the news item published under the caption "Rashan ki dukanon par achanak chape" (surprise raids on Ration Shops) in the Nav Bharat Times dated the 15th January, 1973 wherein it was reported that "wheat, flour and rice are not available at any of the Ration Shops in areas like Khureji and even hearths were not lit in some houses on account of scarcity of ration" ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agciulture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Necessary steps have been taken to ensure regular supplies of food articles through fair price shops.

रबी की फसल के लिए खाद्यान्न उत्पादन के आपात कार्यक्रम में प्रगति

*96. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल के खाद्यान्न उत्पादन के आपात कार्यक्रम से भी मूल लक्ष्य के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो मूल लक्ष्यों की तुलना में खाद्यान्नों की प्रमुख फसलों का कितना-कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ग) कमी के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये आपाती खाद्य उत्पादन कार्यक्रम और लाभप्रद शीतकालीन वर्षा होने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा आदि कुछ राज्यों में 1971-72 की तुलना में रबी फसलों का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में रबी के मौसम में वर्षा कम रही है, जिसके कारण रबी की फसल के उत्पादन में कमी हो सकती है। बिजली और उर्वरकों की कमी रहने के कारण उत्पादन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, अन्यथा विशेष प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पर्याप्त वृद्धि होती। मोटे तौर पर देखा जाए तो विशेष प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश में रबी का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु रबी खाद्यान्नों के सही-सही अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् किसी समय जुलाई अगस्त, 1973 में ही उपलब्ध हो सकेंगे।

बिजली की कमी से प्रभावित राज्यों में औद्योगिक, घरेलू और अन्य वर्गों की खपत में कटौती करके कृषि के लिए बिजली की सप्लाई करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पंजाब और हरियाणा में नांगल उर्वरक फैक्टरी की बिजली की सप्लाई में लगभग दो महीने तक कमी करके उसे कृषि कार्यों के लिए देकर स्थिति का सामना किया जा रहा है। जहां तक उर्वरकों का सम्बंध है, विभिन्न राज्यों में उपलब्ध उर्वरकों का उपयुक्त वितरण करने के लिये उपाय किए गये हैं। उर्वरकों की उपलब्ध मात्रा से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य उपयुक्त उपायों के साथ-साथ किसानों को उर्वरक की मात्रा, उर्वरकों के प्रयोग के समय उर्वरक प्रयोग की पद्धति और उर्वरक मिश्रण की खपत के विषय में भी सलाह दी गई है।

उर्दू भाषा को उचित स्थान देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*97. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में उर्दू भाषा को उचित स्थान देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर उर्दू में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्ट की ओर, राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया जाता रहा है। माध्यमिक स्तर पर, उर्दू में सभी विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था करने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के मामले में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने, क्षेत्रीय भाषा केन्द्र,

पटियाला में उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा पशिक्षण परिषद्, उर्दू में आदर्श पुस्तकों की व्यवस्था करती है।

शैक्षिक साहित्य, वैज्ञानिक पुस्तकें, बाल साहित्य, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोश, बुनियादी पाठ्य पुस्तकें आदि के निर्माण के लिए सरकार ने तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड नामक एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना भी की है।

उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन तथा विभिन्न विषयों में अनुसंधान कार्य करने के लिए सांस्कृतिक तथा भाषा संगठनों तथा शब्दकोशों, विश्वकोशों जैसी संदर्भ पुस्तकों तथा उर्दू सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक, वैज्ञानिक और भाषाई विषयों की अन्य लोकप्रिय पुस्तकों को प्रकाशित करने तथा उन्हें खरीदने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को भी केन्द्रीय अनुदान दिए जाते हैं। चुनिंदा केन्द्रीय स्कूलों में भी उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्यों में समन्वित तरीके से उर्दू का प्रसार करने के लिए, सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है। इस समिति का कार्य उर्दू भाषा के प्रसार के लिए अपनाए जाने वाले उपायों और शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक मामलों में उर्दू-भाषा जनता के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देना है। यह समिति गवाहों की जांच कर रही है और राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रही है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। रिपोर्ट पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

उर्दू भाषा के संवर्धन तथा उसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों से संबंधित सूचना, राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है।

Aerial Spray of Insecticides and Pesticides

*98. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state;

(a) the names of the places in the country where the facility of spraying insecticides and pesticides through aeroplanes and helicopters is available;

(b) the main features of the said scheme of the Government; and

(c) the names of the places and the acreage of land where aerial spray was carried out during 1970-71 and 1971-72.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. LT-4282/73]**

खाद्यान्नों के थोक व्यापार हाथ में लेने के बारे में केरल सरकार की प्रतिक्रिया

*99. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कहा था कि वह खाद्यान्न के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने की केन्द्रीय सरकार की नीति का अनुसरण करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि राज्य को चावल की समूची मांग पूरी करने की गारंटी केन्द्रीय सरकार दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) समूची उपलब्धता के अंदर केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों की सभी उपयुक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का दिया जाना जारी रहेगा।

डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा सम्बन्धी विधान

*100. **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा की एक निश्चित समय के लिए अनिवार्य बनाने हेतु विधान बनाने अथवा राज्य सरकारों की विधान बनाने की सलाह देने का है ; और

(ख) क्या इस बारे में किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राज्य सरकारों की सलाह दी गई है कि वे चिकित्सा कालेजों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों से ग्राम क्षेत्रों में काम करने के लिए बाण्ड भरवा लें। इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

School of Buddhist Philosophy, Leh

801. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether building construction work for the Buddhist Philosophy Institute, Leh has since been completed and if so, the total expenditure incurred thereon;

(b) the total expenditure incurred so far on the said institute and the recurring expenditure thereof;

(c) the number of students granted scholarships in this institute; and

(d) the main features of the schemes for development and expansion of this institute in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (d). The requisite information is being collected from the School of Buddhist Philosophy, Leh, and will be laid on the Table of the Sabha.

Delay in Construction of Kargil-Zankhar Road

802. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the construction of Kargil-Zankhar road is being delayed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by the Government for expediting it?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (c). The proposed Kargil-Zankhar road is a local road. The Government of Jammu and

Kashmir are, therefore, primarily concerned with all matters connected with the said road. No definite proposal has so far been received from the Government of Jammu and Kashmir for the construction of a road in the Zankhar area.

Construction of Leh-Gurgur Do Road by B. R. C. O.

803. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether Government propose to entrust construction of Leh-Gurgur Do Road to the Border Roads Construction Organisation (BRCO) so that this road could be completed early for convenience of the public ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : The proposed Leh-Gurgur Do Road is a State road and, therefore, the Government of Jammu and Kashmir are primarily concerned with all matters connected with it. The road is not included in the programme of the Border Roads Development Board nor is there any proposal to do so.

कलकत्ता के निकट दमदम क्षेत्र के निवासियों को हुये पक्षाघात के कारण

804. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मिली है कि कलकत्ता के निकट दमदम क्षेत्र के निवासियों में गत वर्ष बड़े पैमाने पर फैले गम्भीर पक्षाघात का कारण मिलावटी सरसों के तेल का प्रयोग था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा विशेषज्ञों के किसी दल ने इन मामलों की डाक्टरी जांच की रिपोर्टों की जांच की है ; और

(ग) क्या जिन तत्वों से मिलावट की गई थी उनका पता लगाया जा चुका है और सभी सम्बन्धित लोगों को कोई आम हिदायतें दी गई हैं कि वे सरसों के तेलों में इस तत्व विशेष से सतर्क रहें जो कि सम्पूर्ण पूर्वी और उत्तरी भारत में खाना पकाने का प्रमुख पदार्थ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मिलावट के वे तत्व जिनसे ये विपदाएं उत्पन्न हुईं मालूम कर लिए गए थे । पश्चिम बंगाल के सम्बन्धित अधिकारियों ने सूचित किया है कि इस स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी गई और खाद्य नमूनों के जिसमें सरसों का तेल भी सम्मिलित है, बारम्बार जांच करने से पता चला है कि आगे और कोई मिलावट नहीं हुई है ।

Construction of Leh-Noobra Road by B. R. C. O.

805. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether construction of Leh-Noobra Road is being delayed and whether it is proposed to entrust the construction work thereof to the Border Roads Construction Organisation ; and

(b) if so, the time by which a decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) and (b). The proposed Leh-Noobra Road is a local road and, therefore, the Government of Jammu and Kashmir are primarily concerned with all matters connected with it. The road is not included in the programme of the Border Roads Development Board nor is there any proposal to do so.

करों, भविष्य निधि तथा लाटरी की वह राशि, जिसका किसी ने दावा नहीं किया है, को समाज कल्याण कार्यों हेतु उपलब्ध करना

806. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय-समाज कल्याण परिषद् ने 31 जनवरी, 1973 को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह करों, भविष्य निधि तथा लाटरी की उस राशि के कुछ भाग को, जो सरकार के पास पड़ा है और जिसका कोई दावेदार नहीं है, स्वयंसेवी अभिकरण तथा समाज कल्याण कार्य के लिए उपलब्ध करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में भूमि तथा सिंचाई की दरों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन

807. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटना में आल इण्डिया किसान कांग्रेस ने 31 जनवरी, 1973 को, बिहार के अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमि के किराये तथा सिंचाई दरों में हाल ही में हुई वृद्धि के विरुद्ध सविनय अवज्ञा की तरह का एक राज्य व्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के लिये पंजीकरण

808. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बने-बनाये मकान प्राप्त करने के लिये पंजीकरण इस वर्ष के दौरान शुरू होगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

राज्यों को खाद्यान्नों का व्यापार अपने नियंत्रण में ले लेने के लिए सहायता देना

809. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को खाद्यान्नों का व्यापार अपने नियंत्रण में ले लेने के लिए सहायता देने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). गेहूं के थोक व्यापार को लेने के निर्णय के वित्तीय प्रशासनिक और वैधानिक पहलुओं की राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है । राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है और जो भी सहायता आवश्यक समझी जाती है वह उपयुक्त समय पर सुलभ की जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ

810. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण को विभिन्न प्रकार के प्लाटों तथा बने-बनाये मकानों की बिक्री से गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितना लाभ हुआ ; और

(ख) चालू वर्ष अर्थात् 1972-73 के दौरान उसे अनुमानत: कितना लाभ होगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को बने-बनाये मकानों की बिक्री से, मकानों के नक्शों के शुल्क से भूमि के किराये तथा परिसरों के दुरुपयोग पर लगाये गये जुर्माने से मिली अतिरिक्त प्राप्तियां इस प्रकार हैं :—

1969-70	18.87 लाख रुपये
1970-71	16.12 लाख रुपये
1971-72	18.97 लाख रुपये

प्लाटों की बिक्री के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण एक सरकारी अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा इन प्लाटों से हुई बिक्री का रुपया सरकार के खाते में डाल दिया जाता है ।

(ख) इस समय इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध वितरण अधिकारी और सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति

811. **श्री मोहन राज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में (एक) दुग्ध वितरण अधिकारी तथा (दो) सहायक दुग्ध

वितरण अधिकारी के कुल कितने स्थायी और अस्थायी पद हैं और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) क्या पदों की इन दोनों श्रेणियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है ; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन दोनों श्रेणियों में ऐसे कर्मचारियों की वर्तमान कमी कितनी है ;

(ग) 31 जनवरी, 1973 को इन दोनों श्रेणियों के कितने पद रिक्त थे ; और

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के सन् 1959 के अन्त में प्रारम्भ होने के समय से इसमें बहुत से पद केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तथा पुनर्वास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न कार्यालयों में अधिशेष घोषित किये गये कर्मचारियों के अन्तरण द्वारा भरे गये थे। अत: आरक्षण लागू करने का उस समय प्रश्न ही नहीं उठता था। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का सम्बन्ध है, वर्ष 1967 से पहले दिल्ली दुग्ध योजना में कोई रोस्टर नहीं रखा जाता था।

प्रश्न के भाग (क) में मांगी गई जानकारी नीचे दी जा रही है :—

श्रेणी	स्थायी पद	अस्थायी पद	योग	दिनांक 31-1-1973 को कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या	
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
दुग्ध वितरण अधिकारी	3	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी	25	3	28	2 †	कोई नहीं

† सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए अनुसूचित जातियों के 2 अन्य अभ्यर्थियों ने अन्य जगहों पर उच्च पदों पर चुनाव होने के फलस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को छोड़ दिया था।

(ख) दुग्ध वितरण अधिकारी के पदों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं होता। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिये ये पद इसी प्रकार के श्रेणी 2 के अन्य पदों के साथ मिलाये जाते हैं और अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सामूहिक रूप से क्रमश: 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का कोटा आरक्षित किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना के श्रेणी 2 के सब पदों में, जिसमें दुग्ध वितरण अधिकारी के पद भी सम्मिलित हैं तथा जिस पर आरक्षण के आदेश लागू होते हैं, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की कमी है। दिनांक 11 जुलाई, 1963 को

भर्ती नियमों के लागू होने के पश्चात् दुग्ध वितरण अधिकारी के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा कोई पद नहीं भरा गया है। इस तिथि से पहले दुग्ध वितरण अधिकारियों के दो पद सामान्य अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा पहले ही भरे जा चुके थे। भर्ती नियमों के अधिसूचित करने के पश्चात्, इस श्रेणी में एक पद दिनांक 11-3-1969 को प्रोन्नति द्वारा भरा गया था। इस पर आरक्षण के आदेश लागू नहीं होते थे, क्योंकि यह श्रेणी 2 का प्रोन्नति (चयन) पद था। इस श्रेणी में एक पद अगस्त, 1972 को रिक्त हुआ था। लेकिन भर्ती के उस वर्ष के दौरान उस पद की वही एक मात्र रिक्ति थी जिसके कारण वह पद आरक्षित कोटे में नहीं आता था।

सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का कोटा आरक्षित है।

सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के पदों के भर्ती नियमों के अन्तर्गत $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। भर्ती नियमों के प्रकाशन के पश्चात् दिल्ली दुग्ध योजना में रोस्टर बनाने से अब तक सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के ग्रेड में 15 पद निम्न प्रकार से भरे गये हैं :–

सीधी भर्ती द्वारा	11
प्रोन्नति द्वारा	2
सहानुभूति के आधार पर	2

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे गये 11 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति तथा एक पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किया जाना था। अनुसूचित जाति के कोटे में 2 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद उस जाति के अभ्यर्थी से नहीं भरा जा सका, क्योंकि रोजगार कार्यालय से कोई अभ्यर्थी नहीं मिल सका था। दिल्ली दुग्ध योजना का दिन प्रतिदिन का कार्य चलाने के लिए सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के ग्रेड का यह पद सामान्य अभ्यर्थियों में से पूर्णत: अस्थायी आधार पर तब तक भरा गया है जब तक कि कार्मिक विभाग के माध्यम से इस पद को अनारक्षित करने का निर्णय नहीं हो जाता।

(ग) यद्यपि, दिनांक 31-1-1973 को दुग्ध वितरण अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं था, लेकिन इस ग्रेड का एक पद (जिसे अनारक्षित समझा गया था) नियमित आधार पर सीधी भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।

सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के ग्रेड में दिनांक 31-1-1973 को एक पद रिक्त था। इस पद पर आरक्षण के आदेश लागू नहीं होते, क्योंकि यह पद प्रोन्नति के कोटे के अन्तर्गत आता है और इस ग्रेड में सीधी भर्ती का कोटा 50 प्रतिशत से अधिक है। फिलहाल यह पद भी रिक्त रखा गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के अनुसार जून, 1967 से आरक्षित तथा अनारक्षित पदों का एक रोस्टर रखा जा रहा है। पदों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत न भरे जा सकने वाले आरक्षित पदों को भविष्य की भर्ती के लिये आरक्षित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, ताकि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित आरक्षण के अन्तर को पूरा किया जा सके।

संसद् भवन के दुग्ध बार में लस्सी, मिल्कशेक तथा आइसक्रीम का बनाया जाना

812. **श्री मोहन राज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बार में सादी लस्सी और शर्बत एवं पानी से बनी मीठी लस्सी तथा आइसक्रीम और शर्बत रहित मिल्क-शेक और आइसक्रीम और शर्बत सहित मिल्क-शेक तैयार करने के लिये कोई माप निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कभी कोई आकस्मिक जांच की गई है कि लस्सी तथा मिल्क-शेक मिलाते समय उक्त पदार्थों का उचित मात्रा में उपयोग किया जाता है ; यदि हां, तो वर्ष 1972 के दौरान कितनी बार आकस्मिक जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस स्टाल पर बिकने वाले उत्पादों में पदार्थों के उचित मात्रा में मिश्रण को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). दिल्ली दुग्ध योजना ने लस्सी (सादी और मीठी दोनों) मिल्क-शेक, मीठा और आईसक्रीम से मीठा बनाया गया, तैयार करने के लिये निम्नलिखित माप निर्धारित किये हैं :

(1) **लस्सी**

(i) **सादी लस्सी** 1 पात्र-125 मि० दही नमक आवश्यकतानुसार पानी	45 पैसे
(ii) **मीठी लस्सी** 1 पात्र—125 मि० दही 54 से 60 मि० शर्बत (2 माप) आवश्यकतानुसार पानी	60 पैसे

टिप्पणी : पहले लस्सी के पांच गिलास तैयार करने के लिये एक कून्डे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब एक गिलास लस्सी के लिये एक कुल्हड़ का प्रयोग किया जाता है।

2. **मिल्क शेक**

(i) **मीठा मिल्क शेक** 250 मि० मानक दूध 27 से 30 मि० शर्बत(एक नाप)	53 पैसे

(ii) **आइस-क्रीम से मीठा बनाया गया मिल्क शेक**

27 से 30 मि० शर्बत और आइसक्रीम 250 मि०मानक दूध का मूल्य अर्थात्

(क) 75 सी० सी० आईस क्रीम से — 95 पैसे

(ख) 125 सी० सी० आईस क्रीम से — 1 रु० 28 पैसे

टिप्पणी : यदि दूध, आईस क्रीम और दही दुग्ध स्टाल से अलग-अलग खरीदे जायें, तो ग्राहक के अनुरोध पर कोई भी अन्य मिश्रण तैयार करने के लिये मिश्रण मशीन का मुफ्त उपयोग करने की अनुमति है ।

(ग) और (घ). लस्सी और मिल्क शेक ऊपर बताये गये ढंग से दुग्ध बार के खुले काउन्टर पर ग्राहकों के सामने तैयार किये जाते हैं और दुग्ध बार का प्रबन्धक इसकी निगरानी का काम करता है । दुग्ध बार के काम की निगरानी और जांच नियमित रूप से प्रबन्धक (बिक्री) द्वारा भी की जाती है, जो कि संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्टाल और दुग्ध बार के कार्य की निगरानी के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया गया है ।

संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की बिक्री

813. **श्री मोहन राज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् भवन में 1972 में दिल्ली दुग्ध योजना के (एक) आलडे मिल्क स्टाल तथा (दो) मिल्क बार में महीना वार निम्नलिखित सभी उत्पादों की कुल तथा अलग-अलग कितनी बिक्री हुई (एक) आलडे मिल्क स्टाल (1) घी (2) दूध (3) मक्खन (4) आइसक्रीम (दो) मिल्क बार में (1) घी (2) मिल्क शेक (3) लस्सी, (4) आइसक्रीम तथा मक्खन ;

(ख) प्रत्येक स्टाल पर काम कर रहे कर्मचारियों पर कुल कितना व्यय होता है और उनमें आकस्मिक कर्मचारियों सहित तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) मन्दी के समय कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कटौती करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) वर्ष 1972 के दौरान संसद् भवन में (i) सारा दिन खुला रहने वाले दुग्ध स्टाल तथा (ii) दुग्ध बार में विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थों की बिक्री का महीने वार ब्यौरे प्रदर्शित करने वाले दो विवरण संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-4264/73]**

(ख)

	कर्मचारी श्रेणी III		वेतन तथा भत्तों पर व्यय रु०
सारा दिन खुला रहने वाला दुग्ध स्टाल ।	प्रबन्धक (बिक्री)	1	18,398.20
	प्रबन्धक (प्रशासन)	1	
	श्रेणी IV		
	सेल अटेन्डेन्ट	3	
दुग्ध बार	**श्रेणी III**		10,941.80
	प्रबन्धक (प्रशासन)	1	
	श्रेणी IV		
	सेल अटेन्डेन्ट	3	
	मेट	1	

(ग) संसद का अधिवेशन न होने के समय कर्मचारियों की संख्या कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली शिक्षा विभाग में अस्थायी अनुसूचित जनजाति अध्यापक

814. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली शिक्षा विभाग में अस्थायी अनुसूचित जनजाति अध्यापकों के बारे में 7 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह सूचना कब तक सभा-पटल पर रख दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अधीन 1960 से कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अध्यापक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल स्कूलों में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों की प्रतिशतता

815. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री सेंट्रल स्कूलों में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों की प्रतिशतता के बारे में 7 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित सूचना अब तक एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) . विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । (अनुबन्ध) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4265/73]**

दिल्ली के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू करना

816. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितम्बर, 1971 को अध्यापक दिवस पर सार्वजनिक

तौर पर यह घोषणा की थी कि दिल्ली के अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेडों सहित पुनरीक्षित वेमनतानों को 27 मई, 1970 से लागू कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सेलेक्शन ग्रेडों को 27 मई, 1972 के बजाय 5 सितम्बर, 1971 से लागू किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). पहले शिक्षा मंत्री ने 5 सितम्बर 1971 को यह घोषित किया था कि परिशोधित वेतनमान 27 मई, 1970 से लागू होंगे और वार्षिक वेतन-वृद्धि की तिथि में बिना परिवर्तन किए, वेतन, परिशोधित वेतनमान में अगले उच्चतर स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने यह घोषित नहीं किया था कि सैलेक्शन ग्रेड भी 27 मई 1970 से लागू होंगे।

सरकार ने सैलेक्शन ग्रेड देने का निर्णय 5 सितम्बर 1971 को किया था और इसलिए सैलेक्शन ग्रेड उसी तिथि से लागू किए गए थे।

दिल्ली में पी० जी० टी० में कार्य कर रहे टी० जी० टी० के लोगों को सिलेक्शन ग्रेड से वंचित करना

817. **श्री राम नारायण शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों ने, जो पी० जी० टी० वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और जिनको 5 सितम्बर, 1971 से टी० जी० टी० वेतनमान में स्थायी बताया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी बनाये जाने के विरुद्ध, जिससे टी० जी० टी० वेतनमान में उनको सेलेक्शन ग्रेड से वंचित कर दिया गया है, के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) उनके अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Central Grants and Loans to Haryana for Increased Agricultural Production

818. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans provided to Haryana during the financial year 1971-72 for increasing agricultural production ; and

(b) the amount of grants and loans being provided during the financial year 1972-73 in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The procedure for release of Central assistance to State Governments for their plan schemes has been revised from 1969-70. Assistance is now released to State Governments in block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or programme. In 1971-72, a total grant of Rs. 470.34 lakhs and loan of Rs. 1097.46 lakhs were sanctioned to the Government of Haryana. Besides, a total grant

of Rs. 242.65 lakhs and loan of Rs. 6.00 lakhs were sanctioned for Central and Centrally Sponsored Schemes. In 1972-73, the assistance for the State Plan Schemes and for Centrally Sponsored Schemes will be released towards the close of the financial year on the basis of actual expenditure reported by the State Government. Over and above the Plan assistance, minor irrigation schemes with a total cost of Rs. 13.00 crores have been approved for the State during 1972-73 as a part of the Emergency Agricultural Production Programme. Till now, a loan of Rs. 7.827 crores has been released. Further, a sum of Rs. 3.5 crores is being provided as loan to the State Government during 1972-73 for accelerating some of their irrigation projects with a view to increasing agricultural production.

Central Grants and Loans to Punjab for Increasing Agricultural Production

819. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans provided to Punjab during the financial year 1971-72 for increasing agricultural production ; and

(b) the amount of grants and loans being provided during the financial year 1972-73 in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The procedure for release of Central assistance to State Governments for their Plan schemes has been revised from 1969-70. Assistance is now released to State Governments in block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or programme. In 1971-72, a total grant of Rs. 605.87 Lakhs and loan of Rs. 1413.68 lakhs were sanctioned to the Government of Punjab. Besides, a total grant of Rs. 58.18 lakhs was sanctioned for Central and Centrally sponsored schemes. In 1972-73, the assistance from the State Plan Schemes and for Centrally Sponsored schemes will be released towards the close of the financial year on the basis of actual expenditure reported by the State Government. Over and above the Plan assistance, minor irrigation schemes with a total cost of Rs. 15.25 crores have been approved for the State during 1972-73 as a part of the Emergency Agricultural Production Programme. Till now, a loan of Rs. 10.05 crores has been released.

Grants to Institutions in Shajapur District Madhya Pradesh

820. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the institutions in Shajapur district in Madhya Pradesh to which grants were given by the Department of Social Welfare during the financial year 1971-72 together with the amount of grant in each case ; and

(b) the names of institutions in the said District to which grants would be given during the financial year 1972-73 together with the amount of the grant to be given to each of them as also the number of institutions which have sought such a grant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 in Shajapur district :

1. Nehru Smriti Bal Mandir, Agar Malwa (Shajapur) .. Rs. 1,887.50
2. Family and Child Welfare Projects, Susner, District, Shajapur. .. Rs. 60,145.00

(b) Grants have been sanctioned by the Central Social Welfare Board to the following institutions in Shajapur district during 1972-73 (upto 20.2.1973) :—

1.	Nehru Smriti Bal Mandir, Agar-Malwa, Shajapur.	.. Rs. 2,057.50
2.	Mahila Mandal, Shajapur.	.. Rs. 35,025.00
3.	Family and Child Welfare Project, Susner, District, Shajapur.	.. Rs. 69,900.00

Information regarding actual number of institutions which have sought such a grant during this period is not readily available.

Grants to Gurukul Vidyalayas Located in Punjab, Haryana and Delhi

821. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare and Culture** be pleased to state the amount of grants given by his Ministry to the various Gurukul Vidyalayas located in Punjab, Haryana and Delhi during the financial years 1970-71 and 1971-72 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : A Statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT—4266/73]**

Shortage of Cereals in Delhi and New Delhi Fair Price Shops

822. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Fair Price Shops in Delhi and New Delhi area are not being given cereals according to the prescribed quota by Delhi Administration as a result of which the consumers could not get ration for many weeks ; and

(b) the measures proposed to be taken by Government so that ration could be made available to the consumers on the basis of their Ration Cards in time from the fair price shops ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). As there is no statutory rationing in Delhi, foodgrains are available in the open market. It is not a fact that foodgrains could not be supplied to cardholders for many weeks. Measures have been taken to ensure regular supplies of foodgrains to card-holders.

खुले बाजार में अनाज का उतारा जाना

823. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अनाज का आयात किया जा रहा है और इससे देश की आवश्यकता कब तक के लिए पूरी हो सकेगी ;

(ख) क्या सरकार ने अगस्त में खुले बाजार में अनाज से भारी भण्डार उतारने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनाज के मूल्यों को स्थिर किए बिना जबकि देश में बड़े पैमाने पर कमी की स्थिति है, ऐसे निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार के पास उपलब्ध स्टाक के अलावा, वर्ष 1973 के लिए सरकारी वितरण की जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का निर्णय किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेक्टर 12, आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेदिक चिकित्सालय

824. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर 12, आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेदिक चिकित्सालय यद्यपि बहुत ही लोकप्रिय है परन्तु वैद्यों द्वारा निर्धारित की गई औषधियां प्राय: उस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होतीं;

(ख) क्या वहां स्वीकृत संख्या में नियुक्त दोनों कम्पाउन्डर चिकित्सा कक्ष में कभी भी इकट्ठे नहीं मिलते हैं परन्तु एक बार में केवल एक ही कम्पाउन्डर मिलता है हालांकि इस तथ्य के बारे में चिकित्सालय के प्रमुख को सूचित किया जा चुका है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) राम कृष्ण पुरम सेक्टर 12 में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्यों द्वारा विहित दवाइयों के न मिलने के बारे में लाभार्थियों से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। हो सकता है कभी कोई दवाई स्टाक में खत्म हो जाय। ऐसी स्थिति में वह दवाई मार्किट से प्राप्त कर ली जाती है।

(ख) और (ग). नियमित आधार पर तीन भेषजज्ञों को इस औषधालय में तैनात किया हुआ है जिनमें से एक को भण्डार रखने/हिसाब किताब रखने का काम सौंपा हुआ है और शेष दो रोगियों को दवाइयां बांटते हैं। कभी-कभी उनमें से जब एक या दो भेषजज्ञ अचानक छुट्टी पर हो जाते हैं तो भन्डार वाले भेषजज्ञ को दवाई देने के काम पर लगा दिया जाता है। हो सकता हैं ऐसे अवसरों पर रोगियों को विहित दवाइयों के प्राप्त करने में अधिक समय लग जाने के रूप में कुछ कठिनाई हो जाती हो। फिर भी लाभार्थियों से अभी तक इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

ग्रेटर कैलाश भाग-II, नई दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये अनुमति

825. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि ग्रेटर कैलाश भाग-II में मकानों के निर्माण के लिए अनुमति दी जा चुकी है तो भी बिजली की सप्लाई तथा पानी की सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि वहां सड़कों पर रोशनी की घरों में रोशनी की तथा पानी की सुविधायें उपलब्ध हों ताकि निर्माण-कार्यों में प्रगति हो ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). दिल्ली नगर निगम ने उन सभी को पानी के कनेक्शन स्वीकृत कर दिये हैं जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया था। उन द्वारा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन की स्थापना द्वारा सप्लाई के दबाव में सुधार लाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पहले ही "ई" ब्लाक में बिजली की व्यवस्था कर दी है तथा उन द्वारा कालोनी के शेष ब्लाकों में बिजली देने के कदम उठाए गये हैं।

अनुरक्षण की लागत तथा बिजली की खपत के प्रभारों आदि को निवासियों की कल्याण समिति या नगर निगम के सामान्य विंग द्वारा वहन किये जाने के बारे में करारनामे के निष्पादन के लिए आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण "ई" ब्लाक में पहले लगाये गये सड़कों की बिजली के मेनस्विच संस्थान द्वारा चालू नहीं किये जा सके हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को मकान अलाट करने की योजना

826. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को मकान अलाट करने की योजना के बारे में 27 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1816 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग, मुनीरका और ईस्ट आफ कैलाश जैसी दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में 31 जनवरी, 1973 को मध्य आय वर्ग में उन भूतपूर्व सैनिकों को जिनके नाम प्रतीक्षा सूची हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) मुनीरका में बनाये गए फ्लैटों के लिए आवंटन पत्र कब तक मांगे जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने दिसम्बर, 1970 में दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में मध्य आय वर्ग में प्लाटों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र दिए थे,प्लाट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 27 नवम्बर, 1972 के बाद आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) लगभग तीन सप्ताह में।

(ग) तथा (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आम जनता से शीघ्र प्लाटों का आवंटन प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत प्लाट पहले ही अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों को आगे किराये पर देना

827. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री आर० के० पुरम में सरकारी क्वार्टरों को आगे किराये पर देने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4651 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में एक व्यापारिक कम्पनी के अधिकारी को आर० के० पुरम, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर को आगे किराये पर देने के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले तथा उक्त क्वार्टर के अलाटी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ; और

(ख) अलाटियों द्वारा गैर-सरकारी व्यापारिक कम्पनियों के अधिकारियों को अपने क्वार्टरों को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से आगे किराये पर दिये जाने के कदाचार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या निरोधक उपाय करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) रामकृष्ण पुरम सेक्टर VII, नई दिल्ली के क्वार्टर के सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल कर ली गई है तथा इसके आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सामान्य पद्धति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आवंटी को तारीख दे दी गई है तथा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई रूप से हो जाने के पश्चात अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) सामान्य पूल वास की उप-किरायेदारी के मामलों को पकड़ने के लिए सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी कालोनियों के अचानक निरीक्षण समय समय पर किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्वार्टरों को उप किराये-दारी पर दिये जाने के सम्बन्ध में लोगों से प्राप्त शिकायतों पर भी कार्यवाही की जाती है।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय ऋण-सहायता का उपयोग

828. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं के पूरे किए जाने के बारे में 27 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1973 के अन्त तक लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई 147.29 करोड़ रु० की सहायता राशि का कितने राज्यों ने पूरा उपयोग किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : चूंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है इसलिए इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि किन-किन राज्यों ने लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिये दी गई 147.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का पूर्णतः उपयोग कर लिया है।

लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 को लागू करने की तिथि

829. **श्री अम्बेश**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लाबुकसैलर्स एंड पब्लिशर्स" तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-6 जो भारत सरकार के

प्रकाशनों के अधिकृत व्यापारी हैं द्वारा प्रकाशित लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के पृष्ठ 5 पर "शार्ट टाइटल, एक्स्टेन्ट एण्ड कमेन्समेंट" शीर्षक के अन्तर्गत धारा एक की उपधारा (तीन) में यह उल्लिखित है कि धारा 11, 19 और 20 को छोड़कर यह अधिनियम 16 सितम्बर, 1958 से लागू समझा जायेगा ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के पृष्ठ 7 पर भी यह उल्लिखित है कि "धारा 11, 19 और 20 को छोड़कर यह अधिनियम 16 सितम्बर, 1968 से लागू समझा जायेगा" ;

(ग) यदि हां, तो इस अधिनियम के लागू किए जाने की सही तिथि क्या है ; और

(घ) उक्त पुस्तक में शुद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) अधिनियम को 16 सितम्बर, 1958 से लागू हुआ समझा जाता है, परन्तु धारा 11, 19, तथा 20 24-8-71 से लागू हुई अर्थात् 24 अगस्त, 1971 के भारत के विशेष राजपत्र भाग II खण्ड I, में अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से ये लागू हुईं ।

(घ) प्रकाशकों का ध्यान उनके प्रकाशन की अशुद्धियों की ओर दिलाया जायेगा ।

राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा में पूरी की गई परियोजनाएं

830. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1973 के अन्त तक निर्मित होने वाले छोटी सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए राज्यों को दी गई 147.29 करोड़ की केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा में कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए समस्त राज्यों के लिए 152.4 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा के लिए 6.6 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है । उड़ीसा सरकार द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	स्वीकृत की गई धन राशि (लाख रुपये)
1· 377 उठाव-सिंचाई परियोजनायें	150.00
2. 1000 ट्यूबवेलों को बिजली की सप्लाई	193.00
3. 48 जलाशय योजनाएं	225.00
4. हौजों का नवी-करण	40.00
5. नदी नालों पर आड़े बांध	27.00
6. जलाशय योजनायें (जिसमें उठाव सिंचाई भी शामिल है)	10.00
7. खेतों की नालियां	5.00
8. रिगों का क्रय	10.00
कुल	660.00

उपरोक्त परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को 482.30 लाख रुपये की धन राशि दी जा चुकी है ।

Irrigation works in Rajasthan due to Famine in 1973

831. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the broad outlines of irrigation works likely to be taken up in Rajasthan with the approval of the Centre in view of the acute famine condition prevailing there and the amount proposed to be spent on them during 1973 and also the amount proposed to be advanced by the Central Government as assistance as well as loan separately for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : To meet the situation arising from drought conditions in Rajasthan, the Government of India have accorded administrative approval for a loan assistance of Rs. 3.91 crores to Rajasthan for implementation of special minor irrigation programmes in the State, as indicated below :

		(Rs. in lakhs)
1. Revitalisation by blasting of 2600 wells	..	26.00
2. Drilling of 75 wells	..	2.25
3. Construction of 50 tube wells	..	15.00
4. Energisation of 5800 well and pumpsets	..	326.75
5. Drainage works in Chambal Command		20.70
Total :		390.70

Against this loan assistance, funds are being released to the State Government from time to time on the basis of the progress reported by them and, so far, an amount of Rs. 1.90 crores has been released.

Request from Rajasthan for Central aid to drain out water

832. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan have sent any scheme to the Centre for their approval or for financial aid to drain out the water from the deep wells by electricity and to utilise it for irrigation purpose during the drought ; and

(b) if so, the names of the schemes and the amount likely to be given by the Central Government as financial aid or loan for the said schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b). The information being collected and will be laid on the Table of the House.

More powers to Panchayats

833. **Shri M. C. Daga :**
Shri Balakrishna Venkannana Naik :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the experience gained by Government by handing over legal powers to the Panchayats in the country and whether Government propose to give more powers to the panchayats (Nyaya Panchayats) at national level on the basis of the said experiences ; and

(b) if so, the value of the suit as also the period of sentence for which Panchayats would be empowered to give decisions and if not, whether the Central Government will advise the States to restrict the rights of Nyaya Panchayats ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b). Nyaya Panchayat is the judiciary wing of Panchayati Raj and deals with minor local offences. Its powers and authority are regulated by the various State enactments which vary from State to State. The Panchayati Raj is a State subject and the State Government are fully empowered to enhance the powers of Nyaya Panchayats according to prevailing local conditions.

तमिल-नाडू के लिये उर्वरकों की शीघ्र सप्लाई का अनुरोध

834. **श्री बख्शी नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार से शीघ्र 30,000 टन उर्वरकों को सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). जी हां। जनवरी, 1973 में राज्य सरकार ने तत्काल 30,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की सप्लाई के लिये अनुरोध किया था और उस पर विचार किया गया था। साधारण तौर पर विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई उपलब्ध भंडारों में से आवंटन के अनुपात से की जाती है। तथापि, राज्य के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए जनवरी, 1973 में भारतीय खाद्य निगम, मद्रास को निर्देश दिया गया था कि जनवरी, 1973 में तमिलनाडू को विशेष रूप से उसके सामान्य हिस्से के अतिरिक्त 4,000 मीटरी टन पूल यूरिया सप्लाई कर दिया जाये जिससे कि तूफान-पीड़ित क्षेत्रों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जनवरी, 1973 के दौरान तमिलनाडू को लगभग 13,000 मीटरी टन नाइट्रोजन सप्लाई किया गया था जिसमें लगभग 7300 मीटरी टन नाइट्रोजन पूल से तथा लगभग 5700 मीटरी टन नाइट्रोजन देशी उत्पादकों से लिया गया था। मार्च, 1973 तक की अवधि के लिये वर्तमान आवंटनों के प्रति सप्लाई जारी है।

भारत सेवक समाज के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

835. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **कृषि** मन्त्री भारत सेवक समाज के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 7 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में उपभोक्ता वस्तुओं में बड़े पैमाने पर मिलावट

836. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल ही में अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में

मसाले, काली मिर्च, बेसन और वर्क जैसी उपभोक्ता वस्तुओं में बड़े पैमाने पर मिलावट का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो जनस्वास्थ्य के हित में इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दिल्ली में मिलावटी खाद्यान्नों के संदिग्ध स्रोतों से केन्द्रीय खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि मसालों, दूध से बनी चीजों, अनाजों और 'वर्क' (चांदी वर्क) में मिलावट है ।

(ख) राजधानी में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये दिल्ली नगर निगम ने अपने यहां एक पृथक सेल स्थापित कर दिया है ।

केन्द्रीय सरकार ने भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक पृथक सेल खोला हुआ है । इस सेल के कर्मचारी राजधानी में विभिन्न निर्माता एककों का निरीक्षण करते हैं, नमूना लेते हैं और जो व्यक्ति खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हैं । शिकायत प्राप्त करने के लिए एक अलग डाक बक्सा लगाया हुआ है ।

दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिये वहां से हटाये गये दुकानदारों का पुनर्वास

837. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में जामा मस्जिद दिल्ली के निकट के क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिये वहां से लगभग 500 दुकानदारों और उनके परिवारों को हटाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके अन्यत्र लाभकारी पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । तथापि, इन खोखों / दुकानों के लिए अन्य स्थान-निर्धारित करने के लिये एक योजना बनाने का प्रस्ताव है जो अब पूजा के इस महत्वपूर्ण स्थान तथा राष्ट्रीय स्मारक की सीढ़ियों पर और उसके आस-पास अस्त-व्यस्त ढंग से तथा अस्वास्थ्यकर स्थिति में व्यापार चला रहे हैं ।

राष्ट्रीय नेताओं के बारे में "टाइम कैपसूल" जमीन में गाड़ना

839. **श्री मूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की स्मृतियों का "टाइम कैपसूल" जमीन में गाड़ा जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राष्ट्रीय नेताओं और महापुरुषों सम्बन्धी ऐसे ही "टाइम कैपसूल" जमीन में गाड़ने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उन नेताओं और महापुरुषों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख). 30 जनवरी, 1973 को गांधी स्मृति पर एक "समय-संपुटिका" "(टाइम कैपसूल)" गाड़ी गई थी, जिसमें निम्नलिखित प्रलेख सामग्री है :—

(i) कांसे का ढला हुआ गांधीजी और कस्तूरबा का गोलाकार चित्र ।

(ii) गांधी स्मृति डाक-टिकट

(iii) "मेरे सत्य के प्रयोग" और "सभी लोग समान हैं"

(iv) गांधी जन्म शताब्दी सिक्के

(v) "अन्तिम यात्रा" की 16 एम. एम. की फिल्म

(vi) गांधी जी के चुने हुए भाषणों और संसार के नेताओं द्वारा गांधी जी को दी गई श्रद्धांजली के तांबे पर अंकित किए गए ध्वनि रेकार्ड

(vii) हाथ से काते हुए सूत की एक गुंडी, गांधी टोपी तथा एक तिरंगा झण्डा, जिसमें चर्खा बना हुआ है और गांधी जी के जीवन तथा कार्य से सम्बन्धित सामग्री ।

(ग) और (घ). इसी तरह की एक "समय-संपुटिका (टाइम कैपसूल)" 15 अगस्त, 1973 को लाल किले में गाड़ने का प्रस्ताव है जिसमें स्वतंत्रता के प्रथम 25 वर्षों का रिकार्ड होगा ।

कच्छ के बंजर क्षेत्र को हरे क्षेत्र में परिवर्तित करना

840. **श्री बेकारिया**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्छ की बंजर भूमि को हरे क्षेत्र में परिवर्तित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । फिर भी, राज्य सरकारों से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Ceiling on Urban Property Bill passed by States

841. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the names of States which have so far passed ceilings on urban property bills ;

(b) the details of ceilings fixed on urban property in respect of various States ;

(c) whether the Central Government have issued any directions to States in this regard ; and

(d) if so, the contents thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affiairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar.

(b) A statement is enclosed.

(c) No.

(d) Does not arise.

Statement

The Ceiling limits fixed by those States who have already enacted legislations in this regard are available in the respective legislations which have been published and are as follows :—

(1) **Jammu and Kashmir**		
(a) family consisting of 5 members.	..	Rs. 5 lakhs
(b) more than 5 members	..	Rs. 50,000/- for each additional member subject to a maximum of Rs. 7½ lakhs
(2) **Madhya Pradesh**		
(a) family consisting of single male or female whether married or not	..	Rs. 3 lakhs
(b) family consisting of 5 members	..	Rs. 4 lakhs
(c) more than 5 members	..	Rs. 25,000/- for each additional member subject to a maximum of Rs. 5 lakhs.
(3) **Bihar**		
(a) family of 5 members	..	Rs. 2 lakhs.
(b) more than 5 members	..	Rs. 20,000/- for each additional member subject to a maximum of Rs. 3 lakhs.
(4) **Rajasthan**		
(a) family of 5 members	..	Rs. 3 lakhs.
(b) more than 5 members	..	Rs. 25,000/- for each additional member subject to an overall maximum of Rs. 4 lakhs.

शीघ्र उर्दू शिक्षण केन्द्र

842. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीघ्र उर्दू शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों के कार्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सरकार को देश में इस समय किसी भी उर्दू केन्द्र के होने की जानकारी नहीं है ।

तथापि, सरकार ने पटियाला में प्रादेशिक भाषा शिक्षण केन्द्र स्थापित किया है, जहां माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को उर्दू सीखने में, तथा वही भाषा लगभग 9 से 10 महीनों में पढ़ाने में सहायता दी जाती है ।

भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बारे में जांच करने की मांग

843. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 29 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि भारत युवक समाज के चैयरमैन ने मांग की है कि भारत सेवक समाज के कार्यकरण की जांच की जाये, कि इसके विदेशी एजेंसियों के साथ कथित सम्पर्क है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सेवक समाज के विरुद्ध जांच करने की मांग के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बारे में जांच करने का आदेश दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास अखबार में जो छपा है उसके अलावा कोई सूचना नहीं है।

(ग) एक जांच आयोग भारत सेवक समाज के लेखाओं और मामलों की, जहां तक वे केन्द्रीय सरकार के ऋणों और अनुदानों से सम्बन्धित हैं, जांच कर रहा है ।

वर्ष 1971-72 के दौरान सहकारी समितियों के धन का दुर्विनियोग

844. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान सहकारी समितियों में राज्यवार धन के गबन और दुर्विनियोग के कितने मामलों का पता लगा ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) इस प्रश्न की विषय-वस्तु का प्रथमतः राज्य सरकारों और विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयकों से सम्बन्ध है । उनके क्षेत्रों में लागू कानून के अधीन यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके ध्यान में लाई गई शिकायतों पर वे कार्रवाई करें । केन्द्रीय सरकार भी इस स्थिति पर विचार कर रही है और विभिन्न स्तरों की सहकारी सोसायटियों में भ्रष्टाचार, खयानत, धन के गबन तथा दुर्विनियोग को रोकने के लिये अनेक उपायों पर विचार कर रही है । इस मामले में 24 व 25 जनवरी, 1973 को हुए राज्यों के सहकारिता मन्त्रियों के गत सम्मेलन में भी विचार किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा कारगर कार्यवाही करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं ।

वेतन दिवस को मद्यनिषेध लागू करने के बारे में प्रधान मन्त्री का सुझाव

845. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये इस सुझाव पर सरकार

ने विचार किया है कि वेतन दिवस को मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिए और शराब की दुकानें विश्वविद्यालय, कालेजों और कारखानों के निकट नहीं खोली जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार मद्यनिषेध की नीति का सामान रूप से समर्थन करती आ रही है। राज्यों को विशेष रूप से निवेदन किया गया है कि वे शराब की दुकानें, स्कूलों, कालेजों, राजपथों पवित्र स्थानों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेषतया जहां मजदूर और कमजोर वर्गों के लोग आवास करते हैं, के निकट न खोलें। उनसे यह भी निवेदन किया गया है कि वेतन दिवस को शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाय।

जर्मन जनवादी गणतन्त्र में एक शिष्टमण्डल का दौरा

846. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जनवरी, 1973 को जर्मन जनवादी गणतंत्र से तीन सदस्यीय एक शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) शिष्टमंडल ने मुख्यतया भारत और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के बीच सांस्कृतिक सहकारिता करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल के दौरे के पहले मूलपाठ को दोनों देशों की सरकारों ने स्वीकार कर लिया था। 15 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में करार पर हस्ताक्षर किये गये थे और इसमें प्रोफेसरों, विज्ञान और, प्रौद्योगिकी के विशषज्ञों, कलाकारों तथा नृत्य मन्डलियों के आदान-प्रदान पुस्तकों और प्रकाशनों, फिल्मों, वृत्त चित्रों तथा रेडियों और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, एक दूसरे के राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने, एक दूसरे के देश में पर्यटकों के अभ्यागमन इत्यादि के जरिए शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, खेलकूद, लोक स्वास्थ्य और जन साधनों के क्षेत्रों में सहकारिता के लिए व्यवस्था है।

अपंग और विकलांग व्यक्तियों को संख्या में वृद्धि

847. **श्री वीरेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपंग और विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) उन व्यक्तियों को समुचित डाक्टरी सहायता, रोजगार तथा पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं आदि देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विश्वसनीय तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो भी यह विश्वास किया जाता है

कि विकलांग व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गये हैं :

(1) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ फिजिकल मोडिशन एण्ड रिहेबिलिटेशन, बम्बई तथा सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली में पुनर्वास केन्द्र, चिकित्सा पुनर्वास प्रदान करते हैं ।

(2) फिजो-थ्रेपिस्टस, ओक्युपेशनल-थरेपिस्टस तथा परोस्थेटिक तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिये एक योजना शुरू की गई है ।

(3) 11 विशेष रोजगार कार्यालय, विकलांग व्यक्तियों को उचित रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं ।

(4) 4 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते हैं ।

(5) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले कुछ वर्कशापों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

(6) एक शैल्टर्ड वर्कशाप, नेत्रहीनों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र के भाग के रूप में कार्य करती है ।

समुद्री डीजल इंजनों का आयात

848. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकाओं और मछली पकड़ने के लिए पंजीकृत नौकाओं के मालिकों ने विशेष रूप से समुद्री डीजल इंजनों का आयात करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मछली पकड़ने की नौकाओं के लिये समुद्री डीजल इन्जन आयात करने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं ।

(ख) समुद्री डीजल इन्जनों के आयात पर आयात व्यापार नियंत्रण नीति लागू होती है । अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक के लिये बनाई गयी आयात नीति के अनुसार 400 अश्व शक्ति से अधिक के समुद्री डीजल इंजनों का आयात करने की अनुमति वास्तव में उनका प्रयोग करने वालों को तकनीकी विकास महानिदेशालय के परामर्श से दी जाती है । यंत्रचालित नौकाओं के लिये काम आने वाले इंजन सामान्यत: 20 से 100 अश्व-शक्ति तक के होते हैं और इन इन्जनों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है ।

गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजनाओं के लिये नियत की गई निधि का उपयोग

849. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने वर्ष 1971-72 में गन्दी बस्तियों को सुधारने सम्बन्धी योजनाओं

पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई 5 करोड़ रुपये की धनराशि में से अंशमात्र भी उपयोग नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस धन का उपयोग नहीं किया है और उनके द्वारा इस धन का उपयोग न करने के क्या कारण बताये हैं ?

संसदीय विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार की पुरानी योजना राज्य क्षेत्र में है तथा 1971-72 में केन्द्र से कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई थीं। तथापि, 1972-73 के दौरान गन्दी बस्तियों के वातावरण संबंधी सुधार की नई केन्द्रीय योजना उन 11 नगरों पर लागू की गई थी जिनकी प्रत्येक की आबादी आठ लाख से कम नहीं थी। इस योजना के अन्तर्गत 1471.13 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 833.87 लाख रुपये की राशि दे दी गई है।

चीते की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिए सहायता की अपील

850. **श्री पीलू मोदी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व वन्य जन्तु निधि के अध्यक्ष, नीदरलैंड के प्रिंस बरहार्ड के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने चीते की नस्ल को शीघ्र समाप्त होने से बचाने के लिये भारत, नेपाल और बंगला देश को सहायता देने के लिये विश्व से अपील की है ; और

(ख) चीते की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चीतों की सुरक्षा के लिये टास्क फोर्स ने भारत सरकार को "प्रोजेक्ट टाइगर" नामक एक बृहत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस परियोजना को 1 अप्रैल, 1973 से क्रियान्वित करने का विचार है। यह परियोजना देश के 9 चुनींदा आरक्षित स्थलों में (जहां चीतों की संख्या बढ़ाना सम्भव हो) प्रारम्भ की जायेगी और 6 वर्षों के दौरान कार्य पूरा करने के लिये उनकी व्यवस्था के लिये योजनाएं तैयार की जायेंगी। 'प्रोजेक्ट टाइगर' नामक रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Construction of Cochin Shipyard

851. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri A. K. Gopalan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) when the scheme for the construction of the Cochin Shipyard was approved ;

(b) the various kinds of material required for the construction of various major works there and progress in respect of each ;

(c) the position in regard to the agreements with the foreign companies ; and

(d) the time by which this yard is expected to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) and (c). The revised project report for construction of Cochin Shipyard was approv-

ed in October, 1969. An agreement with Mitsubishi Heavy Industries for construction of the shipyard was signed on 13.8.1970 and became effective from 1.10.1970.

(d) The different kinds of principal material required for construction of various major works and progress in respect of each are indicated below :—

Material	Total requirement	Total quantity received
1. Steel	About 30,000 tonnes	9,390 tonnes
2. Steel sheet piles	About 15,000 tonnes	12,000 tonnes
3. Tie Rod Assemblies	1,500 sets	1,500 sets
4. Cement	About 1,05,000 tonnes	5,600 tonnes

(d) The target date for completion of the Shipyard is 30th September, 1975.

जनवरी, 1973 में वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

852. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 से वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । सभी क्षेत्रों में वनस्पति के मूल्यों में 2 जनवरी, 1973 से 40 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी ;

(ख) यह वृद्धि कच्चे तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि जोकि पिछले सप्ताहों के दौरान वनस्पति के बनाने में प्रयुक्त हुए थे, होने के कारण हुई थी ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Construction of Roads

853. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total amount (in crores) which the Central Government has decided to give to the Madhya Pradesh Government for road construction during the financial year 1972-73 ;

(b) the cost (in crores) involved in the scheme sanctioned for the construction of inter-State road or roads of economic importance in Madhya Pradesh ; and

(c) whether the amount proposed to be given to Madhya Pradesh for the construction of roads during the financial year 1972-73 includes the amount meant for the construction of roads in dacoit-infested areas and if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) On the basis of the requirements received from the State Government, they were informed on the 24th June 1972 that a sum of Rs. 4 crores was available to them for expenditure on National Highways in the State during 1972-73. Out of this, a sum of Rs. 90.56 lakhs was allotted in July 1972 for utilisation on the works in progress till then, the balance being available for works yet to be sanctioned during the current financial year. Subject to adjustments in the light of the final requirements of the State Government, which are awaited, and the actual progress which might be indicated by the State Government, further allotments will be made on receipt of the final requirements.

In addition, in the light of the latest requirements of the State Government, funds amounting to Rs. 30 lakhs are available by way of loan assistance to the State Government on approved works under the Central Aid Programme of State Roads of Inter-State or Economic Importance during the current financial year provided the works have been sanctioned by the State Government.

Further, a sum of Rs. 53 lakhs is available to the State Government for approved road works during the current financial year from the Central Road fund.

(b) The total cost involved in the schemes under the Central Aid Programme of State Roads of Inter-State or Economic Importance approved during the 4th Five-Year Plan is Rs. 1.72 crores.

(c) The programme of Rs. 1.72 crores referred to in part (b) of the question includes inter-alia, schemes of a total cost of Rs. 97.50 lakh pertaining to roads in the dacoit infested areas. The sum of Rs. 0.30 crores earmarked for Centrally aided State Roads of Inter-State or Economic Importance in Madhya Pradesh during 1972-73 could also be utilised on roads in dacoit infested areas if the State Government so desire, provided these are sanctioned works.

Wheat Imported from USA under PL—480

854. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have imported wheat from the U. S. A. during November and December, 1972 under PL—480 ; and

(b) if so, the quantity and the total value thereof in rupees ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb. P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के विकास पर विचार गोष्ठी

855. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के विकास पर अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने इस आवश्यकता पर बल दिया था कि प्रादेशिक भाषाओं में वैज्ञानिक-परिभाषिक शब्दावली तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए तथा विज्ञान के विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषिक शब्दावलि अपनाने को भी प्राथमिकता देनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य तैयार करने पर आयोजित सेमिनार की सिफारिशें भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शीतलहर के कारण मृत्यु

856. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में शीतलहर के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) क्या शीत ऋतु में पटरी पर सोने वालों को दवाइयां आदि वितरित करने के लिए राज्यों को कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या निर्धनों को सहायता देने का कार्य किसी स्वयंसेवी एजेंसी को सौंपने का विचार है ताकि उन्हें शीत लहर का शिकार होने से बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में अपंग लोगों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने वाले संस्थानों का आम स्तर

857. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपंग लोगों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का आम स्तर यथोचित स्तर नहीं बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1972-73 के दौरान इन संस्थानों को कुल कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) दिल्ली में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग ने 1,43,647 रुपये की धनराशि मंजूर की है तथा दिल्ली प्रशासन ने 31 जनवरी, 1973 तक 1,41,600 रुपये मंजूर किये हैं ।

राजस्थान को खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए मुख्य मंत्री का अनुरोध

858. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गम्भीर संकट का सामना करने के लिए राज्य को तत्काल खाद्यान्नों

की सप्लाई करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से जोरदार अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 के दौरान राजस्थान को खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गई हैं :

	(हजार मीटरी टन में)
(1) गेहूं	36.6
(2) मोटे अनाज	14.2

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 151 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

859. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री सुरेन्द्र महन्ती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अर्थात् 1973 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 151 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना आरम्भ की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) 2 जनवरी, 1973 को सरकार ने इस योजना पर दो दिवसीय कोई गोष्ठी आयोजित की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाडी बासप्पा) : (क) इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) इस योजना में

(i) एम० बी० बी० एस० डाक्टरों और मिश्रित चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों ;

(ii) परा-चिकित्सा कर्मचारियों; और

(iii) ऐसी चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथिक के रजिस्टर्ड चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने की बात निहित है ।

देख रेख का काम तथा आगे चिकित्सा के लिए भेजे गये रोगियों की चिकित्सा का काम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा किया जाता है । इन चिकित्सकों को मानदेय दिया जायेगा और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटने के लिए वार्षिक 2000/- रुपये देने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस विचार गोष्ठी में कोई निश्चित सिफारिशें नहीं बल्कि मात्रा कुछ विचार व्यक्त किये गये थे। इसमें जो मुख्य मुख्य सुझाव दिये गये वे इस प्रकार हैं :

(i) रोगों के इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम पर अधिक जोर दिया जाये।

(ii) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाये और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाये।

(iii) पंजीकृत चिकित्सकों का पर्यवेक्षण अधिक कारगर हो।

(iv) पंजीकृत चिकित्सकों की प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि की जाये।

(v) परा-चिकित्सा कार्मिकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाये।

खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिये उपाय

860. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री राम कुंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा नष्ट अथवा बरबाद हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फसल की कटाई के बाद खाद्यान्नों को संभालने में होने वाली हानि के ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। कुछेक छुटपुट सर्वेक्षणों से एकत्रित उपलब्ध आंकड़े अत्यधिक थोड़े हैं और देश में खाद्यान्नों की क्षति का समूचा अनुमान लगाने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फसल की कटाई के बाद की अवधि में जिन परिस्थितियों में खाद्यान्नों की गहाई, ढुलाई और भण्डारण किया जाता है, उन स्थितियों में खाद्यान्नों की पर्याप्त क्षति होना लाजमी है।

(ख) किसानों के भण्डारण ढांचे ऐसे हैं जिनमें चूहों, पक्षियों, दीमक, कीड़े-मकोड़ों और नमी तथा तापमान से क्षति होती है।

(ग) 1. भारत सरकार ने भण्डारण की जरूरतें पूरी करने के लिये भण्डारण सुविधाओं का विकास करने हेतु व्यवस्थित योजनायें तैयार की हैं। गोदाम बनवाने के लिए बहुत से 'क्राश कार्यक्रम' तैयार किये गये हैं और इन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।

2. किसान स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण सुविधाओं का सुधार करने के लिए 40 लाख रुपये की एक योजना पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा मध्य प्रदेश और बिहार में लागू की गई हैं। इस योजना के अधीन, किसानों को आस्थगित भुगतान पर उन्नत भण्डारण बिन सप्लाई किए गए हैं। इस पर ब्याज नहीं लिया जाता है।

3. खाद्य विभाग द्वारा देश-व्यापी अनाज सुरक्षा अभियान चलाया गया है जिसके अधीन भण्डारण और कीट नियन्त्रण की वैज्ञानिक विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार कार्यक्रम चालू किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार

861. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न विक्रेता संघ ने भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के थोक व्यापार को सौंप देने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन संघ ने खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) उनके मुख्य कारण संलग्न विवरण में दिए जाते हैं ।

विवरण

खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने के सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन संघ द्वारा पेश किये गए मुख्य कारण ।

1. खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने का सरकारी निर्णय राष्ट्रीयकरण की आवश्यक भावना के विरुद्ध है क्योंकि खाद्यान्नों का व्यापार न तो एकाधिकार है और न ही यह कुछ ही हाथों में केन्द्रित है ।

2. खाद्यान्नों के व्यापारी शताब्दियों से लोगों की मूल्यावान सेवा करते रहे हैं और आपात-कालीन स्थिति के दौरान भी देश के दूरवर्ती भागों में खाद्यान्नों का वितरण करते रहे हैं ।

3. सरकार द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने का निर्णय हाल ही में मूल्यों में वृद्धि से अभिप्रेरित हैं । यह मूल्य वृद्धि सूखे, प्राकृतिक विपदाओं और उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप हुई है और न कि खाद्यान्न व्यापारियों के गड़बड़ी से वृद्धि हुई है ।

4. उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचोलिये का होना लाजमी है और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में यह नितान्त अपरिहार्य है ।

5. सरकारी प्रबन्ध में प्रासंगिक खर्चें निजी व्यापारियों की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं । सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है ।

6. व्यापारियों ने वर्षों से बाजार में वित्तीय और सामाजिक साख पैदा कर ली है जबकि सरकारी अधिकारियों में काश्तकारों के साथ व्यवहार करने में वैयक्तिकता की कमी रहती है ।

7. सुगम उपलब्धता की दृष्टि से थोक-व्यापार लेने की योजना के अधीन बढ़िया माल लेने वाले उपभोक्ताओं को तकलीफ होगी ।

8. खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने के प्रस्ताव से अनेक कठिनाइयां पैदा होगी जैसे कि लगभग 50 लाख व्यापारियों, दलालों, एजेन्टों, श्रमिकों आदि की भारी बेरोजगारी और लगभग

3,000 करोड़ रुपये की सरकारी निधि के निवेश के अलावा अतिरिक्त भण्डारण और कुशल हैण्डलिंग की समस्याएं भी पैदा होंगी ।

मछली पकड़ने की यंत्रचालित नौकाओं के चालकों के विरुद्ध शिकायतें

862. **श्री बी० वी० वायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तट पर कार्य कर रहे मछली पकड़ने की यंत्रचालित नौकाओं के चालकों के विरुद्ध उनके कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक राज्य में मछली पकड़ने की यंत्रचालित नौकाओं के चालकों के बीच कुछ विवाद होने के सम्बन्ध में हाल ही में एक शिकायत मिली थी ।

(ख) यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार के दायरे में आता है और यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार इस मामले में समुचित कार्यवाही कर रही है ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अनुपात में कमी

863. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात वर्ष 1901 से निरन्तर कम होता जा रहा है ;

(ख) क्या इस कमी से सामाजिक चिन्ता नहीं होनी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के उपचार के बारे में विशेषज्ञों को क्या राय है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां, 1941-51 दशक के दौरान हुई कुछ वृद्धि को छोड़कर ।

(ख) और (ग). यह एक चिन्ता का विषय है । यह महसूस किया जाता है कि मातृ और शिशु सम्बन्धी अच्छी देखभाल से पुरुष-स्त्री का अनुपात यथासमय सुधर जाएगा ।

Change in Education Policy

864. **Shri Narendra Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the number of illiterate persons is still 38 crores and 60 lakhs in the country even after 25 years of the Independence ;

(b) if so, the reasons for this slow pace of progress ;

(c) whether Government propose to make changes in the Education policy in view of this slow progress and if so, the outlines thereof ; and

(d) the reaction of the State Gnvernments in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to Census of 1971, the number of illiterates including age-group 0-4 is 38 crores 74 lakhs. However, excluding age-group 0-4 there are 30 crores and 90 lakhs illiterates.

(b) The large increase in population and the large drop-outs in primary education are the main causes.

(c) The main strategy to be adopted for eradication of illiteracy in the Fifth Five Year Plan emphasises the following programmes :—

(1) The provision of universal primary education in the age-group 6-14 by 1980-81 ;

(2) Liquidation of illiteracy in the age-group 15-25 ;

(3) Linking of literacy programmes with employment programmes ; and

(4) Development of literacy programmes amongst adults through voluntary services especially by college students.

(d) The Central Advisory Board of Education in which all the State Governments are represented, has generally approved the above strategy.

मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिये प्रतिव्यक्ति शुल्क कैपीटेशन फीस पर प्रतिबन्ध लगाना

865. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री के० बालदन्डायुतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भुवनेश्वर में स्वास्थ्य परिषद की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन का परिणाम क्या रहा ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन फीस) पर प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया था ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की दसवीं बैठक 31 जनवरी और 1 फरवरी 1973 को भुवनेश्वर में हुई थी।

(ख) इस सम्मेलन में चिकित्सा जन स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हुई और इन विषयों के बारे में केन्द्रीय व राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ एवं कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए गए।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार मेडिकल कालेजों में दाखिला लेने के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) लगाने की प्रथा के पक्ष में नहीं है। उसने अनेक बार राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपनी पूर्व अनुमति के बिना घटिया स्तर के मेडिकल कालेजों के खोलने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए

कोई कानून बनाने पर विचार करे। बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों में इस विषय पर आवश्यक कानून बना लिए है। किन्तु इस दिशा में अन्य राज्यों से कोई अनुक्रिया न मिलने के कारण तथा चिकित्सा शिक्षा का समुचित स्तर बनाये रखने के हित में इस विषय पर सारे देश में एक जैसे कानून की आवश्यकता महसूस होने के कारण केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि राज्य सूची के इस विषय पर संविधानिक अपेक्षा के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य विधान सभाएं / परिषदें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करें और इस प्रकार संसद विषय पर शक्ति प्राप्त करने के बाद आवश्यक कानून बनाए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य सरकारों को लिख रही है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

866. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, आटा, गेहूं जैसे खाद्यान्नों तथा चीनी के मूल्यों में गत पांच महीनों की तुलना में अब वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 5 महीनों पहले उक्त मूल्य कितने थे तथा अब इनमें किस अनुपात में वृद्धि हुई है ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इन वस्तुओं के चालू मूल्य पिछले पांच महीनों में चल रहे मूल्यों की अपेक्षा आमतौर पर ऊंचे हैं लेकिन बिहार, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के भागों में चावल के मूल्य अपेक्षाकृत कम है, बिहार में गेहूं और आटे के मूल्य उसी स्तर के आसपास हैं और खुले बाजार में चीनी के मूल्य असम और महाराष्ट्र में मामूली कम हैं।

(ख) 15 सितम्बर, 1972 और 16 फरवरी, 1973 को चावल, आटा, गेहूं और चीनी के खुदरा मूल्य और उनमें कितनी वृद्धि हुई, बताने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4267/73]**

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं—(क) उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों का वितरण सशक्त बनाना (ख) सारा सरकारी स्टाक उचित मूल्य की दुकानों से वितरित करना (ग) गेहूं के पदार्थों के थोक तथा खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण लागू करना और उचित मूल्य की दुकानों से इनके वितरण को विनियमित करना (घ) इस समय लागू नियामक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना (ङ) अतिथि नियन्त्रण आदेश लागू कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना और (च) चावल और गेहूं का थोक व्यापार लेना ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर इन अनाजों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

गांवों में पेय जल में हैजा के कीटाणु

868. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई गांवों के पेय जल में हैजा के कीटाणु हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) इस बारे में देश में कोई आम सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, निरोधी चिकित्सा संस्थान हैदराबाद ने आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद, निजामाबाद तथा खम्मम के जिलों में असुरक्षित जल सप्लाई का निरीक्षण किया। इस अध्ययन में निरीक्षण किये गये 230 नमूनों में से 40 नमूनों में वाइब्रों कालरा (एन० ए० जी०) पाये गए।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, देश में लगभग 33,857 गांव ऐसे क्षेत्र में थे जहां हैजा एक स्थानीय बीमारी है।

(ग) ग्रामीण जल-सप्लाई राज्य क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। राज्य सरकारों / संघ क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों को सुरक्षित जल की सप्लाई करने में प्राथमिकता दें, जहां हैजा एक स्थानीय बीमारी है।

1971-72 से आरम्भ की गई, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति नामक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उन ग्रामों को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है, और इनमें वे ग्राम भी शामिल हैं जहां हैजा एक स्थानीय बीमारी है।

भारत में अन्धे होने की घटनायें

870. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22 जनवरी, 1973 को समाचार पत्रों में छपे उस समाचार को देखा है जिसमें रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार दी ब्लाइन्ड, लन्दन के निदेशक, मिस्टर जान विल्सन के 33 वें अखिल भारतीय नेत्र चिकित्सा सम्मेलन में दिए गए इस आशय के भाषण का उल्लेख है कि भारत में प्रतिवर्ष 12,000 शिशु आंखों के कुपोषण के कारण अन्धे हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हर छः मास में विटामिन ए की 2,00,000 आई० यू० की एक भारी खुराक तेल के साथ खिलाने से सम्भवतया बच्चों को विटामिन ए की कमी से बचाया जा सकता है। विटामिन ए की काफी कमी वाले क्षेत्रों में 5 वर्ष तक की आयु के एक करोड़ बीस लाख बच्चों के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा हैं। इसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली की सब्जियों का विषाक्त होना

871. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1972 के 'नेशनल हैराल्ड' में दिल्ली की एक चौथाई सब्जियों का विषाक्त होना शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इन सब्जियों में डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० का अंश अधिक पाया जाता है और दिल्ली क्षेत्र से लिए गए मक्खन के नमूनों में कीटनाशक दवाओं का अंश निश्चित मात्रा से अधिक पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बेची जाने वाली सब्जियों में डी० डी० टी० तथा बी० ए० सी० का अंश होने के सम्बन्ध में छोटे पैमाने पर एक अध्ययन करने का कार्य अपने हाथ में लिया था । इस सिलसिले में 1972 में 8 सब्जियों के 60 नमूने लेकर उनका विश्लेषण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप यह पाया गया कि लगभग 25 प्रतिशत नमूनों में डी० डी० टी० या बी० एच० सी० के अंश खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व-स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित सीमाओं से अधिक है । स्वास्थ्य मंत्रालय, जोकि खाद्य मिलावट अधिनियम को क्रियान्वित करता है, भी सब्जियों में कीट नाशक औषधियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करता रहा है । बाजार से इकट्ठी की गई सब्जियों में कीट नाशक औषधियों के अंश का अनुमान लगाने के लिए नियमित आधार पर कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं किया गया है । कीट नाशक औषधि अधिनियम लागू करके एक केन्द्रीय कीट-नाशक औषधि प्रयोगशाला और अन्य कीटनाशक औषधि परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं, जोकि विभिन्न फसलों में कीटनाशक औषधियों के अंश की जांच करेंगी ताकि इन्हें निर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर रखा जा सके । इस अधिनियम के लागू होने से देश में विभिन्न कीटनाशक औषधियों की आयात विनिर्माण, बिक्री, वितरण और प्रयोग का भी नियमन किया जा सकेगा जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके ।

राज्यों में उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्यान्नों की कमी

872. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री भोला मांझी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि प्रत्येक राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्नों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सप्लाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धि को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से देने के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की उचित मात्राएं सप्लाई की जा रही हैं।

(ग) सप्लाई स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपाय ये हैं – (क) सप्लाई करने वाले सभी सरकारी स्टाक को केवल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से देना ; (ख) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं के उत्पादों के वितरण को विनियमित करना ;

(ग) अथिति नियंत्रण आदेश लागू करके खाद्यान्नों की खपत पर नियंत्रण रखना ;

(घ) खाद्यान्नों की सीमित मात्रा आयात करना ; और (ङ) अधिप्राप्ति कार्य बढ़ाना।

बिहार का खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने को तैयार होना

873. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि वह खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में बिहार राज्य को कोई सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) किस प्रकार की सहायता दी जायेगी तथा बिहार सम्भवत: कब खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में ले लेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से परामर्श करके राज्य सरकारों की वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण

874. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने सम्बन्धी अपने निर्णय को सरकार क्रियान्वित नहीं कर रही है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपनी कठिनाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या क्या कठिनाइयां हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा उल्लिखित मुख्य कठिनाइयां खाद्यान्नों की अतिरिक्त

जरूरतें, गोदामों की कमी, ढुलाई, कार्यचालन पूंजी, स्टाफ और परिणामी बेरोजगारी की समस्या से सम्बन्धित है। इन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से इनकी जांच की जा रही है।

अनाज के व्यापार को नियंत्रण में लेने को विफल करने की कार्यवाही

875. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1973 के ब्लिट्ज में "शेम: सेबोटज आफ ग्रेन ट्रेड टेक ओवर" (शर्मनाक: अनाज के व्यापार को नियंत्रण में लेने को विफल करने की कार्यवाही) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट का उद्देश्य कुछेक समाचार पत्रों में लगाये गये इन आरोपों को प्रकाश में लाना है कि विश्व बैंक सरकार द्वारा अनाज व्यापार लेने को विफल बना रहा या रुकावट डाल रहा है।

(ग) सरकार ने इन आरोपों को अस्वीकार कर दिया है।

डाक्टरों में बेरोजगारी की स्थिति

876. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डाक्टरों की भरमार है जिसके कारण डाक्टरों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) हमारी जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और संघीय जर्मन गणराज्य में जनसंख्या की तुलना में डाक्टरों का अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत में डाक्टरों की ऐसी कोई भरमार नहीं है जिसके कारण डाक्टरों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। देश में और खासकर ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की आम कमी है।

(ख) और (ग). सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	देश का नाम	वर्ष	डाक्टर-जनसंख्या अनुपात
1.	अमरीका	1969	1:640
2.	रूस	1970	1:420
3.	ब्रिटेन	1970	1:820
4.	फ्रांस	1970	1:750
5.	संघीय गणराज्य जर्मनी	1970	1:580
6.	भारत	1970-71	1:4730*

*कितनी जनसंख्या पर कितने डाक्टर उपलब्ध हैं इसके बारे में वे आंकड़े सही संकेत नहीं देते हैं क्योंकि शहर और देहात के बीच डाक्टर और जनसंख्या के अनुपात में एक असंतुलन है।

चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने तथा केरल के लिये अलग चीनी क्षेत्र बनाने के लिये केरल की मांग

877. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित किया जाये तथा केरल के लिये अलग चीनी क्षेत्र बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या है ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शर सिंह) : (क) और (ख). जी हां, राज्य सरकार ने 1972-73 के लिए केरल की मिलों के चीनी-उत्पादन के लिये अधिक निकासी मूल्य निर्धारित करने और केरल के लिये अलग चीनी-मूल्य-क्षेत्र बनाने के लिये कहा है ।

(ग) 1972-73 के उत्पादन के लिये केरल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम के संयुक्त क्षेत्र के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा 1969 की अपनी रिपोर्ट में सुझाये गये ढांचे के अन्दर अस्थाई तौर पर निर्धारित किये गये लेकिन उसमें गन्ने के मूल्य में वृद्धि, अधिक बोनस और बैंक की उधार दर आदि में वृद्धि सहित चीनी तैयार करने की लागत में ज्ञात वृद्धि की इजाजत थी । टैरिफ आयोग ने चीनी उद्योग के लागत-ढांचे के बारे में हाल ही में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह विचाराधीन है । उस पर लिए गये निर्णय को दृष्टि में रखते हुऐ राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाएगा ।

Cheap Medical Facilities for Rural Population

878. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the rural population in the villages is unable to get easily accessible and cheap medical facilities ; and

(b) if so, the particulars thereof and the action taken during the last three years in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). In the rural areas free medical facilities are given through a net-work of primary health centres and sub-centres spread all over the country. On an average a primary health centre with its sub-centres covers a population of 80,000 to 1,00,000 and about 100 villages. At present there are 5195 primary health centres and about 30,000 sub-centres in the country to deliver preventive, curative and promotional health care services. However, 200 more primary health centres are expected to be established by the end of 1973-74.

In addition to primary health centres and sub-centres there are rural dispensaries of different systems of medicines, both modern and indigenous which also cater to the needs of the rural population.

It is also proposed to bring specialised medical services to the door steps of the rural people by upgradation of 200 selected primary health centres to 30 bedded rural hospitals during the last year of the fourth five year plan as advance action for the Fifth Five Year Plan.

कृषिक पुनर्वित्त निगम के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा पुनर्वित्त पोषित कृषि योजनाएं

879. **श्री बालदण्डायुतम्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन कृषि योजनाओं के नाम क्या हैं जिनका पुनर्वित्तपोषण, कृषि पुनर्वित निगम के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) उक्त संघ ने इन योजनाओं के लिये कुल कितनी सहायता मंजूर की है ;

(ग) इस सहायता के साथ क्या शर्तें रखी गई हैं ; और

(घ) मंजूर की गई सहायता में से कितनी सहायता का भुगतान अब तक किया जा चुका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा निम्नलिखित 9 कृषि परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है :

1. गुजरात कृषि ऋण परियोजना
2. पंजाब ,, ,, ,,
3. आंध्र प्रदेश ,, ,, ,,
4. हरियाणा ,, ,, ,,
5. तमिलनाडु ,, ,, ,,
6. कृषि विमानन ,, ,, ,,
7. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना
8. मैसूर ,, ,, ,,
9. बिहार कृषि विपणन ऋण परियोजना

(ख) आशा है कि इन परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत सरकार को 2369.00 लाख डालर अर्थात् 172.23 करोड़ रुपये की कुल सहायता मिलेगी ।

(ग) मुख्य शर्तों का सम्बन्ध (1) आसान अदायगी (2) ब्याज की दर तथा (3) विनियोजन की विभिन्न मदों के संबंध में ऋण प्रदान करने की अवधि से है । अलग-अलग किस्म की परियोजनाओं पर अलग-अलग शर्तें लागू होती हैं । तकनीकी शर्तों का सम्बन्ध मुख्यतः भूमिगत जल विकास के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का निरीक्षण करने के बाद लघु सिंचाई के लिये और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उठाऊ सिंचाई के लिये दिये जाने वाले ऋणों से है ।

(घ) इन परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता के रूप में अब तक 451.4 लाख डालर (32.82 करोड़ रुपये) की राशि मांगी गई है । यह राशि कृषि पुनर्वित्त निगम को उधार दी जा रही है ।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण के निर्णय का क्रियान्वयन

880. **श्री बालदण्डायुतम :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने के निर्णय की क्रियान्विति करने के लिए राज्य सरकारों ने कोई कदम उठायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन राज्य इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं ; और

(ग) इन राज्यों में कब तक अधिग्रहण हो जाने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारें गेहूं और चावल के थोक व्यापार को लेने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से थोक व्यापार को लेने के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। गेहूं का थोक व्यापार गेहूं के विपणन मौसम 1973-74 से लिया जायेगा और इसके बाद चावल का थोक व्यापार लिया जायेगा।

दिल्ली की उचित दर दुकानों से गेहूं और आटे का गायब होना

881. **श्री के० बालदण्डायुतम :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली की उचित दर दुकानों से गेहूं और आटा गायब हो गया है ;

(ख) क्या उचित दर दुकानों पर भी इन चीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऊंची कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) वास्तविक कार्डधारियों को निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों की नियमित रूप से जांच पड़ताल की जा रही है।

धेला सोमनाथ मन्दिर को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

882. **श्री बेकारिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडाल स्थित "धेला सोमनाथ" का मन्दिर 500 वर्ष से अधिक पुराना है ;

(ख) क्या इस मन्दिर की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राचीन स्मारक और पुरातत्वस्थान और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन इस मन्दिर को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। पुराना "धेला सोमनाथ" मन्दिर अब मौजूद नहीं है। पुराने मन्दिर के स्थल पर निर्माण किया गया विद्यमान मन्दिर आधुनिक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य गुजरात के पत्तनों की उपेक्षा

883. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य गुजरात के पत्तनों की उपेक्षा के बारे में 30 दिसम्बर, 1972 के 'वेस्टर्न' टाइम्स', अहमदाबाद में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) मामला गुजरात सरकार से सम्बन्धित है और यह पता चला है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण सम्बंधी गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट

884. **श्री बेकारिया :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों की जांच के लिये नियुक्त गजेन्द्रगडकर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मामलों की जांच करने के लिये स्थापित की गई गजेन्द्र-गडकर समिति ने 19 जनवरी, 1973 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Compulsory Primary Education

885. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the States which have made primary education compulsory ;

(b) the reasons for which the remaining States have not made primary education compulsory ; and

(c) whether the Central Government have taken any action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the available information Compulsory Primary Education Acts are available in all the States except Manipur, Nagaland and Tripura. As for Union Territories, such legislation is available for Delhi, A and N Islands and Chandigarh. But in actual practice compulsion has not been enforced in most States having the legislation.

Compulsion is not practicable under the present socio-economic conditions.

(b) States which have no legislation for compulsory primary education appear to hesitate to bring in legislation as the advantages to be derived are not commensurate with the effort to be made.

(c) In the draft proposals for the Fifth Five Year Plan the question of providing Free and Universal Primary Education for children in the age group 6-11 by 1978-79 and for those in the age group 11-14 by 1983-84 is under consideration. Since school education is a State subject, efforts are being made to tackle this problem with the cooperation of all the State Governments. Greater use will be made of part-time, own-time and informal education to extend the benefits of education to all the children in the age group 6-14.

विदेशों से खाद्यान्न का आयात

886. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न आयात करने की योजना है ;

(ख) आयात की लागत क्या होगी ;

(ग) क्या उक्त आयात सामान्य वाणिज्यिक आधार पर किए जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). इस वर्ष के दौरान 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का आयात करने का विचार है। इसमें से 15 लाख मीटरी टन खाद्यान्न 116.32 करोड़ रुपये में खरीदा गया है जिसमें कुल अनुमानित लागत और भाड़ा शामिल है शेष मात्रा की लागत खरीदारी के समय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

कनाडा, अमरीका तथा अर्जनटायना से खाद्यान्नों की खरीद संबंधी मुख्य-मुख्य बातें दर्शाने वाला विवरण

वस्तु	देश	मात्रा (लाख टनों में)	मूल्य रेन्ज (प्रति मीट्रिक टन)
गेहूं	कनाडा	4.68	$90.57-97.136 (रुपये 659-707) पोत पर्यन्त मूल्य
,,	अर्जनटायना	0.93	$96.35 (रुपये 701) पोत पर्यन्त मूल्य
	अर्जनटायना	1.02	$111.35 (रुपये 811) लागत और भाड़ा
माइलो	,,	0.21	$78.75 (रुपये 573) पोत पर्यन्त मूल्य
गेहूं	अमरीका	3.35	$99-106.25 (रुपये 721-773) पोत पर्यन्त मूल्य
माइलो	,,	4.79	$70.52-79.30 (रुपये 513-577) पोत पर्यन्त मूल्य

(दर — 1 डालर= 7.279 रुपये)

राज्यों में गन्ने तथा चीनी की उत्पादन लागत

887. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में गन्ने तथा चीनी पर आने वाली उत्पादन लागत कितनी है तथा खर्चे की मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) **गन्ना**

प्रमुख गन्ना-उत्पादक राज्यों के बारे में इस समय गन्ने की उत्पादन-लागत के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वह बाद के "पंशाचत्" से संबंधित हैं। फार्म प्रबन्ध की इक्नामिक्स में किए गए अध्ययनों के आधार पर चुनींदा जिलों के बारे में 'षष्टि' से सम्बन्धित बाद के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिला/राज्य	अवधि	किस्म	कुल लागत *
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	1966-67 से 1968-69	**सिंचित**	
		(क) रोपी गई	4.59
		(ख) पेड़ी	3.58

* कुल लागत में नकदी और वस्तु के रूप में वास्तव में हुए खर्चों के अलावा, परिवार श्रम की आरोपित लागत, अपनी भूमि का जमाबन्दी मूल्य और अपनी स्थायी पूंजी पर ब्याज शामिल है ।

जिला/राज्य	अवधि	किस्म	कुल लागत
देवरिया (उत्तर प्रदेश)	1966-67 से 1968-69	**सिंचित**	
		(क) रोपी गई	5.07
		(ख) पेड़ी	4.83
		असिंचित	
		(क) रोपी गई	5.25
		(ख) पेड़ी	4.85
रोहतक, करनाल तथा जींद तहसील (हरियाणा)	1961-62 से 1963-64	**सिंचित**	2.91

उपर्युक्त उल्लिखित जिलों में गन्ने की प्रति हैक्टर खेती की कुल लागत का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4268/73]**

हाल ही में गन्ने सहित प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना शुरू की है :

ख–चीनी

हाल ही में टैरिफ आयोग ने चीनी उद्योग के लागत ढांचे का अपना अद्यतन अध्ययन पूरा किया है और उस पर कार्यवाही पूरी करने के शीघ्र बाद चीनी के उत्पादन की लागत को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेने के निर्णय के क्रियान्वयन की लागत

888. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेने की योजना की संभावित लागत क्या है ; और

(ख) सरकार यह खर्च किस प्रकार जुटायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). गेहूं के थोक व्यापार को लेने के लिए वित्तीय और अन्य आवश्यकताओं के ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं। गेहूं और चावल के व्यापार को लेने में निहित धनराशि मुख्य बैंकों द्वारा लगाई जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के निष्कासित विद्यार्थियों के मामलों पर पुनर्विचार

889. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के निष्कासित किए गए चार विद्यार्थियों के मामलों का पुनर्विलोकन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). छात्रों के निष्कासन सहित, हाल ही के संकट से उत्पन्न सभी समस्याओं की जांच करने तथा कार्यकारी परिषद के विचारार्थ कुलपति को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए विश्वविद्यालय ने 24 सदस्यीय एक छात्र-अध्यापक समिति नियुक्त की है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

Families Owning Land between 5 and 18 Acres

890. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise number of families in the country which have more than 18 acres of land;

(b) the State-wise number of families in the country which have less than 5 acres of land;

(c) whether any such scheme has been formulated by Government that the families having less than 5 acres of land may be provided 18 acres of land and those families having more than 18 acres may have only 18 acres of land; and

(d) if so, the salient features of the Scheme and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) and (b). On the basis of the 17th Round National Sample Survey (1961-62), a statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. L.T.-4269/73]**

(c) No.

(d) According to the national guidelines formulated by the Government of India in the light of the recommendations of the Chief Ministers' Conference on the Ceiling on Agricultural Holdings held in July, 1972, the intention is to make surplus land available to landless agricultural persons, giving priority to scheduled castes and scheduled tribes.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में जे० जे० कालोनी की एक महिला की मृत्यु

891. **श्री लालजी भाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टर द्वारा टीका लगाने में लापरवाही बरतने से केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में जनवरी के महीने में जे० जे० कालोनी की एक महिला की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख). नानकपुर, पटेलनगर II, इन्द्रपुरी, राजौरी गार्डन, शाहदरा और शकूरबस्ती में स्थित जे० जे० कालोनियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चलाये जा रहे औषधालयों में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। फिर भी, 9 जनवरी, 1973 को वजीरपुर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे औषधालय में स्ट्रेप्टोपेनसीलीन की एक परीक्षण खुराक दिये जाने के बाद मामचन्दी नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई थी। 9 जनवरी, 1973 को दिन के साढ़े 10 बजे वजीरपुर की जे० जे० कालोनी में स्थित औषधालय में लगभग 45 वर्ष की यह रोगी आई। कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी ने उसकी जांच की और निम्नलिखित दवाइयां निर्धारित की :—

1. पेनसीलीन इन्जेक्शन-स्ट्रप्टोमाइसीन- $\frac{1}{2}$ मि० ग्रा० संवेदनशीलता की जांच के बाद 1/14 ओ० डी०
2. ए० पी० सी० गोलियां—एक एक गोली दिन में तीन बार।
3. एम० वी० गोलियां—1 गोली ओ० डी०
4. मिशकफ सेड—1 औंस दिन में तीन बार।

इसके फलस्वरूप वह औषधालय के इन्जेक्शन कक्ष में गई और वहां उसे तरल दवाई की 0.1 मि० लि० की जांच खुराक दी गई। उसी वायल में से तकरीबन 4-5 दूसरे रोगियों को भी एक-एक जांच-खुराक दी गई। लगभग 15 मिनट के बाद उस रोगी के साथ आई हुई एक महिला सम्बन्धी डाक्टर के पास गयी और उसने रोगी को देखने के लिये निवेदन किया क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं थी। डाक्टर बाहर गया और रोगी को निपात की स्थिति में पाया। दूसरा डाक्टर भी आ गया और तत्काल इलाज आरम्भ कर दिया। तुरन्त इन्जेक्शन एडरनेलाइन / अम्प० और इन्जेक्शन कोरामिन / अम्प० दिये गये। उस रोगी की हालत का अन्दाजा लगाकर इन्हीं इन्जेक्शनों को आधा घंटे के बाद फिर दिया गया। चूंकि उसकी हालत नहीं सुधरी, इन्जेक्शन एडरनेलाइन इन्टरा-कारडियक फिर दिया गया और वाह्य कारडियक मालिश शुरू कर दी। इस इलाज के बाद भी रोगी की दशा नहीं सुधरी और दिन के 1 बजकर 10 मिनट पर दुर्भाग्यवश उसने दम तोड़ दिया।

चिकित्सा अधिकारी ने जो इलाज किया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन 1968 खण्ड 38 संख्या 2 के बिल्कुल अनुकूल है जिसमें पेनसीलीन प्रतिक्रिया के मामले से सम्बन्धित इलाज की कार्यविधि निर्धारित है। दिल्ली प्रशासन के सहायक औषध नियन्त्रक वाली जांच समिति ने यह राय दी है कि जांच खुराक देते समय सभी सामान्य सावधानियां बरती गईं और कर्मचारियों द्वारा जो कुछ भी किया जा सकता था किया गया।

शव, वहिरंग रोगी विभाग का कार्ड, पिचकारी और इन्जेक्शन वायल को पुलिस अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया जिसने इसे चिकित्सा-वैद्य मामला बना दिया।

Percentage of Nitrogen in Sri Ram Urea Supplied to Farmers of Rajasthan

892. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the percentage of Nitrogen marked on Poland Urea bags supplied to the farmers of Rajasthan at various places has been found hundred percent correct and whether only 37.02 percent of Nitrogen was found in Sri Ram Urea bags supplied to them instead of 46.04 per cent Nitrogen marked on them; and

(b) if so, the action being taken against the defaulters?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) For preparation of the answer to a similar question, the Government of Rajasthan had reported on 27th May '72 that the percentage of Nitrogen marked on the bags of Polish Urea supplied to farmers in Rajasthan was found correct. The State Government had also added that no report about lower percentage of nitrogen in Urea produced by Sriram Chemical Industries Kota had till then been received by the State Government. Since then, the State Government have been urged twice by the Ministry of Agriculture to report whether any complaints have been received about lower percentage of nitrogen in Urea produced by Sriram Chemical Industries Kota and their report is awaited. A reply to the question will be placed on the Table of the Sabha as soon as the needed information is received from the Government of Rajasthan.

(b) Does not arise at the moment.

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के छात्रों द्वारा सीधी कार्यवाही की धमकी

893. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, दिल्ली के छात्रों, इन्टरनों और हाऊस सर्जनों ने 30 जनवरी, 1973 को यह धमकी दी थी कि यदि उनके वजीफों में वृद्धि न की गई तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश के अन्य महानगरों के मुकाबले दिल्ली में छात्रों (मेडिकोज) को इस समय कितना वजीफा और वेतन मिलता है और यदि इसमें कोई अन्तर है तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज, बिलिंग्डन अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आलावा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के इन्टर्नों, हाउस सर्जनों, स्नातकोत्तर छात्रों तथा रजिस्ट्रारों ने भी मेरे पास एक ज्ञापन भेजा है। इसमें मुख्य मांग इन्टर्नियों, हाउस सर्जनों और स्नातकोत्तर छात्रों को दिये जा रहे मानदेय, वजीफे की रकम को बढ़ाकर प्रतिमास क्रमश: 300 रुपये 400 रुपये और 500 रुपये कर देने के बारे में है। 7 फरवरी 1973 को जब छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझे मिला तो मैं इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये सहमत हो गया। बाद में इन आन्दोलन कारी इण्टर्नों, हाउस सर्जनों आदि के प्रतिनिधि 20 फरवरी, 1973 को पुन: मुझसे मिले और तब मैंने इन्हें सूचित किया कि वजीफे आदि के बारे में उनकी मांग पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है। और उन्हें यह सलाह दी कि वे निर्णय के लिये 31 मार्च, 1973 की प्रतीक्षा करें।

(ग) दिल्ली में इण्टर्नों तथा हाउस सर्जनों को इस समय मानदेय के रूप में प्रतिमास क्रमश: 200 रुपये और 250 रुपये दिये जाते हैं। रजिस्ट्रारों को अन्य भत्तों के अलावा 375-425 रुपये का वेतनमान दिया जाता है (इसके अलावा स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को प्रतिमास 50 रु० तथा स्नातकोत्तर डिग्रीकारियों को प्रतिमास 100 रुपये की अतिरिक्त रकम भी दी जाती है) सभी स्नातकोत्तर छात्र शिक्षावृत्तियां नहीं पाते हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ की लगभग 80 स्नातकोत्तर शिक्षा वृत्तियों के अलावा भारत सरकार 377 शिक्षा वृत्तियां

और देती है। 377 स्नातकोत्तर शिक्षा वृत्तियों में से एक सौ शिक्षा वृत्तियां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों के लिये, 52 केवल दिल्ली के अन्य चिकित्सा कालेजों में अध्ययन कर रहे स्नातकोत्तर छात्रों के लिये, और शेष 225 शिक्षा वृत्तियां देश के अन्य मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिये हैं। यदि शिक्षा वृत्ति का उपयोग दिल्ली में किया जाए तो इसकी दर 300 रु० प्रतिमास और अन्य स्थानों के लिये 250 रु० प्रतिमास है। वैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ ने इन शिक्षा वृत्तियों की दर बढ़ा कर 330 रु० प्रतिमास कर दी है।

देश के अन्य महानगरों में समकक्ष वर्गों के छात्रों को किस दर से वजीफा और मानदेय दिया जाता है इसके बारे में राज्य सरकारों से सूचना मंगाई गई है। वैसे, ये मामले राज्य सरकारों के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिये हो सकता है अलग-अलग राज्यों में ये दरें भिन्न-भिन्न हों।

विशाखापतनम बन्दरगाह पर सुरक्षा कर्मचारियों तथा मजदूरों के बीच विवाद की जांच

894. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री विशाखापतनम् बन्दरगाह पर सुरक्षा कर्मचारियों तथा मजदूरों के बीच विवाद के सम्बन्ध में 8 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है और यदि नहीं ; तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). उन सभी चार मामलों में जांच कार्य पूरा हो चुका है, जो अप्रैल, 1972 में विशाखापत्तनम में सी० आई० एस० एफ० अधिकारियों तथा पत्तन और गोदी कर्मचारियों के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप पुलिस ने दर्ज किये। तीन मामले बन्द कर दिये गये, एक अप्रज्ञेय तथा दो खोज न निकाल सकने के रूप में। चौथा मामला विशाखापत्तनम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि

895. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि के बारे में 8 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4270/73]**

स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी

896. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री स्कलों में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के बारे में 22 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7031 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जानकारी क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सूचना एकत्रित कर ली गई है ।

(ख) यह विवरण में पीछे की ओर दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–4271/73**]

Indo-Bangladesh Agreement on Cultural Co-operation

897. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri Jagannath Mishra:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Bangladesh and India have entered into any agreement on cultural co-operation between the two countries; and

(b) the various areas of co-operation covered therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir. An Agreement on cultural co-operation between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh was signed on the 30th December, 1972. This Agreement shall, however, come into force on the date of exchange of instruments of ratification which is yet to take place ;

(b) The Agreement aims at promoting and developing in every possible manner relations and understanding between India and Bangladesh in the realm of culture, art and education, including academic activity in the fields of science and technology.

To achieve these objectives the two countries shall endeavour to establish co-operation between universities, academies, schools, and institutions of higher learning, technical, scientific and art institutions laboratories and research institutions, libraries and museums by reciprocal visits of professors/experts, exchange of representatives and delegations, exchange of materials and archaeological specimens, translation and publication of books, exchange of artistes, exhibitions, exchanges in the fields of sports and physical education; encouraging dissemination of knowledge of each other's culture through radio, press and similar other channels of mass media and by visits of tourists from each other's country.

विदेशों से आयात किए गए खाद्यान्न

898. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक आयातित खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध हुई हैं ; और

(ख) अब तक अनुमानतः कुल कितनी मात्रा के लिए करार किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विदेशों से देश में अब तक लगभग 1.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्न पहुंच गया है ।

(ख) अब तक लगभग 15 लाख मीटरी टन गेहूं और माइलो संबंधी ठेके को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का फिर से आयात करने का प्रस्ताव

899. **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री रामकंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात फिर से आरम्भ करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जी नहीं ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुसार किसानों के लिये राष्ट्रीय संगठन

900. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों के लिये सभी स्तरों पर राष्ट्रीय संगठनों के गठन के लिये कोई सिफारिश की है ; और

(ख) क्या नये किसान संगठनों के वित्त पोषण के लिये खाद्य पदार्थों और खाद्यान्नों पर शुल्क का कुछ भाग अलग रखने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अब तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Ships of Foreign Countries Chartered for Exports and Imports

901. **Shri Pannalal Barupal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the names of the foreign countries whose ships were chartered by India for shipment of goods from and to foreign countries by sea-route for India's trade during 1970 indicating the tonnage of goods shipped and the tonnage of goods shipped to and from India in Indian ships by those countries?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): The required information was furnished in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 7723 on 29th May, 1972. Subsequently additional figures in respect of goods exported and imported in the Indian ships by the countries whose ships were chartered by India during 1970 for exports and imports have been received. A revised statement, in reply to the present Question, is attached. **[Placed in Library. See No. L. T.-4272/73]**

National Highway in India and Rajasthan

902. **Shri Panna Lal Barupal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the length of National Highways in miles per thousand square miles on an all-India basis;

(b) the length of National Highways in miles per thousand square miles in Rajasthan; and

(c) the scheme being formulated by Government to remove the backwardness of Rajasthan in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) 14.5 miles.

(b) 10.2 miles.

(c) Expansion of the National Highway System is undertaken keeping in view the country as a whole from the point of view of national as distinct from local or/and regional considerations. There are set criteria, as indicated below, for declaring routes as National Highways:

(1) They should be the main highways running through the length and breadth of the country;

(2) They should connect foreign highways;

(3) They should connect capitals of States;

(4) They should connect major ports and large industrial or tourist centres.

(5) They should meet strategic requirements. In addition emphasis is given to economic consideration also. In the light of the criteria spelled out above the availability of resources for this purpose, the requirements of Rajasthan as also of other States will be kept in view while finalising proposals for the 5th Five-Year Plan in regard to the expansion of the existing National Highway system. It is however not possible to give any precise indications in the matter at this stage because the formulation of proposals for the 5th Five-Year Plan is still in a preparatory stage.

नौवहन समिति का प्रतिवेदन

903. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित नौवहन समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अनुमान है कि हवाला कोनकन तटीय यात्री नौवहन सेवा के किरायों में संशोधन करने के बारे में उस समिति से है जिसके अध्यक्ष नौवहन महानिदेशक हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सिफारिश की है कि किरायों में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 30-1-73 में "ट्रेवलिंग बाइ" डी० टी० सी० सर्विस नाइटमरिश शीर्षक से छपा समाचार

904. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1973 के इण्डियन एक्सप्रेस में "ट्रेवल बाई

डी० टी० सी० एज नाइटमरिश एज एवर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार पत्र में लगाया गया यह आरोप सही नहीं है कि 3-11-1971 से दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना के पश्चात् राजधानी में बस सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है । किये गये/किये जा रहे सतत प्रयासों के फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य सुधार पहले से ही किये गये हैं :—

(1) नवम्बर, 1971 से बेड़े में 343 नयी बसें आ गयीं जिससे निगम सड़क पर बसों की 1118 की दैनिक औसतन संख्या में वृद्धि करके 1404 कर देने के योग्य हो गयी ।

(2) 9 नये मार्ग (छः शहरी और तीन ग्रामीण) चालू किये गये हैं । दो ग्रामीण मार्गों में विस्तार कर दिया गया है और चार ग्रामीण मार्गों पर सेवाओं को बढ़ा दिया गया है ।

(3) विश्वविद्यालय/कालेजों और शहर के विभिन्न इलाकों के बीच विद्यार्थियों के लिए 591 विशेष फेरे लगाये जा रहे हैं, जबकि मई, 1972 में इनकी संख्या 408 और जुलाई, 1972 में 515 थी । उन क्षेत्रों में पड़ने वाले कुछ स्थानों के बीच भी शटल सेवाएं चालू की गई हैं जहां पर कालेज हैं ।

(4) मुख्य चढ़ने-उतरने वाले स्थानों पर मार्ग दर्शकपट एवं समय सारणी पट लगाये गये हैं ।

(5) मिलने वालों की सुविधा के लिए शाम को बिलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों से 136 वापसी फेरों की व्यवस्था की गई है ।

(6) राजधानी में परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम, अपने नियंत्रण में परिचालन हेतु प्राइवेट बसों को भी किराये पर ले रहा है ।

(7) निगम ने मौजूदा डिपुओं में भीड़ को कम करने के लिए तथा अपनी गाड़ियों के रख-रखाव के स्तर में सुधार करने हेतु नये डिपुओं के निर्माण सम्बन्धी कार्यों की गति तेज कर दी है ।

(8) बिना टिकट यात्रियों की जांच करने के कार्य में वृद्धि कर दी है । व्यस्त समय में कई मुख्य स्थानों पर एडवांस बुकिंग की व्यवस्था भी की गयी है ।

(9) कर्मी दल का कोई सदस्य यदि अनाचारी पाया जाये अथवा अपना कर्तव्य निभाने में अपराधी पाया जाये तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है । अपराधी चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा चालान भी जारी किये जाते हैं ।

(10) जब कभी प्राइवेट बस स्वामियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है ।

(11) परिचालनात्मक फेरों में वृद्धि करने की दृष्टि से चालकों के लिए एक प्रोत्साहनात्मक योजना शुरू की गयी है।

(12) निगम के मार्ग संरचना को पुनः संगठन/युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :—

(क) दिल्ली परिवहन निगम में किसी भी व्यक्ति को चालक नियुक्त नहीं किया जाता जब तक कि उसके पास दो वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव न हो। भर्ती के पश्चात उन्हें लाइन में भेजने से पूर्व चालकों को दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) दोहरी छत वाली बसों में ट्रेकोग्राफ लगाये गये हैं। इन बसों में किसी व्यक्ति को खड़े होकर यात्रा करना मना है।

(ग) संवाहकों को कड़ी हिदायतें दी गयी हैं कि वे बस को बस अड्डे से उस समय तक न चलने दें जब तक कि उस स्थान से चढ़ने वाले सभी यात्री जो चढ़ सकते हैं, बस में चढ़ न जायें।

(घ) जब कभी निगम की गाड़ी को दुर्घटना में क्षति पहुंचती है और चालक को कसूरवार पाया जाय, तो उस पर शास्ति लगाई जाती है। यदि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 अथवा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 के अन्तर्गत, चालक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाय तो उसके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जाती है।

स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण

905. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री राम भगत पस्वान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष ने हाल ही में यह कहा था कि गांवों में स्वास्थ्य की समस्यायें हल करने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का चरणवार राष्ट्रीयकरण करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये एक आयोग स्थापित करने का आग्रह किया गया है। इस आयोग में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, विधायकों और जनता के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) स्वास्थ्य सेवाओं के किसी न किसी रूप में राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली में लागू की गई और तत्पश्चात् इसे बम्बई, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर और कलकत्ता में भी लागू कर दिया गया। धीरे धीरे इस योजना को दूसरे नगरों में लागू करने का भी विचार है। इसी प्रकार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम कारखानों में काम करने वालों को चिकित्सीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधायें प्रदान कर रही है। ग्राम और नगर क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिये सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने और ग्राम क्षेत्रों में अस्पताल सुविधायें देने की योजनायें भी हैं। फिर भी, सीमित वित्तीय साधनों के कारण, समाज के सभी वर्गों के लिये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन में असंगति

906. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री धन शाह प्रधान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित वेतन मान निश्चित करने पर दिल्ली में कनिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ अध्यापकों से अधिक वेतन पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Quantity of Foodgrains Supplied to Rajasthan

907. **Shri M. C. Daga :**
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the demand of foodgrains of Rajasthan Government was not met in full by the Central Government; and

(b) if so, the quantity of foodgrains supplied upto-date and the quantity demanded by the Rajasthan Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). All reasonable requirements of Rajasthan Government are being met. The quantities of foodgrains supplied to the State Government are as under:

(In '000 tonnes)

	Quantities of foodgrains demanded during November '72 to January '73.	Quantity supplied during November, 1972 to January, 1973.
(i) Wheat	160.5	61.2
(ii) Coarse-grains	45.0	20.6

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के लिए नाम रजिस्टर कराना

908. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि उन व्यक्तियों ने भी अपने नाम मध्यम आय या

निम्न आय वर्गों के लिये योजनाओं के अन्तर्गत डी० डी० ए० का फ्लैट या प्लाट लेने के लिये रजिस्टर करा रखे हैं, जिनके पास उनके अपने नाम से प्लाट या मकान पहले से ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). जिन व्यक्तियों के अपने नाम एक प्लाट/मकान है उनके नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट का आवंटन करने के लिए विचार नहीं किया जाता। तथापि, जिन व्यक्तियों के पास 75 वर्ग गज से कम आकार के प्लाट/भूमि पर एक रिहायशी मकान है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट अथवा प्लाट का आवंटन करने के लिए विचार किया जाता है। इस बात की जांच आवंटन करते समय की जाती है तथा भावी आवंटियों को एक शपथ-पत्र देना पड़ता है कि दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी में उनके अपने नाम अथवा अपने अविवाहित बच्चों सहित किसी आश्रित सम्बन्धी के नाम पट्टे पर अथवा मालिकाना आधार पर 75 वर्ग गज से बड़े आकार का कोई रिहायशी मकान अथवा प्लाट पूरा अथवा अंशत: नहीं है। तथापि, सरकार को अभी तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा झूठा शपथ-पत्र दिया गया हो।

सालारजंग संग्रहालय से चित्रों की चोरी की जांच

909. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के 14 लघु चित्रों की चोरी की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद से मई, 1972 में चोरी हुए बताये गए लघुचित्रों से सम्बन्धित मामला जांच के लिए स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि कुछ चित्र दिल्ली के एक पुरावशेष विक्रेता से बरामद किये गये हैं और आगे जांच की जा रही है।

वर्ष 1972-73 में बिहार की उर्वरक की आवश्यकता

910. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के लिए बिहार सरकार ने कितने उर्वरक की मांग की है ; और

(ख) केन्द्र द्वारा कुल कितना उर्वरक नियत किया गया है और दिसम्बर, 1972 तक वास्तव में कितनी सप्लाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). मई और सितम्बर, 1972 में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में किए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 1972-73 के लिए बिहार

राज्य की उर्वरकों की आवश्यकतायें (पौध पोषक तत्वों के रूप में), क्षेत्रीय सम्मेलनों के निर्णयानुसार केन्द्रीय उर्वरक पूल तथा विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली सप्लाई, अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान विनिर्माताओं और केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा सप्लाई करने के लिए किया गया आवंटन तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1972 के दौरान की गई वास्तविक सप्लाई निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

(मीटरी टन)

	एन	पी	के
(क) बिहार की वास्तविक आवश्यकतायें (1972-73 के क्षेत्रीय सम्मेलनों के निर्णयानुसार)	89,549	—	261
(ख) उपरोक्त (क) में से निम्नलिखित द्वारा सप्लाई की जाने वाली मात्रा			
(I) पूल	38,217	—	2
(II) विनिर्माता	51,332	4,929	
(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि में किया गया आवंटन			
(I) पूल	39,244	1,466	
(II) विनिर्माता	18,955	1,907	
कुल	58,199	3,373	
(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि में की गई वास्तविक सप्लाई			
(I) पूल	22,302	3,531	
(II) विनिर्माता	31,503	2,822	8
कुल	53,805	6,353	8

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि सम्पूर्ण वर्ष के लिए कुल 90,000 मीटरी टन तथा प्रथम नौ महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर 67,500 मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में वास्तव में 68,334 मीटरी टन-पोषक तत्वों की सप्लाई की गई है।

कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या

911. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जनवरी, 1973 को कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की राज्य वार संख्या

कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1970 के बाद इनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) कुष्ठ-रोग पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). देश में 30 जनवरी, 1973 को कुष्ठ रोगियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी थी यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 1963 में जब एक सर्वेक्षण किया गया था, उपलब्ध महामारी विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग तीस करोड़ की स्थानिक आबादी में से लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगी है। 1971 की जनगणना पर पिछले अनुमान प्रक्षपित कर तैयार किये गये राज्यवार कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या का एक विवरण संलग्न है। वैसे ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी राज्य में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण करें।

(ग) कुष्ठ के फैलाव को रोकने तथा कुष्ठ रोगियों को चिकित्सीय सुविधायें देने के लिये 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्र सहायित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था। तब से इस कार्यक्रम में काफी विस्तार किया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देकर इस कार्यक्रम को चौथी योजना में केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में रखा गया है।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 234 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 1448 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अलावा 30 स्वैच्छिक संगठन भी भारत सरकार से सहायता स्वरूप मिले अनुदानों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे।

विवरण

राज्य	1971 की जन-गणना के अनुसार रोगियों की अनुमानित संख्या—आंकड़ें लाखों में
1. आन्ध्र प्रदेश	6.280
2. असम	0.120
3. बिहार	3.390
4. गुजरात	0.130
5. हरियाणा	0.910
6. हिमाचल प्रदेश	0.150
7. जम्मू तथा काश्मीर	0.050
8. केरल	0.750
9. मध्य प्रदेश	0.320
10. महाराष्ट्र	2.800
11. मणिपुर	0.060

राज्य	1971 की जनगणना के अनुसार रोगियों की अनुमानित संख्या—आंकड़े लाखों में
12. मेघालय	0.060
13. मैसूर	1.740
14. नागालैंड	0.170
15. उड़ीसा	2.370
16. पंजाब	0.020
17. राजस्थान	0.100
18. तमिलनाडु	7.830
19. त्रिपुरा	0.100
20. उत्तर प्रदेश	1.680
21. पश्चिम बंगाल	3.040
22. अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.003
23. अरुणाचल प्रदेश (नेफा)	0.010
24. चण्डीगढ़	—
25. दादर-नगर हवेली	0.001
26. गोआ, दमन तथा दिव	0.050
27. लक्ष द्वीप समूह	0.010
28. दिल्ली	0.005
29. पाण्डिचरी	0.190
30. मिजोरम	0.010
	31.449

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बेकार हो चुकी दवायें बांटने के मामले

912. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री राम कंवर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में बहुत बार दवाएं लेने वालों को 'बेकार हो चुकी' दवाएं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख). 12 जनवरी, 1973 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार को सरकार ने देखा है। जहां

तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है :

दवाइयों की चोरी और असली दवाइयों के स्थान पर नकली दवाइयां देने पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधिकारी इन औषधालयों का अचानक-निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा स्टोर और अभिलेखों की टेस्ट-जांच की जाती है और उस समय काउन्टर से रोगियों को जो दवाई दी जा रही होती है उनके नमूनों का औषधालय के भण्डार में रखी दवाइयों के साथ मिलान किया जाता है तब चाहे मुहरबन्द डिब्बों को ही क्यों न खोलना पड़े। रोगियों से शिकायत मिलने पर औषधालयों से नमूने ले लिए जाते हैं और उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया जाता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री डिपों में दवाइयों की क्वालिटी पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :–

(क) जिन फर्मों को रेट इन्क्वाइरीज भेजी जाती है वे आपूर्ति एवं निकटतम महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित होती हैं। यह निदेशालय उनके निर्माण विधि, क्वालिटी नियंत्रण और दवाइयों का स्टोर करने की विधि जैसी कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच करने के बाद ही इनका अनुमोदन करता है। फर्मों को तभी पंजीकृत किया जाता है जब उनके कार्य को कुछ वर्षों तक देख लिया जाता है।

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित फर्मों के अलावा अन्य किसी फर्म को रेट इन्क्वाइरीज नहीं भेजी जाती।

(ख) जब केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार में प्राप्त की जाती हैं उस समय उनकी क्वालिटी की पूरी-पूरी जांच कर ली जाती है अर्थात कार्टन, बोतलों, डिब्बों, पत्रों अथवा एम्प्स के लेवल पर लिखे उनकी निर्माण की तिथि, समाप्ति तिथि तथा रचना को पूरी तरह देखभाल लिया जाता है। दवाइयों की यादृच्छिक जांच करके यह निश्चित कर लिया जाता है कि डिब्बे और बोतलें उचित रूप से मुहरबन्द हैं या नहीं।

(ग) प्राप्त दवाइयों के यादृच्छिक नमूने समय-समय पर ले लिए जाते हैं और उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता अथवा गाजियाबाद स्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की प्रयोगशाला को भेज दिया जाता है।

(घ) इन दो प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट मिलने पर यदि किसी फर्म का उत्पाद घटिया किस्म का पाया गया तो उसका रोगियों को दिया जाना तत्काल बंद कर दिया जाता है और औषधालयों को भी उस बैच विशेष की दवाइयों का उपयोग बंद करने के लिए सूचित कर दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि वे बची दवाई को डिपों को लौटा दें। इसके साथ-साथ भारत के औषध नियंत्रक, दिल्ली औषध नियंत्रक और उस राज्य के औषध नियंत्रक को जहां से फर्म ने सामान भेजा है, फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए वह भी दिया जाता है।

स्वयं डिपों में भी अवधि समाप्त हुई औषधियों का एक रजिस्टर रखा जाता है ताकि सामान्यतः दवाइयों को उनकी समाप्ति की तिथि तक न पहुंचने दिया जाय और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों से भी यह अनुरोध करने के प्रयास किये जाते हैं कि वे जब भी सम्भव हो सके अन्य समान दवाइयों के स्थान पर रोगियों को ये दवाइयां विहित करें।

आदिवासी किसानों को मोटर पम्प सैटों की मुफ्त सप्लाई

913. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य रूप से सभी आदिवासी किसानों और विशेष रूप से त्रिपुरा के आदिवासी किसानों को निर्धनता के कारण सिंचाई के लिए सहायता-प्राप्त मूल्य पर भी मोटर पम्प-सैटों को प्राप्त करने का लाभ नहीं मिल सका ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासी किसानों को मोटर पम्प सैट मुफ्त देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि सभी आदिवासी किसान और विशेष रूप से त्रिपुरा के आदिवासी किसान निर्धनता के कारण सिंचाई के लिए सहायता प्राप्त मूल्यों पर भी पम्प-सैट प्राप्त करने की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

914. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो चीनी मिलों के एकाधिकारी मालिकों के पंजों से गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । सरकार चीनी उद्योग जांच आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

(ख) गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जा रही है और बहुत से क्षेत्रों में उन्हें सरकार द्वारा गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य मिल रहा है । सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं कि गन्ने के मूल्य के भुगतान में अनुचित विलम्ब न हो ।

डी० टी० सी० के चालकों को कम दिखाई देना

915. **श्री आर० एन० शर्मा :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में हाफ आफ डी० टी० सी० ड्राइवर्स हैव डिफेक्टिव आइज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (दिल्ली) की अंधता रोध सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्टका सारांश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो डी० टी० सी० को प्रेषित रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां। माननीय सदस्य ने जिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया है, वह सरकार को विदित है। चूंकि उक्त रिपोर्ट सही नहीं थी, अतएव दिल्ली परिवहन निगम प्रबन्ध की ओर से स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक प्रेस नोट तुरन्त जारी किया गया। तथ्य इस प्रकार है कि 1968 में डा० राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फार आफ्थाल्मिक साइन्स आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेस नई दिल्ली से सम्बद्ध नेशनल सोसाइटी फार प्रिवेंसन आफ ब्लाइंडनेस ने तत्कालीन दिल्ली परिवहन उपक्रम के 1286 चालकों का नेत्र सर्वेक्षण किया था। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि उपक्रम के 35 चालक वर्णान्ध थे, जबकि 617 चालकों की दृष्टि में दोष था। तब से लगभग 80 चालकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं और कुछ अन्य चालक सेवा निवृत्त हो गये हैं या संगठन की सेवा से त्याग पत्र दे चुके हैं।

(ख) और (ग). दिल्ली परिवहन निगम से सम्बन्धित रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें और उसके फलस्वरूप सरकार की प्रतिक्रिया निम्न प्रकार से है :–

(1) लाइसेन्स तभी जारी किया जाए जबकि आवेदक, किसी सुप्रसिद्ध संस्था के नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी दृष्टि के स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक प्रमाण–पत्र पेश करे।

(2) इसके पश्चात् नियमित रूप से नेत्रों की जांच की जाये। मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के उपबन्धों के अन्तर्गत परिवहन गाड़ी के लिये चालन लाइसेन्स की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र देते समय प्रत्येक आवेदक के लिए एक रजिस्टर्ड चिकित्साधिकारी से एक निरोग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी गाड़ियों के चालानार्थ लाइसेन्सों के नवीकरण के समय ऐसे ही प्रमाण-पत्र पेश करने होते हैं ये उपबन्ध दिल्ली परिवहन निगम के चालकों पर भी लागू होते हैं।

(3) नेत्र विशेषज्ञ या उसके परामर्श से भर्ती के समय कड़ाई से छटाई। 1969 से दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भर्ती किये गये प्रत्येक चालक की दृष्टि का नेशनल सोसाइटी फार दी प्रिवेंसन आफ ब्लाइन्डनेस द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। लगभग 600 चालकों की भर्ती तभी की गई थी जबकि उपर्युक्त सोसाइटी द्वारा उनकी दृष्टि की जांच कर ली गई थी।

(4) भर्ती के बाद प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रशिक्षार्थियों को सामान्य नेत्र दोष सम्बन्धी प्रथम चिकित्सा पूर्वसूचक पद्धति पर भाषण दिये जाते हैं और उनके सामाजिक आशयों की व्याख्या की जाती है।

(5) सड़क पर लाने से पहले बसों की पूरी तरह से सफाई और उन्हें सड़क योग्य बनाने के लिए उनका निरीक्षण किया जाये।

निगम ने यह सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

कैंसर का पता लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन

916. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर का पता लगाने वाली समिति के प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है;

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश के किन-किन अस्पतालों में कैंसर के इलाज और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) कैंसर सम्बन्धी आकलन समिति के प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) देश के विभिन्न भागों में स्थित जिन 11 केन्द्रों का कैंसर आकलन समिति ने निरीक्षण किया उन्हें सुदृढ़ किया जाये ताकि कैंसर नियंत्रण और चिकित्सा की निरन्तर बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया जा सके ।

(2) इन केन्द्रों में से कुछ का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अनुसंधान उपचार और प्रशिक्षण के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बना दिया जाय ।

(3) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में (1) अस्पताल में कम से कम 250 पलंग होने चाहिये और वे पलंग रेडियो थेरापी और सर्जरी जिसमें कैमोथेरापी भी आ जाती है, के बीच समुचित रूप से बटे हुए हों, (2) प्रयोगशाला सेवाओं का एक अच्छा सुसज्जित खण्ड हो (3) कैंसर नियंत्रण का विस्तृत कार्यक्रम हो और (4) उनमें क्षेत्रीय कैंसर रजिस्ट्री हो ।

(4) एक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री स्थापित की जाय जिसमें सारे भारत में कैंसर की समस्या कितनी है, किस-किस प्रकार का कैंसर पुरुषों अथवा महिलाओं में किस-किस आयु में किस-किस अंग में कितना-कितना फैला हुआ है ये सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाएं और इस कार्य में ताल मेल भी बिठाया जा सके ।

(5) क्षेत्रीय केन्द्रों के व्यापक जांच कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करने हेतु कोशिका रोग वैज्ञानिकों, कोशिका शिल्प वैज्ञानिकों और कोशिका तकनीकियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाये ।

(ग) राज्यवार किन-किन अस्पतालों में कैंसर के इलाज और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध हैं उसकी एक सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—4273/73]**

क्वार्टरों के आवंटन के लिए गत 10 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारी

917. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी पिछले 10 वर्ष से क्वार्टरों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिसम्बर, 1972 में दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में परितुष्टि की प्रतिशतता 41.5 थी

तथा 58.5 प्र० श० कर्मचारियों को रिहायशी वास दे सकना संभव नहीं हो सका है। इनमें बहुत से कर्मचारियों का सेवा काल 10 वर्ष या उससे अधिक है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमों की जांच की जा रही है। यदि अपेक्षित निधियां और विकासित भूमि उपलब्ध हुई तथा इस्पात, ईटें तथा सीमेन्ट जैसी भवन निर्माण सामग्री की पर्याप्त मात्रा मिलने में कोई कठिनाई पेश न आई तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली/नई दिल्ली में 75 प्र० श० तथा अन्य नगरों में जहां सामान्य पूल वास विद्यमान है, 40 प्र० श० परितुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

छात्रों द्वारा नशीले पेयों का प्रयोग

918. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि विद्यार्थियों में नशीले पेयों का प्रयोग बढ़ रहा है और समाज-विरोधी तत्वों का एक ऐसा समूह है जो बड़े नियोजित ढंग से विद्यार्थी समुदाय को नशीली वस्तुओं का शिकार बना रहा है ;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त नशीली वस्तुओं का आयात पड़ोसी देशों से किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी नहीं। समाचार पत्रों में केवल इक्के-दुक्के मामले प्रकाश में आए हैं। राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे मनोत्तेजनापूर्ण औषधियों की बिक्री पर विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के प्रांगणों के निकटवर्ती क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखें।

(ख) जी, हां।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों को इस समस्या की जानकारी है तथा वे इस प्रकार की तस्करी और अवैध आयात को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

919. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों में विलम्ब शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो समय पर माल न छुड़वाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जो सरकार को इतनी भारी हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया विलम्ब-शुल्क इस प्रकार है:—

	(आंकड़े लाख रुपयों में)
1968-69	16.48
1969-70	10.74
1970-71	13.09

1971-72 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी वर्ष में 80 लाख मी० टन से भी अधिक खाद्यान्नों को सम्भालने के कारण दिया गया विलम्ब-शुल्क प्रासंगिक था और इतना अधिक खाद्यान्न सम्भालने में पूर्णतया अपरिहार्य नहीं है ।

(ख) अनुमेय मुक्त समय-सीमा में माल की सुपुर्दगी लेने में विलम्ब मुख्यतः खराब मौसम, मजदूर संकट और एक ही वक्त में बहुत सी गाड़ियों के आने से मार्ग में वैगनों/स्पैशल गाड़ियों के जमाव के कारण होता है ।

(ग) प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है । जहां हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्ट ठेकेदार के कारण विलम्ब शुल्क देना पड़ता है उन मामलों में उनके बिलों से दिया गया शुल्क काट लिया जाता है । जहां विभागीयकरण हो गया है वहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिम्मेदारी ली जाती है और विलम्ब-शुल्क के देने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासी कार्य-वाही की जाती है । भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के वैगनों को तुरन्त खाली करने में अत्यधिक तरजीह देता है ।

जहां विलम्ब-शुल्क का दिया जाना भारतीय खाद्य निगम की पहुंच से बाहर होता है उन मामलों में रेलवे से विलम्ब-शुल्क की उपयुक्त छूट देने के लिए अनुरोध किया जाता है ।

छात्रों में असन्तोष

920. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छात्र समुदाय में व्याप्त असंतोष की जानकारी है ;

(ख) क्या इसका कारण शिक्षित नवयुवकों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है ; और

(ग) स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार को छात्र समुदाय में व्याप्त असंतोष की समस्या की जानकारी है ।

(ख) छात्र असंतोष के अनेक तत्वों में से बेरोजगारी भी एक तत्व है ।

(ग) वर्षों से, छात्र असंतोष के कारणों की जांच अनेकों प्राधिकारियों तथा समितियों द्वारा की गई है । उनकी सिफारिशें, विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भेजी गई थीं ।

इसकी जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति की नियुक्त की गई है ।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लगभग 90,000 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होने वाली है ।

States Producing Soyabeans

921. **Dr. Laxinarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of States which are the major producers of Soyabean ;

(b) whether cultivators have no interest in the cultivation of Soyabean due to lack of suitable market therefor;

(c) the quantity of protein and fat available in Soyabean separately and the percentage of Oil Extracted therefrom; and

(d) whether the Oil Extracted from Soyabean is used for preparing Vanaspati Ghee and is imported in heavy quantity?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra.

(b) There is no marketing difficulty in Madhya Pradesh but difficulty is being experienced by the cultivators in Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra mainly because of the small quantity produced in scattered areas.

(c) Soyabean contains about 40% protein and 20% oil. The yield of oil by the solvent extraction process is about 18%.

(d) Yes, Sir. Soyabean oil is used in the manufacture of Vanaspati. The quantity of Soyabean oil imported during the past five years is as follows:

Year	Quantity (tonnes)
1968-69	76,077
1969-70	82,478
1970-71	99,601
1971-72	130,865
1972-73	33,076

Demand for Declaring Khandwa-Ajmer Road as National Highway

922. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is a heavy rush of traffic between Khandwa-Ajmer, the Central part of the country ;

(b) whether in the said area, important army establishments are located at Mhow, Neemuch and Nasirabad ;

(c) whether a demand has been made for declaring this road as a National Highway ; and

(d) if so, Government reaction in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) Ajmer-Khandwa road is an existing state road and as such it falls within the sphere of State activities. The States concerned have not given any indication so far whether or not the traffic on this road is heavy.

(b) Mhow and Nasirabad are cantonments where certain Army establishments are located and Neemuch is one of the Headquarters of units of the Central Reserve Police.

(c) and (d). No, Sir. But the Rajasthan Government have proposed for inclusion in the National Highway System in the 5th Plan the route Ajmer-Bhilwara-Chittorgarh-Pratapgarh-Piploda and onwards to Ratlam, which would form part of the Ajmer Khandwa road. However, there is no corresponding proposal from the Madhya Pradesh Government for the portion lying in their State. The Rajasthan Government's proposal will be considered in the Fifth Plan along with similar other proposals received from other States. However, since proposals for the Fifth Plan are as yet in the preparatory stage, it is not possible to indicate at this stage the extent to which new additions would be made to the existing National Highway System as part of that plan.

श्यामलाल चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा ठेकेदार को अधिक भुगतान करना

923. **श्री मधुकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री श्याम लाल चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा ठेकेदार को अधिक भुगतान करने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि ठेकेदार को किस प्रकार और किसने 2,46,606 रुपये का अधिक भुगतान किया ;

(ख) क्या श्यामलाल चेरिटेबल ट्रस्ट ने कालेज भवन के निर्माण के लिए जिस फर्म को ठेका दिया था वह अस्तित्व में ही नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान की बात है, ठेकेदार को ज्यादा भुगतान नहीं किया गया था। क्योंकि न्यास द्वारा न्यास निधि से अधिक भुगतान किया गया था अतः सरकार द्वारा जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इसकी जांच 1969 में की गई थी और उससे यह पता लगा था कि भवन का निर्माण करने वाली फर्म प्रामाणिक थी। फर्म इस समय मौजूद है अथवा नहीं, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटना की गंगापुल परियोजना के नियंत्रण का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

924. **श्री मधुकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पटना की गंगा पुल परियोजना का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग). पटना के समीप गंगा पर प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः बिहार सरकार इस परि-

योजना से मुख्यत: संबंधित है । परन्तु, राज्य सरकार की सहायतार्थ, भारत सरकार, पटना में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए चौथी योजना के दौरान व्यय के 50 प्रतिशत की पूर्ति के लिए उन्हें एक गैर योजना ऋण देने हेतु सहमत हो गई है, जो 4.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी शेष राज्य सरकार को अपने स्त्रोतों से पूरा करना होगा । राज्य सरकार ने परियोजना पर हाल ही में कार्य पहले से ही शुरू कर दिया है । बिहार सरकार का प्रस्ताव है कि पटना-मुजफ्फरपुर-सीतामंडी-सोनबरसा सड़क, जिसमें पटना में प्रस्तावित पुल शामिल है, को केन्द्रीय सरकार पांचवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपने हाथ में ले । पांचवीं योजना के लिए इस प्रस्ताव पर अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ विचार करना पड़ेगा ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली

*925. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के बारे में 9 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है कि उक्त सोसायटी की कार्यकारिणो/प्रबन्ध समिति द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाहियां शीघ्रता से की जाये ताकि इससे सदस्यों को गृह निर्माण के लिये प्लाट दिये जा सकें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : क्योंकि समिति का कार्य उपनियमों तथा नियमों के अनुसार नहीं चल रहा था इसलिए बम्बई कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट (1925 का VII) की धारा 43 के अधीन जो दिल्ली संघ क्षेत्र पर लागू है, समिति के विरुद्ध एक जांच आरम्भ कर दी गई है । आगे की कार्यवाही जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली में कथित अनियमितताएं

926. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 9 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के वर्ष 1971-72 के लेखों की भी लेखा परीक्षा कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 31 जनवरी, 1973 को समिति के पास रोकड़ी और विभिन्न बैंकों में समिति के लेखों में जमा राशि कितनी थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं । वर्ष 1966-67 तक ही केवल लेखे की लेखा परीक्षा की गई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समिति अपने सभी रिकार्ड लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं कर रही है । चूंकि समिति का कार्य नियमों तथा उप-नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा था अत: समिति के विरुद्ध बम्बई कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट (1925 का VII) जो दिल्ली के संघ क्षेत्र में लागू है, के अधीन जांच आरम्भ कर दी गई है ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

927. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 9 अगस्त,1971के अतारांकित प्रश्न संख्या 7339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के जो सदस्य समिति में अपनी सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं वे अपनी सदस्यता समाप्त कर सकें ; और समिति के पास उनकी जमा राशि उन्हें तुरंत वापस की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). सामान्यत: जैसे कि उप-नियमों में व्यवस्था है, सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं तथा समिति में जमा की गई रकम सीधे समिति से सम्पर्क करके वापस ले सकते हैं। तथापि, इस मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा समिति के कार्यों की जांच आरम्भ कर दी गई है। इसलिए सदस्यों द्वारा समिति में जमा की गई रकम जांच पूरी होने पर ही उन्हें वापस की जा सकती है। जांच को यथा सम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली का नक्शा

928. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली का नक्शा मंजूर कर दिया गया है और यदि हां, तो अलग-अलग आकार के कितने-कितने प्लाट मंजूर किये गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि थोड़े-थोड़े अंतर वाले बहुत से आकारों के प्लाट मंजूर किये गये हैं ;

(ग) क्या सोसाइटी की सदस्य संख्या इसके पास उपलब्ध प्लाटों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में उक्त सोसायटी को और अधिक भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जिन व्यक्तियों के अपने नाम अथवा उनकी पत्नियों अथवा बच्चों के नाम दिल्ली या गाजियाबाद में कोई प्लाट है,उन्हें समिति से कोई प्लाट न मिले और उनकी सदस्यता एकदम समाप्त कर दी जाये, यह सुनिश्चित करने के लिये उनसे शपथ पत्र लेने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। ले आउट प्लान में 1031 प्लाटों की व्यवस्था है जिनका आकार 150 वर्गगज से 226.7 वर्गगज के बीच है।

(ख) वे अनुमेय सीमा के अन्दर हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली तथा दिल्ली छावनी के नोटिस में आने वाले मामलों में सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास गाजियाबाद में अपना एक मकान/प्लाट है उन्हें समिति की भूमि के आवंटन के लिए वंचित नहीं किया जाता।

दिल्ली में नये राशन कार्ड जारी करना

929. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रेस" दिनांक 2 फरवरी, 1973 में "कन्फ्यूजन ओवर न्यू राशन कार्डस" (नए राशन कार्डों के सम्बन्ध में भ्रम) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली के राशन कार्यालय प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्तियों को बिना राशन कार्ड जारी किए वापस कर रहे हैं और क्या खाद्य तथा सम्भरण विभाग ने अपने कर्मचारियों को गैर-सरकारी रूप से यह आदेश जारी किए हैं कि नए राशन कार्ड न जारी किए जाएं ;

(ग) आवेदन पत्र देने के पश्चात सैकड़ों राशन कार्ड के जारी करने में क्या औसत समय लगता है ; और

(घ) नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं जिससे कि आवेदकों को कम से कम समय में कार्ड प्राप्त हो सकें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सामान्यतः एक सप्ताह।

(घ) बिना किसी विलम्ब के प्रत्येक मामले में जांच करवाने के बाद नये राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

देश के अस्पतालों में हैक्सा-क्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक

930. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैक्सा-क्लोरोफीन, जिसके प्रयोग पर विदेशों में पिछले एक वर्ष से इस कारण रोक लगाई गई है क्योंकि इसके बाद के प्रभाव बुरे पाये गये हैं, का प्रयोग अभी तक भारतीय अस्पतालों में किया जा रहा है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हैक्सा-क्लोरोफीन वाली प्रसाधन-सामग्री और साबुन के प्रयोग पर रोक लगा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में हैक्सा-क्लोरोफीन वाली वस्तुओं के प्रयोग पर रोक लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर के० खाडिलकर) : (क) भारत में अस्पतालों को हैक्सा-क्लोरोफीन का प्रयोग जारी न रखने की सलाह दी गई है। इसके निरंतर प्रयोग की कुछ घटनाओं की, जो हमारे ध्यान में आई हैं ; जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं में हैक्सा-क्लारोफीन का प्रयोग रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है। हैक्साक्लोरोफीन का प्रयोग सफलता से रोकने के लिये कुछ अन्य उपाय विचाराधीन हैं।

Seniority list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Education Department, Delhi

931. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a separate Seniority list for Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees has been prepared in the Department of Education of Delhi Administration ;

(b) if so, the seniority list for each cadre and the names of the confirmed Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees in each cadre indicating the date of confirmation of each of them ;

(c) the employees given selection grade in each cadre ; and

(d) if the said tribes have not been given selection grade on basis of separate seniority list, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No ; Sir.

(b) Does not arise.

(c) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT—4274/73]**

(d) The matter is being looked into.

चौथी योजना के दौरान ग्रामीण रोजगारों के द्रुत कार्यक्रमों के लिए मंजूरी

932. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान ग्रामीण द्रुत रोजगार कार्यक्रमों के लिये कितने धन की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने रोजगार के अवसर बनाये गये तथा कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना अप्रैल, 1971 में 50 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय से आरम्भ की गई थी। वर्ष 1972-73 से यह स्कीम चौथी योजना में शामिल की गयी है।

(ख) अब तक की रिपोर्टों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय और पैदा

किया गया रोजगार इस प्रकार है :-

	व्यय (करोड़ रु० में)	रोजगार लाख श्रम दिन
(1) 1971-72 (योजना से भिन्न)	31.22	799.34
(2) 1972-73 (योजना)	25.37	694.18

(ग) 1971-72 के दौरान 50 करोड़ रु० के व्यय से 875 लाख श्रमदिनों के रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के मुकाबले में 31.22 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 800 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए यह काफी संतोषजनक है कि वर्ष 1971-72 की वास्तविक कार्य-अवधि योजना के अन्तर्गत परिकल्पित 10 महीने के मुकाबले में केवल छः महीने रही।

1972-73 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 25.37 करोड़ रु० के व्यय से लगभग 694 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किए जाने की सूचना मिली है। इस वर्ष रोजगार के लक्ष्य को पार कर जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं में सड़कों, लघु-सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण आदि की परियोजनाएं शामिल है।

'बारी के बिना' क्वार्टरों का आवंटन करने के नियम

933. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में क्वार्टरों के बारी के बिना आवंटन के लिये सरकारी आवास के आवंटन के कौन से विभिन्न नियम हैं ;

(ख) क्या (क) के अतिरिक्त कुछ और उपबन्ध किए गए हैं जिनके अन्तर्गत सरकार को स्वविवेक से कुछ अधिकार है ; और

(ग) क्या वह उनमें से प्रत्येक उपबन्ध के अनुसार 1, जनवरी, 1970 से 1 सितम्बर, 1972 तक किये गये आवंटनों का ब्यौरा, लाभ पाने वालों के नाम उनके कार्यालयों के नाम तथा आवंटन के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) आवंटन नियमों में, चिकित्सा आधार पर बिना बारी के आवंटन के बारे में व्यवस्था मौजूद थी, परन्तु इसे 13-5-72 से नियमों में से निकाल दिया गया।

(ख) आवंटन नियमों के उपबन्धों में ढील देने के बारे में सरकार के विवेकाधिकारों के अन्तर्गत, आवंटी अधिकारियों के सम्बन्धियों के नाम वास का तदर्थ आवंटन/नियमितिकरण निम्न-लिखित मामलों में किया जाता है :

(i) सेवानिवृत हो रहे/स्वर्गीय अधिकारी के पुत्र/पुत्री पत्नी/पति को।

(ii) उस अधिकारियों के पुत्र/अविवाहिता पुत्री, पत्नी/पति को जिसका स्थांनान्तरण दिल्ली से बाहर या दिल्ली/नई दिल्ली के अपात्र कार्यालय में हो गया है।

(iii) प्रधान मन्त्री सचिवालय में कार्य कर रहे प्रमुख अधिकारियों को तथा मन्त्रियों/उपमंत्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की निश्चित संख्या को ।

(iv) उस अधिकारी को, जो विभागीय पूल के वास के दखल में है, जो उसे सामान्य पूल के वास के आवंटन के पात्र कार्यालय में स्थानान्तरण होने पर खाली करना है ।

(v) चिकित्सा आधार तथा संवेदनाशील या अन्य अप्रतिरोध्य कारणों पर तदर्थ आवंटन ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Rise in Price of Wheat in Capital

934. **Shri M. S. Purty :**
Shri Ram Kanwar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there has been an increase of about 45 per cent in the prices or wheat in the capital so far since April, 1972 ; and

(b) if so, the measures taken by Government to check the prices ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir. The increase in prices of wheat has ranged from 12.4 per cent to 36.5 per cent.

(b) Measures taken to bring down the prices include (a) strengthening and augmenting of public distribution of foodgrains through fair price shops and channelisation of all Government stocks through it ; (b) introduction of control on wholesale and retail prices of wheat products and regulation of the distribution of the same through fair price shops ; (c) effective implementation of regulatory laws currently in force ; (d) intensification of checking of fair price shops ; Food Cards and Establishments permits ; (e) strict vigilance over the open market to check hoarding and (f) curb on consumption of foodgrains by enforcement to the Guest Control Order.

Relaxation in Inter State Movement of Foodgrains

935. **Shri Rana Bahadur Singh :**
Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have urged upon States to relax the restrictions imposed on the inter-State movement of foodgrains in view of food crisis in the country ; and

(b) if so, the names of the States from where the movement of foodgrains to other States is banned ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No request has been made to relax the restrictions imposed on the inter-State movement of foodgrains. In regard to coarse grains, some of the concerned State Governments have been requested to allow limited export of these coarse grains on State Government account.

(b) A statement giving the required information is attached.

Statement

Name of the States/Union territories/Zones from where export of foodgrains (rice paddy and chief coarse cereals) is restricted.

(A) **Rice/Paddy**

(1) The Northern Rice Zone (comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union territories of Chandigarh and Delhi) (2) Andhra Pradesh and the area comprising Yanam in the Union territory of Yanam (3) Assam (4) Bihar (5) Gujarat (6) Kerala and the area comprising Mahe in the Union territory of Pondicherry (7) Madhya Pradesh (8) Maharashtra (9) Manipur (10) Meghalaya (11) Mysore (12) Orissa (13) Rajasthan (14) Tamil Nadu and the areas comprising Pondicherry and Kerikal in the Union territory of Pondicherry (15) Tripura (16) Uttar Pradesh (17) West Bengal (18) Dadra and Nagar Haveli (19) Goa, Daman and Diu.

(B) **Coarse Grains**

Bajra : Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Chandigarh, Goa, Daman and Diu and Pondicherry.

Jowar : Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Goa, Daman and Diu, Pondicherry.

Maize : Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mysore, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Chandigarh, Pondicherry.

Ragi : Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore, Orissa, Tamil Nadu, Dadra and Nagar Haveli, Pondicherry.

नई दिल्ली में मन्त्रियों, सचिवों, विशिष्ट व्यक्तियों के बंगलों और सरकारी कार्यालयों में किये गये अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर व्यय

936. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों, सचिवों और अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों को आवंटित बंगलों में अतिरिक्त निर्माण, मरम्मत, नवीकरण, रोगन करने, सफेदी करने पर वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) नई दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सरकारी भवनों में अतिरिक्त निर्माण, सफेदी, रोगन करने आदि पर वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कुल कितना धन व्यय हुआ ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) :

(क)	1971-72	1972-73
	29,31,941.00 रुपये	18,13,633.00 रुपये
(ख)	1971-72	1972-73
	3,66,63,028.53 रुपये	2,73,64,111.00 रुपये

* टिप्पणी :–वर्ष 1972-73 के लिए दिखाया गया व्यय जनवरी, 1973 तक है ।

डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाइप IV के सरकारी क्वार्टरों में सफेदी और मरम्मत

937. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र तथा अन्य सरकारी बस्तियों के क्वार्टरों में इस वर्ष

सफेदी नहीं हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) डी० आई० जैड० के टाइप चार के क्वार्टरों में वर्षा में ऋतु में छतों आदि के टपकने को बन्द करने के लिए बड़ी मरम्मतों के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और पिछले तीन चार वर्षों में दो बार किराये बढ़ाये जाने के बाद भी इन क्वार्टरों में कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) किफायत करने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि सिवाय अपवादात्मक मामलों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन रिहायशी तथा गैर-रिहायशी दोनों प्रकार के भवनों में सफेदी, मरम्मत, छोटे-छोटे निर्माण कार्यों, परिवर्तनों/परिवर्धनों पर कुछ भी खर्च न किया जाय। सामान्यतया जिन क्वार्टरों की 1971-72 के दौरान सफेदी नहीं की गई थी वर्ष 1972-73 में उनकी सफेदी की गयी।

(ख) छतों के टपकने की विशिष्ट शिकायतों पर केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा कार्यवाही की जाती है।

किराये में वृद्धि किराये के पंचवर्षीय पुनरीक्षण के कारण हुई है न कि अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के कारण से।

संगम कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, गाजियाबाद की दिल्ली विकास प्राधिकरण को 'नेशनल बाई पास नं० 24' के बारे में अनुरोध

938. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगम कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी गाजियाबाद ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली-यू० पी० बार्डर के निकट 'अजेय एन्क्लेव' में नेशनल बाई पास नं० 24 के मार्ग को अन्तिम रूप देने के लिये पिछले तीन वर्षों में कई अभ्यावेदन दिये हैं परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध के अनुशार चीफ, टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को जनवरी, 1972 में परामर्श दिया था कि उक्त सड़क के मार्ग को दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार ठीक किया जाये ;

(ग) यदि हां तो अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अजय एन्क्लेव के संशोधित प्लान को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) मामला पहले ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है, तथा संरेखण (अलाइनमेंट) प्लान को नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण मामले में कार्य वाही कर रहा है।

(घ) कालोनी के संशोधित प्लान को अन्तिम रूप देना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है।

जहां तक संरेखण का संबंध है यह मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में से जा रही अलाइनमेन्ट मूल संरेखण को प्रभावित नहीं करेगी तथा फलस्वरूप यदि कोई अदलाबदली आवश्यक हुई तो वह केवल संघ क्षेत्र के भीतर ही की जायेगी ।

Cut in Ration in Delhi

939. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had effected cut in ration to some extent without giving any information ; and

(b) if so, the reasons for effecting the said cut as also the reasons for not giving any information in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) In Delhi, there is no statutory rationing. There has been no cut imposed in the quantum of foodgrains issued through the fair price shops.

(b) Does not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय में वातावरण

940. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों में आपसी मतभेद और फूट तथा छात्र संघ के असहयोग के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित हो गया है ; और

(ख) संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय 2 जनवरी, 1973 से, जब से पुनः खुला है, सामान्य रूप से चल रहा है । विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए 12 अध्यापकों और 12 छात्रों की एक समिति नियुक्त की गई है । इस मामले पर विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र दोनों ही पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं ।

Constitution of Governing Body of B. H. U.

941. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri H. M. Patel :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) in what respect the constitution of the Governing Body (Sanchalan Samity) of Banaras Hindu University is different from that of other universities ;

(b) the number of authorised holidays observed in the said University during the last one year as also the number of days on which classes were held together with the number of days the University remained closed during the aforesaid period on account of disturbances ; and

(c) the present law and order position in the said University ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) According to the Banaras Hindu University Act 1915, the University has an Executive Council which has the charge of the management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of its administrative affairs. The present Statutes of the University provide that the Executive Council shall consist of the Vice-Chancellor and eight persons nominated by the Visitor. The constitution of the Executive Council varies from University to University taking into account the local conditions. Generally, the Council consists of the Vice-Chancellor, Pro-Vice Chancellor, if any, some Deans and teachers, and nominees of the Court and the Visitor/Chancellor. When the Banaras Hindu University Act is amended, the Executive Council will include more teachers and nominees of the Court and the Visitor.

(b) During the academic session 1971-72, the University had 56 authorised holidays besides summer vacation. Classes in the various Faculties, except in the Faculty of Education, were suspended on September 13, 1971 on account of student disturbances. The classes started functioning from October 5, 1971 in phases.

(c) The University had to be closed on December 8, 1972 on account of violence, arson, loot, assault on teachers and students and acts of vandalism. The Faculties have started work from February 8, 1973 in phases and it is hoped that all Faculties will be functioning by February 28, 1973.

Sugar Mills and their Production Capacity

942. **Shri Shankar Dayal Singh :**

Shri Ishwar Chaudhuri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in the country at present and State-wise production capacity thereof ;

(b) the total production of sugar in the country during the last three years ; and

(c) the number and the production capacity of Government, co-operative and private sugar mills, separately, at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The number of installed sugar mills in the country at present is 234. Statement-I giving State-wise number of sugar mills and their installed annual sugar production capacity which is 40.12 lakh tonnes is attached. **[Placed in Library. See No. LT—4275/73].**

(b) The total production of sugar in the country during the last three years is as under :—

Season (October to September)	Production of sugar (lakh tonnes)
1969–70	42.62
1970–71	37.40
1971–72	31.13

(c) Statement-II giving the State-wise number of sugar mills in the country in Government, Cooperative and Private Sectors and their installed annual sugar production capacity is attached. **[Placed in Library. See No. LT—4275/73].**

Sugar Trade in Bihar taken over by State Government

943. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ishwar Chaudhuri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bihar Government have taken over the entire trade of sugar distribution ; and

(b) whether talks were held between the Central and State Governments in regard to sugar problem and whether this step was taken by the State Government in accordance with the directions of the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) There have been no discussions between the two Governments on the subject so far.

चावल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि

944. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में धान के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण है ; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले दो महीनों में मुख्यत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक दिल्ली और आन्ध्र प्रदेश में चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) मूल्यों में मौजूदा वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी कमी होना, (2) सूखे से मौजूदा खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचना, (3) चालू विपणन मौसम के दौरान मंडियों में चावल की कम आमद और (4) मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने की प्रत्याशा में बड़े किसानों/मिल मालिकों/व्यापारियों द्वारा स्टाक रोक लेना ।

(ग) मूल्यों में कमी करने के लिये किये गये उपाय ये हैं :—(क) सरकारी वितरण को सुदृढ़ करना और उसमें विस्तार करना, (ख) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सभी सरकारी स्टाक की सप्लाई करना, (ग) इस समय लागू नियामक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना, (घ) अतिथि नियंत्रण आदेश लागू कर खाद्यान्नों की खपत पर नियंत्रण रखना और (ङ) उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चावल के थोक व्यापार को लेने के सम्बन्ध में निर्णय करना ।

कृषि विश्वविद्यालयों को पी० एल० 480 निधि से अनुदान

945. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को वर्ष 1972-73 के दौरान पी० एल०

480 निधि से कितनी राशि/अनुदान उपलब्ध किया गया और 1973-74 के लिये कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) ये कृषि विश्वविद्यालय इन राशियों को किस प्रकार उपयोग में लायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय, हिसार को वर्ष 1972-73 के दौरान पी० एल० 480 निधि से 1,65,915 रुपये उपलब्ध किये गये थे। वर्ष 1972-73 के दौरान पी०एल० 480 निधि से किसी अन्य विश्वविद्यालय को कोई राशि नहीं दी गई थी। वर्ष 1973-74 के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को पी० एल० 480 निधि से कोई राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत की गई 1,65,915 रुपये की राशि "जीवविज्ञान तथा कृषि उत्पादन हेतु इंसेक्ट पोलिन-सोवज के प्रयोग सम्बन्धी" अनुसंधान के लिये है।

नारियल विकास योजना

946. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में नारियल विकास के लिए दो मुख्य योजनाएं मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार ने केरल तथा गोवा में नारियल विषयक एक पैकेज कार्यक्रम और केरल में नारियल के रुग्ण पौधों के पुनर्नवीकरण के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना की स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग). सम्बन्धित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. **नारियल विषयक पैकेज कार्यक्रम**: सुझाई गई मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना, बनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना तथा सिंचाई सुविधाओं का परिवर्धन करना इस योजना का उद्देश्य है। नारियल के वृक्षों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सुधरी हुई कृषि पद्धतियों को किसानों के खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन करके लोकप्रिय बनाया जायेगा और एक सुव्यवस्थित एवं विस्तृत अभियान द्वारा किसानों को इसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा। भारत सरकार प्रदर्शनों, कर्मचारियों सम्बन्धी और सभी आनुषगिक व्यय वहन करेगी। राज्य सरकारें अपनी संस्था-गत एजेंसियों के माध्यम से किसानों द्वारा आदानों पर की जाने वाली लागत के लिए ऋण की व्यवस्था करेंगी। राज्य सरकारें कृषि उद्योग निगमों अथवा अन्य संस्थानों के माध्यम से किराया खरीद की प्रणाली के अनुसार किसानों को पम्पसेटें देंगी।

वर्ष 1973-74 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केरल में 31,500 हेक्टर क्षेत्र तथा गोवा

में 3,500 हैक्टर क्षेत्र लाने का विचार है, जिसके लिए निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की गई हैं :—

केरल	4,78,000 रुपये
गोवा	52,340 रुपये

2. **केरल में नारियल के रुग्ण पौधों के पुनर्नवीकरण के लिए मार्गदर्शी परियोजना**: —विशेष कर जड़ों का मुर्झाना और पत्तों का सड़ना आदि विभिन्न रोग नारियल के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण हैं। केन्द्रीय उद्यान फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि संकर पौधे (डी×टी तथा टी×डी) इन रोगों को बर्दाशत कर सकते हैं। केरल के एक अत्यन्त रोग-ग्रस्त खण्ड में इन संकर पौधों के पुनः रोपण तथा अल्परोपण का क्रमबद्ध कार्यक्रम शुरू करना इस प्रस्तावित मार्गदर्शी परियोजना का उद्देश्य है। नारियल की खेती करने वाले कृषकों को 3 रुपया प्रति पौध के हिसाब से राज सहायता दी जायेगी जोकि संकर पौध की लागत है और जिसमें परिवहन के खर्चे भी शामिल हैं।

कर्मचारियों तथा संकर पौधों की लागत सम्बन्धी समस्त व्यय भारत सरकार वहन करेगी। बर्ष 1973-74 के लिए 11,000 रुपये व्यय करने की स्वीकृत दी गई है।

नारियल के पौधों की रोगों से रोक-थाम

947. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के पौधों की रोगों से रोक-थाम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन रोगों को समाप्त करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) पौधों को रोग लग जाने के कारण नारियल की खेती को कितनी हानि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन कायागुलम स्थित रोपाई की फसल विषयक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में नारियल के "रूट विल्ट" तथा अन्य विनाशकारी रोगों तथा कीट सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये चतुर्थ योजना की अवधि में सुयोग्य वैज्ञानिकों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने नारियल के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का एक उद्देश्य इस फसल के रोगों तथा कीटों पर काबू पाना है।

(ख) और (ग). इन समस्त रोगों में "रूट विल्ट" नामक रोग सबसे अधिक विनाशकारी है जिसका प्रकोप केरल में है। 'प्राकृतिक संकर बौनी' नामक संकर किस्म क्षेत्रीय अवस्थाओं के अन्तर्गत सापेक्षतः कम संवेदनशील पाई गई है जो भविष्य में इस रोग का सामना कर सकेगी जिससे प्रति वर्ष लगभग 20.00 करोड़ रुपए की हानि होती है।

निम्नलिखित सापेक्षतः कम महत्वपूर्ण रोगों का भी पता चला है :—

1. पत्ती गलन
2. कलिका-गलन
3. थाटीपाका रोग
4. गानोडर्मा विल्ट

इन रोगों के कारण होने वाली हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

कुष्ठ आरोग्य निवास (सेनिटोरियम)

948. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चल रहे कुष्ठ आरोग्य निवासों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की केन्द्रीय योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) नूरड, केरल की कुष्ठ अरोग्यशाला को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ; और

(घ) उक्त संस्थान ने किस प्रकार की सहायता के लिए सरकार से प्रार्थना की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नूरद स्थित कुष्ठ आरोग्याश्रम को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हआ है।

खरीफ की फसल के दौरान चावल का उत्पादन

949. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान खरीफ की फसल के दौरान विभिन्न राज्यों में चावल का कितना उत्पादन हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : चालू वर्ष के खरीफ मौसम में पैदा होने वाले चावल के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा अपर्याप्त और असामान्य होने और लम्बे समय तक सूखा पड़ने के कारण चालू वर्ष (1972-73) में चावल का उत्पादन गत वर्ष (1971-72) की तुलना में कम होने की सम्भावना है।

गेहूं और चावल के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने सम्बन्धी उच्च-शक्ति प्राप्त समिति

950. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव की क्रियान्वित से सम्बद्ध विभिन्न कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा उनको दूर करने के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) वे अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देंगे ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ।

(घ) राज्य सरकारों से परामर्श करके अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है ।

विवरण

गेहूं और चावल के थोक व्यापार को लेने सम्बन्धी निर्णय के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए गठित समिति में निम्न-लिखित सदस्य हैं :—

1. केन्द्रीय कृषि मन्त्री	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय योजना मंत्री	सदस्य
3. केन्द्रीय वित्त मन्त्री	"
4. केन्द्रीय राज्य कृषि मन्त्री	"
5. खाद्य मन्त्री, गुजरात	"
6. खाद्य मन्त्री, पंजाब	"
7. खाद्य मन्त्री तमिलनाडु	"
8. खाद्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश	"
9. खाद्य मन्त्री, पश्चिमी बंगाल	"

"नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी" के लिए प्रस्ताव

951. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी" बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इस "ओपन यूनिवर्सिटी" का क्षेत्राधिकार समूचे देश में होगा और इसका पत्रचार-पाठ्यक्रमों का एक विस्तृत कार्यक्रम होगा ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित "ओपन यूनिवर्सिटी" की अन्य विशेषताएं क्या-क्या होंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). अभी तक, प्रस्ताव जांच के प्रारम्भिक चरणों पर है ।

बेरोजगार डाक्टरों के लिये 'माडल कोआपरेटिव डिस्पेन्सरी स्कीम' (आदर्श सहकारी औषधालय योजना)

952. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल सरकार द्वारा हाल ही में बेरोजगार डाक्टरों के लिये आरम्भ की गई 'माडल कोआपरेटिव डिस्पेन्सरी स्कीम' की प्रशंसा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चालू करने पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां । योजना आयोग ने विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार डाक्टरों के लिए सहकारी औषधालय स्थापित करने की केरल सरकार की योजना का अनुमोदन कर दिया है । केरल सरकार ने 1972-73 में मार्गदर्शी परियोजना के रूप में प्रत्येक जिले में एक-एक औषधालय के हिसाब से 11 सहकारी औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग). 30 जनवरी से 1 फरवरी, 1973 तक हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की पिछली बैठक में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे भी केरल सरकार की भांति योजना आयोग के विशेष रोजगार कार्यक्रम का लाभ उठायें ।

गुलबर्गा और बिदापुर को सूखा सम्बन्धी राहत के लिए वित्तीय सहायता की मांग

953. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा और बिदापुर क्षेत्रों में असंख्य स्थानीय परिवार रोजगार की तलाश में शहर की ओर आ रहे हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य ने इस गम्भीर स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और प्रति मास 5 से 6 करोड़ रुपये की मांग की हैं जबकि केन्द्रीय दल ने जो पहले वहां गया था गत सितम्बर तक के लिए केवल 7.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दूसरे केन्द्रीय दल का क्या मूल्यांकन है तथा राहत कार्यों के लिए क्या सुझाव दिये गये हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मौजूदा सूखे की स्थिति शुरू होने के बाद केवल 89 परिवार काम की खोज में बंगलौर आए हैं और सूखे से प्रभावित लोगों को कार्य सुलभ करने के लिये प्रबन्ध किए गए हैं ।

(ख) और (ग). एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य की स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने और धनराशि की जरूरतों का हिसाब लगाने के लिए दौरा किया था । राज्य सरकार ने 28.96 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया था । दल ने 7.75 करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की थी ।

अन्य केन्द्रीय दल ने जनवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया है । राज्य सरकार ने उनके सम्मुख चालू वित्तीय वर्ष के लिए 77.45 करोड़ रुपये और सितम्बर, 1973 के अन्त तक 150.55 करोड़ रुपये की मांग रखी है । दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Increase in Production of Sugar

954. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shrimati Jyotsna Chanda :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the production of sugar has registered an increase this year as compared to the last year ;

(b) if so, comparative figures of both ; and

(c) whether Government propose to reduce the price of sugar keeping in view the increase in production of sugar and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 1972-73—23.30 lakh tonnes (on 15.2.73)

1971-72—19.90 lakh tonnes (on 15.2.72).

(c) There is no likelihood of any reduction in the price of levy sugar as the same is based on the ex-factory prices which in turn are determined on the basis of the cost schedules recommended by the Tariff Commission. The price of Free Sale sugar may come down gradually, if there is still higher production of sugar.

Sugar Quota for Bihar for 1972-73

955. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government fix annual quota of sugar for sale to each State ; and

(b) if so, the quota of sugar allotted for Bihar for the financial year 1972-73 and the quantity of sugar so far supplied to it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Central Government allot monthly quota of levy sugar to all the States.

(b) A statement is attached.

Statement

S. No.	Name of month	Quantity allotted	Quantity Despatched
1.	April, 1972	12,022.7 tonnes	11,238.7 tonnes
2.	May, 1972	14,892.2 „	14,266.3 „
3.	June, 1972	14,827.4 „	13,656.7 „
4.	July, 1972	15,029.0 „	13,221.9 „
5.	August, 1972	14,136.0 „	11,775.4 „
6.	September, 1972	14,136.0 „	13,234.2 „
7.	October, 1972	16,185.0 „	14,509.0 „
8.	November, 1972	13,699.0 } „ 2,486.0 }	12,884.2 } „ 2,244.9 }
9.	December, 1972	14,528.0 „	13,791.3 „
10.	January, 1973	14,528.0 „	Not Available*
11.	February, 1973	14,528.0 „	-do-
12.	March, 1973	14,528.0 „	-do-
	Total :	1,75,525.3 tonnes	1,20,822.6 tonnes

*Monthly release orders are still valid for completion.

Central Slum Clearance Scheme for Patna

956. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Work and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have included Patna town in the category of some major cities selected under the Slum Clearance Scheme ;

(b) if so, whether Government have chalked out any scheme to develop the aforesaid town ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Patna town has now been included under the Central Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas.

(b) The Government of Bihar have been asked to formulate proposals of environmental imporvement of slum areas in the town and forward them to Central Government for approval. Their proposals are awaited.

(c) The main features of the scheme are to provide environmental improvements to slum areas, normally consisting of providing water supply including drinking water taps, sewers, storm water drains, community baths and latrines, widening and paving of lanes and street lighting.

'Dharna' by Truck Operators in Delhi

957. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether truck operators of Delhi had staged 'Dharna' in front of his residence at the end of December ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to eliminate those reasons ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को गेहूं ले जाने पर रोक

958. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य से अन्य राज्यों में गेहूं ले जाने पर रोक लगाने की अनुमति केन्द्र से मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) उस प्रस्ताव के बारे में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का विचार था कि राज्य में गेहूं और गेहूं के पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने और खुले बाजार में उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने और सरकारी वितरण प्रणाली पर दबाव कम करने के लिये उनके संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक था ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे कोई प्रतिबन्ध न लगाए क्योंकि यह राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से अपनाई गई सैद्धान्तिक नीति के विपरीत है ।

बम्बई का जनसंख्या अध्ययन संस्थान

959. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में जनसंख्या अध्ययन संस्थान के कर्मचारियों को अभी भी तंग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्टाफ के सदस्यों के हितों के संरक्षण के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) और (ख). सरकार को बम्बई में जनसंख्या अध्ययन संस्थान के कर्मचारियों को तंग करने के किसी मामले का

पता नहीं है । तथापि जब भी कर्मचारियों द्वारा कोई अभिवेदन दिया जाता है तो उस पर विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

महाराष्ट्र में मलवान के निकट रोहिणी स्टीमर का डूब जाना

960. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी स्टीमर महाराष्ट्र में मलवान बन्दरगाह के निकट चट्टानों की रुकावट के कारण डूब गया था और सामान्य वांछनीय मार्ग के कीचड़ से भरे होने के कारण इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) दुर्घटना में जिन यात्रियों का सामान खो गया था उन्हें कितना मुआवजा दिया गया और उसकी दर क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). यह सही है कि रोहिणी स्टीमर महाराष्ट्र में मालवान पत्तन के निकट डूबा । इसके कारणों की जांच-की जा रही है । अन्य अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

961. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी चीनी की मिलें हैं जो चालीस वर्ष से पहले से चल रही हैं ;

(ख) क्या इन मिलों के आधुनिकीकरण करने में विफलता से चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों का आधुनिकीकरण करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 29

(ख) और (ग). भारत सरकार ने चीनी उद्योग जांच आयोगा की नियुक्ति पहले ही कर दी है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ चीनी उद्योग के कार्य में न्यूनता और उसके कारण का पता लगाना और बीमार चीनी मिलों की अधिक संख्या होने का विस्तृत अध्ययन करना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उपाय सुझाना है । आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

महाराष्ट्र में भुखमरी के कारण हरिजन महिला की मृत्यु

962. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भुखमरी से एक हरिजन महिला की मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की पुष्टि करने अथवा खोज करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

7 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली का आवंटन

963. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली स्थित बंगला एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जो अब एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं, का सरकारी निवास स्थान था ;

(ख) क्या उक्त भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के मुख्य मंत्री बन जाने के बाद अब भी उन्हें नई दिल्ली स्थित उस निवास स्थान में रहने की अनुमति दी जा रही है जो उन्हें उस समय आवंटित किया गया था जब वह केन्द्रीय मंत्री थे ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). यह बंगला मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा गया था तथा राज्य सरकार इसे मध्य प्रदेश भवन के एक उपभवन के रूप में प्रयोग कर रही है जो दिल्ली में उनका सरकारी अतिथि-गृह है।

विदेशों से खाद्यान्नों का आयात

964. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 दिसम्बर, 1972 के दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'इन्डियन एक्सप्रेस' में "इण्डिया में वी फोर्सड टू इम्पोर्ट 5 मिलियन टन ग्रेन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित, दिसम्बर, 1972 की वाशिंगटन से प्राप्त एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) हमारे अपने अनुमान के आधार पर इस वर्ष 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का विचार है।

कालेजों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

965. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये

कालेजों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). जी, नहीं । दाखिले सम्बन्धी नीति राज्य सरकारों के परामर्श से विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं ही निश्चित की जाती है ।

संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

किसी संस्था में नियमित शिक्षण पाने में असमर्थ बड़ी संख्या में छात्रों को अंशकालिक शिक्षा अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है ।

उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर केन्द्रीय सरकार की सहमति

966. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर सहमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने राज्य सरकार को उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 का प्रारूप भूमि सुधारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने की सलाह दी है । यह विधेयक अभी राज्य विधान मण्डल के विचाराधीन है ।

Creation of Endowment Fund in Saugar University

967. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Legislators, Members of Parliament, Literateurs, Educationists and public academic institutions of Madhya Pradesh and Bundelkhand have made a plea to the University Grants Commission to create an "Endowment Fund" with a view to providing finances accruing in the form of annual interest therefrom for the post of "Reader of National Poetry" (the U. G. C. has already sanctioned it) under Dr. Makhan Lal Chaturvedi Chair (Peeth) set up in the Hindi Department of the Saugar University ; and

(b) if so, the decision taken by the University Grants Commission thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b). The University Grants Commission has received a number of representations from legislators, educators, etc., for creation of an Endowment Fund for meeting expenditure on the post of Reader in Nationlistic Hindi Poetry in Saugar University sanctioned by it. The Commission has agreed to give assistance on 100% basis to the University for this purpose till the end of the Fourth Plan period. Thereafter the post is to be maintained by the University/State Government.

Taking over Foodgrains Trade in Madhya Pradesh

968. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the State of Madhya Pradesh have demanded Rs. 25 crores for taking over foodgrains trade ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The State Government have demanded Rs. 25 crores to be used as revolving fund as an interest-free loan to be returned in a period of 25 years @ Rs. 1 crore per year. Financial arrangements for takeover are being discussed with the various State Governments alongwith other arrangements necessary to implement the decision. The request of Madhya Pradesh State Government would be considered at the appropriate time in the light of the final decisions.

Increase in storage capacity of warehouses of Foodgrains

969. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase the storage capacity of Warehouses for foodgrains ; and

(b) if so, the present capacity thereof and the capacity proposed to be increased ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The present capacity and the increase in the capacity proposed at the end of the Fourth Plan with FCI, CWC and State Warehousing Corporation, the three main agencies dealing with storage of foodgrains, is given in the statement attached.

Statement

Statement showing the present capacity and the increase in the capacity proposed at the end of the Fourth Plan with the three main agencies dealing with storage of foodgrains.

(Figures in Lakh tonnes)

	Present capacity owned	Additional capacity proposed to be constructed by the end of the Fourth Plan
1. Food Corporation of India	45.17	18.13
2. Central Warehousing Corporation	10.60	2.60
3. State Warehousing Corporations	3.88	2.12
Total :	59.65	22.85

पश्चिम बंगाल का सालबोनी, मिदनापुर में पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध

970. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मिदना पुर जिले में सालबोनी में एक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकारियों के एक दल ने इस स्थान का निरीक्षण किया है । फिलहाल यहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । राज्य सरकार इस स्थान पर नलकूप की खुदाई करा रही है और इसका आगे विकास कर रही है । यहां केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने का निर्णय पानी उपलब्ध होने और राज्य सरकार द्वारा यहां अन्य सुविधायें उपलब्ध किये जाने पर निर्भर करेगा ।

प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान पुस्तकों का प्रकाशन

971. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान विकास समिति अथवा किसी अन्य संस्था के माध्यम से प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ख) क्या इस संदर्भ में राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही में, दिल्ली में विज्ञान विकास समिति स्थापित की गई है । ऐसा पता चला है कि विज्ञान विकास समिति पुस्तक लेखन के अपने कार्यक्रम को हाथ में लेने का विचार कर रही है । इसके अतिरिक्त, विज्ञान विकास समिति लघु विज्ञान विश्वकोश सहित, लोकप्रिय विज्ञान साहित्य को निकट भविष्य में ही प्रकाशित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । उन्होंने अब सरकारी सहायता के लिए अनुरोध किया है । क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों तथा साहित्य के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, राज्य सरकारों ने विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों के विचार-विमर्श से हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की पुस्तकों का निर्माण किया है । सरकार के अधीन कुछ संगठनों ने अपने-अपने प्रकाशन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं, उर्दू तथा हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों के निर्माण कार्य को भी शामिल किया है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें प्रकाशित कर रही है और अब तक उसने मराठी, मलयालम, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती तथा उर्दू में 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं । उसने, हिन्दी में भी इस प्रकार की 22 पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लेखन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकें भी शामिल हैं, उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य को एक-एक करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है ।

जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण अस्पतालों की स्थापना

972. **श्री गिरिधर गोमांगों :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973-74 के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण अस्पताल खोलने की उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ; और

(ग) योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). 1973-74 में देश भर में लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस पलंगों वाले ग्राम अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का एक मानदण्ड यह रखा गया है कि उसे अधिमानत: किसी जन जातीय/पिछड़े क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। इस निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन वस्तुत: राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को करना होता है।

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत देहातों में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा स्त्रीरोग चिकित्सा एवं प्रसूति विज्ञान, जिनमें एक्स-रे एवं प्रयोगशाला सुविधाएं भी सम्मिलित हैं, की सामान्य एवं विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध की जायेंगी। दर्जा बढ़ाये गए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत लगभग 4-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे जो करीबन 2.5 लाख से 3 लाख व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के वर्तमान दो चिकित्सा अधिकारी ग्रामीणों की चिकित्सा तथा उनके स्वास्थ्य की देख रेख का मिला जुला और व्यापक काम करते रहेंगे। इन्हीं में रोगों की रोक-थाम और स्वास्थ्य वर्धन कार्यक्रम भी आ जाते हैं।

जनवरी, 1973 में दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

973. **श्री गिरिधर गोमांगों :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों के मन्त्रियों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। यह सम्मेलन 24 व 25 जनवरी, 1973 को हुआ था।

(ख) 19.

(ग) सम्मेलन ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई जाने वाली नीति, बुनियादी पहुंच और आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार किया। सम्मेलन ने सहकारी ऋण, विपणन, विधायन एवं भण्डारण तथा शहरी उपभोक्ता आन्दोलन और साथ ही कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के क्षेत्र में देश में सहकारी आन्दोलन की प्रगति का पुनर्विलोकन भी किया। सम्मेलन में खाद्यान्नों के थोक व्यापार और अत्यावश्यक उपभोज्य पदार्थों के सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था करने में सहकारी सोसायटियों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका पर भी विचार किया गया। सम्मेलन ने सहकारी सोसायटियों में भ्रष्टाचार, गबन और दुर्विनियोग को रोकने के उपायों पर भी विचार किया।

सम्मेलन की सिफारिशें सभी सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जा रही हैं।

खेलकूद सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

974. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए खेलकूद सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की उन्नति के लिए एक योजना तैयार की गई है और अब वह सरकार के विचाराधीन है।

इस योजना की मुख्य बातें हैं—छात्र-युवकों तथा खण्ड (ब्लाक) से गैर छात्र युवकों, दोनों को शारीरिक कार्यकलापों और खेलों में बढ़ी हुई सुविधाएं और प्रोत्साहन देना तथा इतने बड़े क्षेत्र से खेल प्रतिभा की खोज करना, जैसी पहले कभी न की गई हो। प्रस्ताव में अन्तरखण्ड से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होने वाली चुने गए खेलों में ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करना, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में निष्पादन के आधार पर चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, बहुत छोटी आयु से ही तैराकी तथा टेनिस में विशेष खेल स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना भी शामिल है। प्रस्ताव में इस बात पर भी विचार किया गया है कि आदिवासी और पिछड़े बच्चों तथा ऐसे लोगों में से जो जलीय व्यवसाय करते हैं, उदाहरणार्थ, मछुओं के बच्चे उनमें से प्रतिभा विकास पर जोर दिया जाएगा।

Expenditure on schemes under crash programme for Rural Employment in Jhunjhunu district, Rajasthan

975. **Shri Shiv Nath Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred under crash scheme in Jhunjhunu district of Rajasthan during 1972-73 upto January, 1973 ;

(b) whether many schemes for this district had long been approved by the District Committee but on account of delay on the part of concerned Departments in according sanction

and due to slackness in commencing work, most of the funds have been surrendered or diverted to other districts ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Rs. 3.26 lakhs.

(b) In Jhunjhunu District, there were incomplete works amounting to Rs. 11,65,000/- of 1971-72 which were carried over to the year 1972-73. Works to the tune of Rs. 15,70,405/- have been sanctioned during 1972-73, Thus the works in hand in Jhunjhunu District are worth Rs. 27,35,405/-. Sanction of few works could not be issued immediately as Collector has to make modifications in the proposals in order to bring them in line with the Crash Scheme for Rural Employment Guidelines and thus some of the works proposed may have to be dropped. Rs. 6 lakhs have been transferred to other Districts due to slow pace of expenditure.

(c) Director, Community Development and Panchayat and Special Secretary ; Superintending Engineer ; and Deputy Development Commissioner visited Jhunjhunu District with a view to getting Crash Scheme for Rural Employment works expedited. The matter was also taken up with the Heads of Departments.

Assistance to Birla Institute of Technology and Science, Pilani

976. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the financial assistance provided by the Government of India to the Birla Institute of Technology and Science, Pilani, annually ; and

(b) whether the Institute received large financial assistance from the U. S. A. and if so, the extent thereof and the scheme under which the assistance is received ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b). A statement is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-4276/73].**

पश्चिमी तट के मुख्य पत्तनों के लिए केन्द्रीय अनुदान

977. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अनुदान से पश्चिमी तट के कौन-कौन से मुख्य पत्तनों का निर्माण करने अथवा उनमें सुधार करने का विचार है ; और

(ख) इस प्रकार के कितनी राशि के अनुदान दिये गये और उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से किसी भी बड़े पत्तन का निर्माण या सुधार नहीं किया जा रहा है । बड़े-बड़े पत्तनों को, उनके विस्तार और सुधार पर होने वाले पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए ऋण दिये जाते हैं और इस सम्बन्ध में उन्हें ब्याज देना होता है ।

केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं अर्थात् तूतीकोरिन और मंगलौर बन्दरगाह परियोजनाओं के रूप में दो योजनाओं पर इस समय कार्य हो रहा है, मंगलौर पश्चिमी तट पर है ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार के अनुदानों के अन्तर्गत, बड़े पत्तनों की आवश्यकताओं के अनुसार,

मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था की जाती है। पश्चिमी तट पर कोचीन और बम्बई पर ऐसे मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी तट पर बड़े बड़े पत्तनों को दिए गये ऋण निम्न-प्रकार हैं :—

(रुपये करोड़ों में)

पत्तन का नाम	1970-71	1971-72	1972-73 (जनवरी 1973 तक)
बम्बई	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
कोचीन	1.50	1.00	कोई नहीं
कांडला	0.55	0.77	कोई नहीं
मारमुगांव	0.50	4.00	3.00

बम्बई पत्तन न्यास ने न्हावा-शेवा में एक सहायक पत्तन बनाने का प्रस्ताव किया है। जिसके लिए उसे केन्द्रीय सरकार से ऋण सहायता की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना विचाराधीन है।

मंगलौर बंदरगाह परियोजना जिसका निष्पादन केन्द्रीय सरकार के परियोजना के रूप में किया जा रहा है पर गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार हैं :—

1970-71	1971-72	1972-73 (जनवरी, 1973 तक)
रु०	रु०	रु०
4,22,69,000	3,52,93,548	2,67,63,854

बम्बई और कोचीन मत्स्य बन्दरगाहों के लिए स्वीकृत अनुदान निम्न प्रकार हैं :—

बम्बई	474 लाख रुपये
कोचीन	281 लाख रुपये

राज्यों में नगरीय तथा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए ऋण दिया जाना

978. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को नगरीय और ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये कोई ऋण या राजसहायता अथवा दोनों दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका गत तीन वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). 1969-70 से अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राज्य क्षेत्र के सभी

कार्यक्रमों के लिए (जिसमें आवास शामिल है) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में 70:30 के अनुपात से दी जा रही है। यह केन्द्रीय खण्ड सहायता किसी विशेष योजना, परियोजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। अतः राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय के भीतर कार्यक्रमों का निष्पादन तथा निधियों का नियतन करने में स्वतंत्र हैं। तथापि, यह मंत्रालय निम्नलिखित 2 सामाजिक आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति देता है जो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, तथा राज्य प्लान सीमा से बाहर हैं :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना।

उपरोक्त (i) पर की योजना 1970-71 से केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तान्तरित की गई है तथा उपर्युक्त (ii) पर की योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई है। इन दो योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को अब तक स्वीकृत/नियतन की गई निधियां नीचे दी जाती हैं :

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना।

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	**1970-71**	**1971-72**	**1972-73**
1. असम	30.30	37.30	55.00
2. मैसूर	5.00	5.00	—
3. तमिलनाडू	0.50	1.50	2.752
4. त्रिपुरा	0.20	0.18	0.20
5. पश्चिम बंगाल	6.00	6.00	0.50
जोड़	42.00	49.98	58.452

योजना में मकानों की अनुमोदित लागत के 87½% तक केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है (50% ऋण तथा 37½% सहायता)। शेष 12½% बागान मालिकों द्वारा दिया जाना है। यह योजना केवल इन 5 राज्यों में चालू हैं क्योंकि अन्य किसी राज्य में बाग नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य आवास स्थल देने की योजना

इस योजना के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य का नाम	1972-73 के दौरान स्वीकृत किया गया अनुदान (लाख रुपयों में)
1. बिहार	8·36
2. गुजरात	76.64
3. केरल	273.92
4. महाराष्ट्र	11.80
5. मैसूर	40.13
6. उड़ीसा	2.10
7. तमिलनाडू	18.88
8. उत्तर प्रदेश	7.10
जोड़	438.93

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, अप्रैल, 1970 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनी के रूप में बनाया गया आवास तथा नगर विकास निगम राज्य सरकारों आदि को व्यवहार्य नगर-आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को 1971-72 तथा 1972-73 (8-2-1973 तक) के दौरान स्वीकृत/दिये गये ऋण इस प्रकार हैं :–

राज्य का नाम	1971-72 में के दौरान स्वीकृत/ दिये गये ऋण	1972-73 के दौरान स्वीकृत/ दिये गये ऋण
	(लाख रुपयों में)	
1. आन्ध्र प्रदेश	—	11.00
2. गुजरात	250.00	28.00
3. हरियाणा	24.00	15.00
4. केरल	15.25	—
5. मध्य प्रदेश	—	14.72
6. महाराष्ट्र	28.00	175.00
7. राजस्थान	32.00	—
8. तमिलनाडू	92.00	72.00
9. उत्तर प्रदेश	10.00	105.00
10. दिल्ली का संघ क्षेत्र	160.00	120.00
जोड़	611.25	540.72

परिवार नियोजन के कार्य में प्रगति

979. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परिवार नियोजन के कार्य में अब तक, राज्यवार, कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसाइयों और मुसलमानों के कुछ समुदाय परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं हैं ;

(ग) (एक) हिन्दुओं, (दो) मुसलमानों, (तीन) साइसों, (चार) पार्सियों और (पांच) सिक्खों में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, राज्यवार, कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या कुछ संगठन परिवार नियोजन का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि कुछ समुदायों द्वारा परिवार नियोजन को स्वीकार न किये जाने से परिवार नियोजन स्वीकार करने वाले समुदायों की संख्या सम्बन्धी संतुलन बिगड़ जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस आलोचना के तिकार के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4277/73]**

(ख) जी नहीं।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वालों के सम्बन्ध में समुदाय-वार आंकड़े एकसमान-आधार पर नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, कुछ खास-खास क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने कुछ तदर्थ अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से पता चला है कि सभी समुदायों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वीकार किया है और इसके विभिन्न तरीके अपनाए हैं। तथापि, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अन्तर होने, पर्याप्त साधनों की कमी और संचार सुविधाओं के अभाव के फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने में कुछ विभिन्नताएं देखी गई हैं।

(घ) और (ङ). यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम के विरुद्ध कोई संगठित विरोध नहीं है फिर भी कुछ व्यक्तियों और निकायों ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं।

समाज की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई श्रेणियों के लाभ के लिए चाहे वे किसी भी धर्म से सम्बद्ध हों, उनके द्वारा वर्तमान समय की अपेक्षा आगे अधिक अनुपात में परिवार नियोजन तरीके अपनाये जाने के लिए प्रेरणा और सेवा अभियान तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय कलकत्ता

980. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता की स्थिति बहुत असंतोषजनक है और किसी भी योग्य पुस्तकाध्यक्ष की अब तक नियुक्ति नहीं की गयी और ग्रन्थालय के कर्मचारियों तथा उपयोग-

कर्ताओं ने ग्रन्थालय की संचालन सम्बंधी त्रुटियों और इन्हें दूर करने हेतु सुझाव सहित एक ज्ञापन सरकार को भेजा है ;

(ख) सुझाव और आलोचनाएं किस प्रकार की है ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रन्थालय की स्थिति सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह ठीक है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष/निदेशक के पद रिक्त हैं। सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित आलोचना के बारे में जानकारी है। सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ की पुनरीक्षण समिति (झा समिति) की सिफारिशों पर उनकी टिप्पणियां भी प्राप्त हुई है। उपयोगकर्ताओं से भी एक दो पत्र प्राप्त हुए है।

(ख) आलोचनाओं/टिप्पणियों का संबंध इन बातों से है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली असंतोषजनक सेवा, पर्यवेक्षण में ढील, पुस्तकों के संरक्षण तथा मरम्मत में अपर्याप्त प्रबन्ध, निदेशक के पद पर नियुक्ति में देरी, झा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी तथा पुस्तकालय को स्वायत्तशासी संगठन बनाने के स्थान पर, सरकार के सीधे ही नियंत्रण पर रखे जाने पर जोर।

राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ की टिप्पणियां मुख्यत: झा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों की आलोचना के रूप में थी।

समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिनमें राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 को लागू करने का स्वागत किया गया है तथा पाठकों से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं कि पुस्तकालय पूर्व की भांति अब भी सन्तोषजनक रूप से काम कर रहा है।

(ग) समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर पुस्तकाध्यक्ष के पद को ऊंचा करके निदेशक के पद में बदल दिया गया है। निदेशक के पद को भरे जाने और साथ ही शासी परिषद् की स्थापना का प्रश्न, पुस्तकालय के भावी प्रशासन के प्रश्न से जुड़ा हुआ है और इसी उद्देश्य से लोक सभा में राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 पेश किया गया था। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

झा समिति की रिपोर्ट की बुनियादी बातों और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण दिनांक 21 अगस्त, 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर में लोक सभा पटल पर रख दिया गया था।

पुस्तकालय का प्रशासन सांविधिक बोर्ड को हस्तांतरित कर देने और निदेशक की नियुक्ति हो जाने से यह आशा की जाती है कि पुस्तकालय के काम-काज में और सुधार होगा।

कलकत्ता पत्तन में भ्रष्टाचार के बारे में प्रकाशित समाचार

981. **डा० रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 8 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान

स्टैंडर्ड में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता पत्तन में भ्रष्टाचार के कारण पत्तन को अत्यधिक हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को हुए नुकसानों के मुख्य रूप से निम्न कारण हैं :-

(1) पत्तन द्वारा धराउठाई की गई यातायात में कमी जोकि व्यवस्थित रेलवे सुविधाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिये काफी नहीं है ।

(2) चालू व्यय में सामान्य वृद्धि, जिसने पत्तन के सभी क्रियाकलापों को प्रभावित किया है । ट्रंक रेलवे द्वारा देय सीमा प्रभारों के दरों के संशोधन द्वारा कुछ हानि पूरी की जा सकेगी जो कि अपेक्षित है । रेलवे वैगनों संबंधी किराया प्रभारों के कारण पत्तन आयुक्तों को कोई हानि नहीं हुई है । 1971-72 में वैगनों के लिये आयुक्तों द्वारा 51.4 लाख रुपये के किराया प्रभारों की तुलना में, उन्होंने वैगनों के रुकने के कारण विलम्बन शुल्क से 52.4 लाख रुपये का राजस्व कमाया है । परन्तु विलम्बन शुल्क का राजस्व का साधन नहीं माना जाता, बल्कि उसे वैगनों को रोक रखने के विरुद्ध एक निवारक के रूप में समझा जाता है ।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पत्तन ने एक सतर्कता कक्ष की स्थापना की है । व्यय में कमी करने के लिये पत्तन आयोग रेलवे विशेषज्ञों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये पत्तन आयुक्त आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं ।

हल्दिया में जहाज बनाने वाले यार्ड का निर्माण

982. **डा० रानेन सेन :**
श्री समर गुह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हल्दिया में जहाज बनाने वाले यार्ड का निर्माण करने का है और क्या आवश्यक प्राथमिक सर्वेक्षण आदि किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख). भारत सरकार ने हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना के प्रश्न पर गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की थी । कार्य-दल ने अपनी ओर से एक उप-दल की नियुक्ति की । उप-दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कार्य दल ने अब जांच कर ली है जिसने अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप दे दिया है । सरकार इनकी जांच करेगी ।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं में प्रगति

983. **डा० रानेन सेन :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार योजनाओं को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ; और

(ग) इन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य-वार, कितना व्यय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) व (ग). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, लघु-कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त (मार्जिनल) किसान तथा कृषि श्रमिक अभिकरण और जनजातीय विकास अभिकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय में हुई प्रगति दर्शानेवाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4278/73]**

(ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना और सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम दोनों रोजगार-अभिमुख हैं। तथापि, काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके काम में लगाए जाने की अवधि प्रत्येक परियोजना में अलग-अलग होती है। पैदा किए गए रोजगार के बारे में सूचना केवल श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है। ग्राम रोजगार की त्वरित की योजना के अन्तर्गत अब तक 1500.22 लाख श्रमदिनों और सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 700 लाख श्रमदिनों के कुल रोजगार की सूचना मिली है। लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक अभिकरण कार्यक्रम के ग्राम-निर्माण घटक के अन्तर्गत 13,711 और 42,201 श्रमदिनों का रोजगार उपलब्ध किया गया है। जनजातीय विकास अभिकरण परियोजना के अन्तर्गत पैदा किए गए रोजगार के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पूर्वी भारत भू-सर्वेक्षण

984. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में भू-सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण करने वाले संगठन का नाम क्या है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों में प्रारम्भिक और विस्तृत भू-सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। प्रारम्भिक भू-सर्वेक्षण राज्यों की मृदाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का पता लगाने के लिए किए जा रहे हैं जबकि विस्तृत भू-सर्वेक्षण सिंचाई क्षेत्रों, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भूमि संरक्षण, राज्य फार्म और अनुसन्धान केन्द्रों तथा पुनर्वास के लिए भूमि की उपयुक्तता आदि विशेष परियोजना क्षेत्रों के लिए किए जा रहे हैं।

भू-सर्वेक्षण का कार्य केन्द्रीय और राज्य संगठनों द्वारा किया जा रहा है। असम, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में छोटे राज्य भू-सर्वेक्षण संगठन स्थापित किए गए हैं। अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग इस क्षेत्र में कार्य करने वाले केन्द्रीय संगठन हैं।

अब तक भू-सर्वेक्षण का कार्य बहुत कम क्षेत्र में हुआ है और जो कार्य हुआ है वह प्रारम्भिक सर्वेक्षण के ढंग का है। पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम में 20 लाख हैक्टर से कम क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया है।

नेत्रहीन व्यक्तियों को शिक्षा देने वाली दिल्ली की संस्थाओं में आवास सुविधा

985. **श्री झारखंडे राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेत्रहीन विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने के लिए छह संस्थायें हैं ;

(ख) क्या संस्थाओं द्वारा उनके आवास का भी प्रबंध किया जाता है ;

(ग) क्या उक्त विद्यार्थियों के लिये आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आवास सहित उनकी आगे पढ़ाई के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सहायता पाने वाली चार संस्थाएं 8 वीं कक्षा अथवा उससे आगे नेत्रहीन छात्रों को शिक्षा प्रदान करती हैं। एक राजकीय स्कूल नेत्रहीनों को 5 वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद कुछ नेत्रहीन छात्रों को छात्रावासों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने प्रस्ताव किया है कि सामान्य प्रक्रिया में ढील देकर उन्हें दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए वर्तमान संस्थाओं में से एक को छात्रवास अनुदान देने के लिए प्राधिकृत किया जाए। भारत सरकार नेत्रहीन छात्रों को साधारण शिक्षा, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्र वृत्तियां देती हैं ।

खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, 1954

986. **श्री झारखंडे राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, 1954 (1954 का 37वां) को अपने परिपत्र संख्या 8 (39) एम० पी० एच०/67 दिनांक 15 दिसम्बर, 1969 के द्वारा राज्य के केवल 33 शहरों में ही लागू अथवा कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को डीडवाना (राजस्थान) के नागरिकों से इस आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि इस अधिनियम को राजस्थान के सभी शहरों में लागू किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख). जी हां।

(ग) राज्य सरकार से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को राज्य के बाकी क्षेत्रों में लागू करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है ।

देश में रक्त की आवश्यकता

987. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्त की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस समय देश में प्रति वर्ष कितना रक्त जमा किया जाता है ; और

(ग) रक्त की मांग तथा उसकी उपलब्धता के अन्तर की पूर्ति किस प्रकार की जाती है और क्या रक्त दान करने वालों को अधिक प्रोत्साहन देने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) देश में रक्त की वास्तविक आवश्यकताओं का कोई प्रामाणिक देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। फिर भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिये गये सूत्र के आधार पर अनुकूलतम आवश्यकतायें प्रत्येक 250 सी० सी० की 42 लाख 50 हजार इकाइयां निकलती हैं। इन आंकड़ों को निकालते हुए सेना, रेल और प्राइवेट नर्सिंग गृहों की आवश्यकतायें नहीं ली गई हैं।

(ख) इस समय देश में प्रतिवर्ष 2.5 से 3 लाख इकाइयों के बीच रक्त जमा किया जाता है।

(ग) जमा किये गये रक्त का लगभग 5 प्रतिशत स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों से प्राप्त होता है। लोगों की समझ में यह शुभ कार्य जच जाए और उनका नागरिक विवेक जाग जाए इसके लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं ताकि स्वेच्छा रक्तदाता अधिक संख्या में आगे आएं। राज्य सरकारों को विचारार्थ अनेक प्रोत्साहन भी सुझाए गए हैं जैसे वे इस कार्य के लिए पदक, छात्रों के मामले में उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक, रक्त दाताओं को विशेष आकस्मिक अवकास, कैदियों को अतिरिक्त आहार दे सकती हैं तथा उनकी सज़ा घटा सकती हैं।

पंजाब में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

988. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में मलेरिया माहमारी फैल गई है और अब तक एक लाख से अधिक मामलों की सूचना मिल चुकी है ;

(ख) गत 6 महीनों में मलेरिया से मरे लोगों की संख्या क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर पंजाब में गत छः महीनों में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(घ) मलेरिया महामारी की भविष्य में फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1970 से पंजाब में मलेरिया के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही दिखाई देती है। 1972 के दौरान राज्य के

रखरखाव चरण वाले कुछ जिलों में मलेरिया की अधिक घटनाओं की सूचना मिली है। 1972 वर्ष के दौरान राज्य में अब तक लगभग एक लाख मामलों का पता लगाया जा चुका है।

(ख) पंजाब राज्य से अभी तक मलेरिया से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की कोई खबर नहीं मिली है।

(ग) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 78.56 लाख रुपये।

(घ) पंजाब में मलेरिया का सबसे अधिक प्रकोप मुख्यत: रखरखाव चरण वाले क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। इन क्षेत्रों में चौकसी का काम राज्य सरकार का है। फिर भी, मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) आक्रमण और समेकन चरण वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्यों और निगरानी रखने के लिये राज्य सरकार को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(2) रखरखाव चरण वाले क्षेत्रों में मलेरिया से सम्बन्धित तीव्र सतर्कता कार्यों को जारी रखने के लिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अधीन परिसर कर्मचारियों के लिये भी केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(3) मलेरिया संकेन्द्रण वाले स्थानों पर इस रोग के प्रकोप को दबाने के लिये कीटनाशी। मलेरिया निरोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हैं।

(4) मलेरिया के जितने मामलों का पता लगा है उनका आवश्यक इलाज किया जा रहा है।

(5) राज्य सरकार ने मलेरिया को अधिसूच्य बीमारी घोषित कर दिया है।

छोटे तथा सीमान्तक किसानों को सहायता

989. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा सीमान्तक किसानों को सहायता देने के लिए 1972-73 वर्ष के दौरान किस-किस राज्य को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) किस-किस राज्य ने पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शर सिंह) : (क) लघु/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सारे देश के चुनींदा जिलों में 46 लघु कृषक विकास एजेंसियां और 41 सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। ये सभी एजेंसियां समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियां हैं। इन्हें अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से नहीं दिया जाता, अपितु यह अनुदान सीधे दिया जाता है। 1972-73 में 31 जनवरी, 1973 तक इन एजेंसियों को दिये गये कुल अनुदान की राशि 11.10 करोड़ रुपये (लघु कृषक विकास एजेंसियों के लिये 5.79 करोड़ रुपये और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों के लिये 5.31 करोड़ रुपये) हैं, जैसा कि संलग्न विवरण (विवरण-I) में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4279/73]**

(ख) इनमें से अधिकांश एजेंसियां 1970-71 में अस्तित्व में आई परन्तु इन्होंने केवल 1971-72 से नियमित आधार पर कार्य करना शुरू किया क्योंकि यह पूर्णत: नई तथा प्रयोगात्मक

परियोजना थी । ये परियोजनाएं प्रारम्भ करने से पूर्व कई प्राथमिक बातों का निपटारा किया जाना था और कई कठिनाइयां दूर की जानी थी । अब इन एजेंसियों ने अपने क्रिया-कलापों को तेज कर दिया है और उनमें से कुछ एजेंसियां धन-राशि के उपयोग के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति दिखा रहीं हैं, जैसा कि संलग्न विवरण (विवरण-II) में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4279/73**]

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन एजेंसियों को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए एक मुश्त धन-राशि नहीं दी जाती है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर उन्हें उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाता है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के गठन सम्बन्धी नियम

990. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब और किन नियमों के अन्तर्गत हुआ ;

(ख) क्या परिषद के अपने अलग सेवा नियम हैं अथवा इसमें सरकारी सेवा नियम लागू होते हैं ; और

(ग) यदि परिषद के अपने अलग सेवा नियम नहीं हैं तो क्या परिषद के लिए सेवा नियम बनाने के लिये मंत्रालय से किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक सरकारी संकल्प के अधीन वर्ष 1961 में की गई थी ।

(ख) परिषद के अपने नियम और विनियम हैं । विनियम संख्या 37 से 61 तक सेवा के मामलों से सम्बन्धित हैं । विनियम संख्या 46 में व्यवस्था की गई है कि :

"उन सभी मामलों में जिनके लिये इन विनियमों में कोई व्यवस्था नहीं है, अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है, परिषद और उसके कर्मचारियों के मध्य के सम्बन्धों का नियन्त्रण निम्नलिखित प्रकाशनों में दिये गये सरकारी नियमों और विनियमों के अन्तर्गत होगा :—

(क) मूलभूत तथा पूरक नियमों का डाक व तार संकलन,

(ख) सिविल सेवा विनियम

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, और

(घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम तथा भारत सरकार द्वारा उक्त नियमों और विनियमों में समय-समय पर जारी किये गये संशोधनों और आदेशों सहित अन्य सम्बद्ध नियम और विनियम ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारी संघ को मान्यता

991. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारी संघ को परिषद ने मान्यता दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में भी पर्याप्त कर्मचारी संघ हैं। 2 दिसम्बर, 1972 को विद्यमान ऐसे सभी संघों को वस्तुत: 6 मास के लिये मान्यता दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उनको सूचित की गई ब्यौरेवार आवश्यकताओं को उक्त समय तक पूरा करें, ताकि इस पर आगे विचार किया जा सके।

छात्र असंतोष के बारे में उप-समिति की नियुक्ति

992. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने छात्र-असन्तोष के बारे में एक उप-समिति नियुक्त की है जिसकी सिफारिश केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सितम्बर, 1972 में हुई अपने बैठक में की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और यह उप-समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ; और

(ग) यदि उप-समिति नियुक्त नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रस्तावित गठन इस प्रकार है :—

1.	शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश	सदस्य
2.	शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र	सदस्य
3.	शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल	सदस्य
4.	डा० जार्ज जक्ब, अध्यक्ष, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	सदस्य

5.	प्रो० सतीश चन्द्र, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	श्री नारायण चन्द पाराशर संसद सदस्य	सदस्य
7.	श्री वयालर रवि संसद सदस्य	सदस्य
8.	प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली	सदस्य
9.	डा० चन्द्रन डी० देवानेसेन विशेष कार्य अधिकारी शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
10.	प्रो० मूनिस रजा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
11.	उत्तर से एक छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
12.	दक्षिण से एक छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
13.	श्री जे० पी० नायक सलाहकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट जून, 1973 तक प्रस्तुत करेगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजपथ

993. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नई सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और राष्ट्रीय राजपथों के रूप में विकसित करने के लिये सड़कें किस आधार पर चुनी गई हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरणों में हैं और किसी भी कार्य को योजना में शामिल करने अथवा अन्य किसी बात के बारे में परिशुद्ध जानकारी केवल योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही दी जा सकती है। परन्तु सड़कों को उपलब्ध धन व्यवस्था के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वे निम्नप्रकार हैं :—

(1) वे देश भर में गुजरने वाले मुख्य राजमार्ग हों।

(2) वे अन्य राजमार्गों के साथ जुड़ी हों।

(3) वे राज्यों की राजधानियों से जुड़े हों।

(4) वे मुख्य पत्तनों और बड़े-बड़े औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों से जुड़े हों।

(5) वे सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

इन कसौटियों के अलावा अर्थ सम्बन्धी बातों पर जोर दिया जाता है।

मोन्यूमेंट असिस्टेंटों की भर्ती

994. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने हाल ही में लगभग 2000 मोन्यूमेंट असिस्टेंट भर्ती किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भर्ती सम्बद्ध क्षेत्रों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा बुलाये गये और भेजे गये नामों के आधार पर की गई थी ; और

(ग) भर्ती किये गये लोगों का ब्यौरा राज्यवार क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्र संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों के लिए दिसम्बर, 1970 में भारतीय, पुरातत्व सर्वेक्षण में स्मारक परिचरों/संग्रहालय परिचरों के 1,695 अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए गए थे। जिनमें से 1,418 पद अक्टूबर, 1972 तक भर दिये गए थे। रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों, पात्र वर्क-चार्ज्ड स्मारक परिचरों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पहले से कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों और भूतपूर्व कार्मिकों में से इन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

(ग) राज्यवार चुने गए उम्मीदवारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पश्चिम बंगाल	72
उड़ीसा	93
असम	24
नागालैंड	3

त्रिपुरा	4
मध्य प्रदेश	222
महाराष्ट्र	173
आन्ध्र प्रदेश	33
गुजरात	40
राजस्थान	91
बिहार	34
उत्तर प्रदेश	133
तमिलनाडू	109
मैसूर	228
गोवा	14
जम्मू व कश्मीर	21
केरल	13
दिल्ली	74
हरियाणा	7
हिमाचल प्रदेश	30
	1418

ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के वितरण में भेदभाव

995. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के भेद-भाव पूर्ण वितरण सम्बन्धी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) एक ही राज्य में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा गांवों में प्रति व्यक्ति चीनी कम मात्रा में क्यों दी जाती है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह भदभाव समाप्त करने के लिए कहेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की मात्रा में अन्तर के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं :—

1— चीनी की कुल मिलाकर कमी ।

2— चीनी के वितरण में जब कोई नियंत्रण नहीं था तब भी ग्रामीण क्षेत्र में चीनी की वास्तविक खपत बहुत कम रही है ।

3— उपर्युक्त (2) के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के आवंटनों के खुले बाजार/कम बाजार में पहुंचने की सम्भावना पैदा हो रही है । इस समय भी ऐसी वारदातों के होने के बारे में पता चला है ।

(ग) चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने तक, राज्य सरकारों को अपने राज्य में स्थानीय परिस्थितियों और खपत सम्बन्धी आदतों को ध्यान में रखते हुए चीनी के कुल मिलाकर आवंटित कोटे के अन्दर अन्दर वितरण प्रणाली को तैयार करने के लिए खुली छूट देनी होगी। कुछ राज्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से चीनी का वितरण कर रहे हैं ।

शिक्षा के विषय में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच के लिये उप-समिति की नियुक्ति

996. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1972 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने शिक्षा के विषय में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच के लिये एक उप-समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और यह कब नियुक्त की गई थी ; और

(ग) यह उप-समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और यदि इसे नियुक्त नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 18-19 सितम्बर, 1972 में हुई 36वीं बैठक में इस आशय का एक संकल्प पेश किया गया कि शिक्षा के बारे में केन्द्र के उत्तरदायित्व की जांच बोर्ड की एक उप-समिति करे । चर्चा के दौरान यह बात भी उठाई गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मंच का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये । फिर भी मौजूदा संवैधानिक स्थिति के कार्य संचालन में यदि किसी प्रकार की कठिनाइयां हों तो उनकी जांच की जाये । अत: यह निर्णय किया गया था कि इस मामले पर विचार करने के लिये इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया जाना चाहिये । तदनुसार ऐसा कर दिया गया है ।

पश्चिमी बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी

997. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिये गेहूं के कोटे को 1,10,000 टन से घटाकर 80,000 टन क्यों किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1972 में गेहूं में 30,000 टन की कटौती के स्थान पर चावल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्र के पास समूची उपलब्धता और विभिन्न राज्यों और प्रशासनों की जरूरतों के आधार पर गेहूं और चावल के मासिक आवंटन किये जाते हैं । गेहूं के बदले में चावल देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निःशुल्क प्राइमरी और मिडिल स्कूल

998. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में, राज्य-वार, कुल कितने निःशुल्क प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं ; और

(ख) देश भर में, राज्यवार, 5-14 आयु-वर्ग के बच्चों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार आयु द्वारा परिशोधित अखिल भारतीय पंच-वर्षीय प्रायोजनाओं के आधार पर 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्राक्कलन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	5-14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या
	(हजारों में)
आन्ध्र प्रदेश	10,629
असम	4,187
बिहार	14,857
गुजरात	7,157
हरियाणा	2,700
जम्मू और कश्मीर	1,138
केरल	5,348
मध्य प्रदेश	11,073
महाराष्ट्र	12,840
मैसूर	7,585

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	5-14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या
	(हजारों में)
नागालैंड	134
उड़ीसा	5,501
पंजाब	3,651
राजस्थान	6,912
तमिलनाडु	9,521
उत्तर प्रदेश	22,608
पश्चिम बंगाल	11,747
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25
चण्डीगढ़	68
दादरा और नागर हवेली	20
दिल्ली	1,015
गोआ, दमन और दीव	207
हिमाचल प्रदेश	846
लकादीव मिनीकोय अमीनदीव द्वीप समूह	7
मणिपुर	295
अरुणाचल प्रदेश	115
पाण्डचेरी	104
त्रिपुरा	427
मेघालय	275
भारत	1,40,992

पश्चिम बंगाल सरकार से गेहूं और चावल की सप्लाई बढ़ाने की मांग

999. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष जनवरी में पश्चिम बंगाल सरकार से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि केन्द्रीय भण्डार से गेहूं और चावल दोनों की सप्लाई बढ़ाई जाये ताकि राज्य में अनाज की राशन की व्यवस्था ठप न हो ; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के इन अनुरोधों पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं और वहां प्रत्येक मास वास्तव में कितना गेहूं तथा चावल भेजा जाता है और आगामी महीनों में केन्द्रीय भण्डार से कितना अनाज भेजने का वचन दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की जरूरतों को देखते हुए पश्चिमी बंगाल की केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की उपयुक्त जरूरतें पूरी की जा रही हैं। पिछले छः महीनों में (मासवार) पश्चिमी बंगाल को वास्तव में सप्लाई किए गए खाद्यान्न इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरी टन)

महीना	गेहूं	चावल
अगस्त, 1972	152	81
सितम्बर, 1972	170	82
अक्तूबर, 1972	139	69
नवम्बर, 1972	109	57
दिसम्बर, 1972	92	42
जनवरी, 1973	86	46

आने वाले महीनों में सप्लाई, केन्द्र के पास उपलब्धता और अन्य राज्यों की जरूरतों पर निर्भर करेगी।

पश्चिम बंगाल में 'अमन' धान की उपज

1000. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष (1972-73) 'अमन' धान के कुल उत्पादन के और गत वर्ष (1971-72) की अपेक्षा उत्पादन में इस वर्ष होने वाली सम्भावित कमी के और वार्षिक आवश्यकता के अनुमान प्राप्त हुए हैं और ये अनुमान क्या हैं ;

(ख) इस वर्ष 'अमन' की फसल की पश्चिम बंगाल से वसूली के क्या लक्ष्य रखे गये हैं और इन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा या अन्यथा कहां तक प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल से वसूल की गई मात्रा में से कितने धान इस वर्ष वहीं पर उपयोग के लिये नियत किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस वर्ष (1972-73) पश्चिमी बंगाल में अमन धान की फसल के कुल उत्पादन और उत्पादन में सम्भावी कमी के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अनुमान लगाया है कि 1973 में उन्हें 10 लाख मीटरी टन चावल की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) पश्चिमी बंगाल के लिये अमन की फसल की अधिप्राप्ति के लिये कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। राज्य में 1972-73 विपणन मौसम के लिये चावल की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित किये गये 3 लाख मीटरी टन लक्ष्य के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने 19 फरवरी, 1973 तक 1.14 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल में अधिप्राप्त किये गये चावल की सारी मात्रा राज्य के अन्दर इस्तेमाल करने के लिये है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीलंका से भारत मूलक व्यक्तियों का स्वदेश लौटना

श्री हरि सिंह (खुरजा) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"इस वर्ष लगभग 35,000 भारत-मूलक व्यक्तियों को श्रीलंका से स्वदेश लौटना" ।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसाकि सदन को मालूम है, 1964 के भारत-श्रीलंका करार में यह व्यवस्था थी कि भारत भारतीय मूल के 5,25,000 राज्यहीन व्यक्तियों का देश-प्रत्यावर्तन करना स्वीकार कर लेगा और श्रीलंका ऐसे 3,00,000 व्यक्तियों को अपने यहां की नागरिकता प्रदान कर देगा और यह कार्य 15 वर्ष की अवधि में समय और संख्या की दृष्टि से समानुपात में किया जायगा, इसका मतलब यह हुआ कि समझौता होने के दिन से, भारत प्रति वर्ष औसतन 35,000 लोगों का देश-प्रत्यावर्तन करेगा और श्रीलंका हर वर्ष 20,000 ऐसे व्यक्तियों को अपने यहां की नागरिकता प्रदान करेगा ।

2. चूंकि बहुत से पूर्व प्रबन्ध करने पड़े थे, इसलिए इस पर अमल में विलंब हो गया है । 17 फरवरी, 1973 से अब तक 84,801 व्यक्तियों को भारत प्रत्यावर्तित किया गया जबकि दिसम्बर 1972 के अन्त तक 48,249 व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी ।

3. इस समझौते पर अमल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस वर्ष 14 से 17 फरवरी के बीच दोनों देशों के सचिवों की बैठक हुई जिसमें दोनों ओर के सचिवों ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया । इस समझौते पर सभी पहलुओं से विचार किया गया और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इसके पूर्ण और सुचारु क्रियान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिए । पिछले आठ वर्ष में 35,000 लोगों को भारत प्रत्यावर्तित करने की और 20,000 लोंगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने की गति से काम नहीं किया जा सका है । भारत सरकार ने आगामी वर्षों में देश-प्रत्यावर्तन की गति तीव्र करना सिद्धातत: स्वीकार कर लिया है । इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Shri Hari Singh : A large number of Indians settled in over 100 countries had worked for the prosperity of these countries becoming in universal brotherhood and having faith in the ideal of live and let live. But it is a pity that the Indians who worked hard in the building of these countries and adopted nationality of these countries are now being expelled from these countries. They have to leave Burma, Kenya and Uganda and later Malaysia. The process of repatriation of Indians from Sri Lanka is continuing. This problem can arise in respect of various other countries where persons of Indian origin have settled. The Government should adopt a realistic approach in this matter.

May I know if the issue was discussed in the recent meeting between the officials of the two countries ? What progress has taken place in giving citizenship by Sri Lanka. What is the position of persons who are being repatriated from that country ? Is the Government putting up any proposal for a compensation by the Government of Sri Lanka. I want to draw the attention of the Minister to the fact that the persons returning to India are harassed by the customs authorities.

श्री स्वर्ण सिंह : इस करार में अन्तर्ग्रस्त कोई भी व्यक्ति श्रीलंका का नागरिक नहीं है। इस करार का सम्बन्ध उन लोगों से है जो ऐतिहासिक कारणों से राज्य विहीन हैं।

मैंने श्रीलंका द्वारा नागरिकता दिये गये व्यक्तियों के आंकड़े दे दिये हैं। उन आंकड़ों को भारत लौटे व्यक्तियों की संख्या से मिलाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीलंका द्वारा नागरिकता देने का कार्य धीरे चल रहा है।

सम्पत्तियों के बारे में करार में एक खण्ड था जिसके अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में करना स्वीकार किया गया था। 75,000 रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी।

मुझे इस बात पर खेद है कि भारत लौटने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है। इस बारे में पहले ही अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Shri Lanka has been claiming that Kachhativu is part of their country where as we claim that it is ours. This matter should be made clear.

I want to know that since when the so-called stateless people have been staying there. Are we committed in respect of all the stateless people?

The imposition of a ceiling of 70 thousand rupees is wrong, although Sri Lanka Government has stated that they are not implementing it but in fact the people are coming to this country with comparatively lessor amounts. Would the Government take up the matter with the Sri Lanka Government so that they may bring all their assets to India. As to the assets that would remain there in the accounts of the persons returning to India, would they be paid any interest on profit on that?

श्री स्वर्ण सिंह : करार की क्रियान्विति में विलम्ब के कुछ विधायी और प्रशासनिक कारण थे। ऐसा श्रीलंका में सरकार में परिवर्तन के कारण भी हुआ था।

कच्चतिबू का संबद्ध मामले से कोई संबंध नहीं है। यह ठीक है कि भारत मूलक यह व्यक्ति वहां पर बहुत समय से रह रहें हैं और उनमें से कईयों को नागरिकता का अधिकार पाने का हक है। इनके बारे में विवाद दोनों देशों के मध्य बना हुआ था। और दोनों देशों के प्रधान मंत्री मन्त्रियों ने मिलकर इसका हल किया था। उस करार की आलोचना से कोई फल नहीं निकलेगा।

सम्पत्ति के बारे में करार में स्पष्ट उल्लेख है अतएव इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय करार पर अपत्तियां नहीं उठाई जानी चाहिएं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Nothing has been said about the ceiling of 70,000 rupees imposed.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य इस बारे में मुझे पृथक रूप से लिख कर पूछ सकते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं कि वे क्रियान्वित कर रहे हैं। वास्तव में भारतीय उच्चायुक्त ने नागरिकों का पंजीकरण बन्द कर दिया है। डेढ़ लाख से अधिक अनपढ़ लोग पंजीकृत नहीं किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने क्या निर्णय किया है?

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय द्वारा सदन को गुमराह करने का मामला है । उन्हें सभा द्वारा दण्ड मिलना चाहिए ।

Mr. Speaker: Under direction 115 it was permitted that a statement may be laid. Comments have been called for and would be made available when received.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अध्यक्ष पीठ को उन्हें उचित समय देना चाहिए जिसके भीतर उन्हें उत्तर दे देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह शीघ्र ही आ जाएगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या संसदीय कार्य मंत्री बता सकेंगे कि यह कब तक आ जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं समझता हूं कि वे कल तक अपना उत्तर अध्यक्ष महोदय को दे देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस विशेषाधिकार के मामले में विलम्ब का कारण संभवतः यह है कि इसका सम्बन्ध प्रधान मंत्री और उनके पुत्र से है ।

मैंने जगोता बन्धुओं के बन्दी बनाए जाने के बारे में पूछा था । हम चाहते हैं कि गृह मन्त्री इस पर वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय में है । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : मैं पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4257/73]**

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं श्री शेर सिंह की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1972-73 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 38 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4258/73]**

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वास्तु-

विद (विशेषज्ञ समिति) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1208 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपयुक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4259/73]**

(2) (एक) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1477 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4260/73]**

(3) विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किये गये विक्टोरिया स्मारक हाल (सामान्य भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1601 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4261/73]**

गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने संबंधित सरकारी निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: GOVERNMENT'S DECISION TO TAKE OVER WHOLESALE TRADE IN WHEAT

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के अन्त में सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से 1973-74 से गेहूं और चावल के थोक व्यापार को क्रमशः रबी और खरीफ मौसमों से लेने का निर्णय किया था। 1973-74 के रबी के मौसम से गेहूं के थोक व्यापार को लेने से सम्बन्धित उपायों पर विचार विमर्श करने और उनको अन्तिम रूप देने के लिए 24 फरवरी, 1973 को मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

2. मुझे यह घोषणा करने में खुशी है कि इस सम्मेलन ने इन उपायों को एकमत होकर अनुमोदित किया और इस निर्णय को कार्यान्वित करने की सहमति व्यक्त की। थोक व्यापार को लेने से सम्बन्धित मूल-भूत उद्देश्यों पर पूर्णतया सहमति प्रकट की गयी थी :

(1) बिकाऊ अधिशेष माल पर प्रभावी सरकारी नियन्त्रण रखना ताकि सट्टे बाजी और मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सके जिससे उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है।

(2) उत्पादकों को लाभकारी दाम देना ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने और सरकारी एजेन्सियों को अपना माल बेचने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(3) विशेषतया जनसंख्या के कमजोरी वर्गों के उपभोक्ताओं को उचित दामों पर खाद्यान्न मुहैय्या करना ; और

(4) अनावश्यक बिचौलियों को समाप्त कर और इस प्रणाली के कार्यचालन में अन्य सुधार लाकर थोक व्यापार की लागत में कमी करना।

3. क्योंकि सरकार द्वारा थोक व्यापार लेने से गेहूं के विपणन में प्रमुख संरचनात्मक सुधार हो रहा है इसलिए इन मूल-भूत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि यह प्रणाली कुल मिलाकर बिकाऊ अधिशेष माल जो कि विक्रय अधिशेष से भिन्न है पर कार्य करेगी।

4. मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श अन्तिम योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में निजी थोक व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाना।

(2) एक्ल राज्य गेहूं क्षेत्र बनाना ; इसके अलावा पैदा करने वाले राज्य में गेहूं अधिशेष क्षेत्रों की हदबन्दी और प्रमुख खपत केन्द्रों और अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों की हदबन्दी ; गेहूं और गेहूं के पदार्थों का अन्तर्राज्यीय संचलन, जिसकी अनुमति केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार केवल भारतीय खाद्य निगम और/या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा दी जाएगी।

(3) खुदरा व्यापारियों को लाइसेंस में दी गयी उपयुक्त शर्तों के अधीन कार्य करने की इजाजत दी जाएगी। खुदरा व्यापारी की परिभाषा प्रत्येक राज्य में स्थिति पर निर्भर कर, कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर, वे अधिक से अधिक कितनी मात्रा में व्यापार कर सकते हैं और स्टाक रख सकते हैं और कितने खुदरा केन्द्रों तक कार्य कर सकते हैं, इन बातों को स्पष्ट कर, कार्यात्मक होनी चाहिए। ऐसे लाइसेंस शुदा खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को उत्पादकों से सीधे खरीदारी करने की इजाजत दी जाएगी।

(4) सरकार के लिए यह खरीदारी भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विपणन संघों और राज्यों के खाद्य तथा सिविल रसद विभागों और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाएगी। अधिप्राप्त स्टाक केन्द्रीय पूल में दिया जाएगा और राज्यों की उपयुक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मुक्तियां की जाएंगी।

(5) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन तथा सेवा सहकारी समितियों का खुदरा वितरण के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

(6) गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य तथा केन्द्रीय पूल से दी जाने वाली गेहूं का निर्गम मूल्य देश भर में एकसा होगा। विस्तृत कार्य के संदर्भ में अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिये जिससे राज-सहायता का भार उचित सीमा के अन्दर रहे।

(7) रोलर फ्लोर मिलों को केवल कास्टम मिलिंग करने की इजाजत दी जाएगी।

5. यह तय हुआ है कि रबी मौसम 1973-74 से गेहूं का थोक व्यापार लेने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों के परामर्श से वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालनात्मक प्रबन्धों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। विशेष रूप से यह भी निर्णय किया गया है कि अधिप्राप्ति तन्त्र को तेज किया जाय ताकि थोक व्यापार को लेने के उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी एजेंसियां लगभग समूचा बिकाऊ अधिशेष माल खरीद करने की स्थिति में हो सकें जिससे सरकार पर आए वितरण सम्बन्धी अतिरिक्त दायित्व को निभाया जा सके।

6. हमने यह प्रमुख निर्णय अर्थ-व्यवस्था का अमूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय हित में लिया है जिसमें लाखों उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हित निहित हैं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, भले ही वे किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, कि वे इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए अपना तहदिल से सहयोग प्रदान करें।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
66 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं आकाशवाणी के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 39 वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 66वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

खान (संशोधन) विधेयक
MINES (AMENDMENT) BILL
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि 4 मई, 1973 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि 4 मई, 1973 तक और बढ़ाती है।",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377
मध्य प्रदेश में डीजल तेल की कमी

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सभा का ध्यान कृषकों के लिये डीजल तेल की अत्यधिक कमी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण वहां फसल को काफी हानि

हुई है और लोग मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भागों में सिंचाई नहीं कर सके हैं। कृषि मंत्री हमें बताय कि वहां स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON PRESIDENTS ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री आर० के० सिन्हा द्वारा 21 फरवरी, 1973 को पेश किये गये तथा श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात् :-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 19 फरवरी, 1973 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' "

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यदि लाओस और कम्बोडिया में पुनः प्रारम्भ हुई बमबारी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है तो विदेश मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

भारत के सभी राज्यों में बिजली की भारी कमी है...

अध्यक्ष महोदय : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ करेंगे। माननीय सदस्य कितना समय लेना चाहते हैं ? मेरे विचार में 7-8 मिनट ठीक ही होंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 15 मिनट।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : 10 मिनट का समय ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजा कुलकर्णी। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

जो सदस्य अपने नाम की पर्ची भेजते हैं वे यह जान लें कि उनके नाम किस क्रम में रखे हुए हैं :

Shri Nathu Ram Mirda (Nagaur) : I rise to support the motion of thanks on President's address.

Our country had to face war last year and this year drought situation has arisen in many parts of the country which has caused the rise in prices.

Farmers do not get remunerative prices for their products.

The Jan Sangh leader, Shri Atal Bihari Vajpayee was very critical of the Government's decision regarding take over of wholesale trade in wheat and nationalisation of coal mines but we must think over the problems created by the middlemen. The middlemen exploit both the producers as well as consumers. If we want to avoid this situation, that is the only way out and that is take-over. Our economy is in a bad shape. We have to give our economy a shape in which the farmer is able to get agricultural in-puts at reasonable prices. Undoubtedly this task is replete with complexities but we shall have to face all the difficulties.

Mr. Vajpayee was desirous of knowing the meaning of socialism. Ours is a mixed economy and if needed, periodical changes will be brought about in it to ensure that the middlemen are not able to exploit. It is not that type of socialism which Mr. Vajpayee is afraid of.

A great deal has been said about famine. Some parts of the country are seriously affected by famine. Rajasthan is also greatly affected. About twenty thousand villages are affected, whatever central assistance has been given so far is very inadequate. If more money is not made available by the end of March, all the relief works going on there will come to a halt. Some tankers of the Defence Department should be provided for the supply of potable water in Rajasthan and quota of foodgrains for that State should be increased keeping in view the population of the affected villages. Rajasthan needs immediate assistance.

The Opposition must not create an atmosphere which hinders economic development of the country.

***श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** (कड़प्पा) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के बारे में जो टिप्पणियां दी गई हैं मैं केवल उसी के बारे में चर्चा करूंगा।

यह प्रचार किया जा रहा है कि आन्ध्र प्रदेश में जो आन्दोलन चल रहा है वह लोगों का आन्दोलन है परन्तु ऐसी बात नहीं है। "आन्ध्र प्रभा" और पत्रिका के अनुसार यह आन्दोलन मुख्यत: बस संचालकों, व्यापारियों और बड़े-बड़े ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। इस आन्दोलन में हजारों मोटर-गाड़ियां काम में लाई गई। यदि इस आन्दोलन में बड़े-बड़े व्यापारी भाग न लेते तो इतनी बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियों का प्रयोग सम्भव न होता।

"प्रभा" और "पत्रिका" में प्रकाशित समाचारों के अनुसार तेनाली में 'राइस मिलर्स' ने बड़ा जुलूस निकाला।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि गुडीवाडा के पृथकतावादी विधायक श्री के० सत्यनारायण ने कहा है कि यह जमींदारों का आन्दोलन है। श्री संजीव रेड्डी, जो नेता हैं, ने कहा है कि यह आन्दोलन हिटलर के तानाशाही आन्दोलन जैसा है।

मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के विभाजन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। मैं पृथकतावादी लोगों से कहना चाहूंगा कि वे विभाजन के बारे में जनता की राय लें, मेरा विश्वास है कि वे जनता के पास नहीं जायेंगे और मेरा यह भी विश्वास है कि यदि जनता के सामने विभाजन की बात रखी गई तो वह सहमत भी नहीं होगी।

यदि राज्य को प्रगति करनी है तो उसे एक जुट होकर रहना चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैंने अपना संशोधन संख्या 157 प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है :

> "कि बड़े खेद की बात है कि देश में बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने, चोर बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने, बेरोजगारी का उन्मूलन करने और गरीबी को दूर करने के लिये अभिभाषण में कोई प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

यद्यपि पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमें सफलता मिली तथापि इसका आने वाले समय पर प्रभाव पड़ता है। निरन्तर दो वर्ष से पड़ रहे सूखा और आ रही बाढ़ से हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई परन्तु इन सब बातों के बावजूद इसका कोई कारण नहीं है कि मूल्य इतने अधिक बढ़ें।

---

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Telugu.

देश के नेतृत्व में एक प्रकार की राजनैतिक अकर्मण्यता पाई जाती है, जिसे शीघ्र ही बदला जाना चाहिये ।

श्री उन्नीकृष्णन् संगठित श्रमिक संघों और श्रमिकों की निन्दा कर रहे थे । उन्हें यह समझना चाहिये कि किसी भी उद्योग में श्रमिकों पर बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है । फिर भी उन्होंने देश की शांति को भंग नहीं किया है ।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० श्रीकान्तन नायर ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक लिखित सूचना दी हैं जो "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" के उस लेख से उत्पन्न उड़ीसा के छात्रों द्वारा व्यापक आन्दोलन करने के बारे में है जिसमें उड़ीसा के लोगों पर आक्षेप लगाये गए हैं, क्या मंत्री महोदय इस बारे में सुनाई करेंगे और हमें बतायेंगे कि सरकार "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। इस पर चर्चा होगी। सरकार ने इसे 'नोट' कर लिया है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : छोटे से केरल राज्य को छोड़कर इस समय देश में बिजली की भारी कमी है । इसका कारण यह है कि हमारे आयोजकों ने योजनाओं को ठीक प्रकार से नहीं बनाया और न ही ठीक प्रकार से प्राथमिकताएं निश्चित की । जब कभी संकट होता है तो वे हर बार नया मानदंड अपनाते हैं और नई प्राथमिकता निश्चित करते हैं । केरल में एक कल्लड नामक बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसे पूरा होने में और 15 वर्ष लग सकते हैं ।

श्री गोपालन ने केरल में गिरफ्तार किये गये अराजपत्रित कर्मचारियों और अध्यापकों का उल्लेख किया है । नवम्बर, 1972 में उन्हें अन्तरिम राहत दी गई थी । तृतीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन आ जाने और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के बाद बातचीत करने की हमने पेशकश की थी परन्तु वे कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं । क्या कोई सरकार ऐसे हथकंडों के आगे झुक सकती है ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मूल्य बढ़ गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति कष्ट उठा रहा है । हम सारा लाभ वेतन भोगी श्रेणी को ही नहीं दे सकते । सरकार को चाहिये कि बेरोजगारी की समस्या को हल करे और मूल्य स्थिर करे अन्यथा मुझे भय है कि समूचे देश में हिंसात्मक क्रांति हो जायेगी जिसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकेगी ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन (मदुरै) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में यद्यपि अनेक मामलों का जिक्र है परन्तु यहां पर चर्चा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के बारे में ही केंद्रित रही है क्योंकि वह एक ज्वलंत मामला है ।

श्री एस० ए० शमीम : आंध्र तो जल रहा है ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : जी हां, आंध्र प्रदेश जल रहा है तथा प्रदर्शनों और सामूहिक हिंसा के कारण वहां सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति को भारी हानि हुई है । रेलवे को भी करोड़ों रुपये की क्षति पहुंची है तथा किसानों, व्यापारियों तथा छोटे किसानों को भी बड़ी हानि पहुंची है और वे अपना जीवन-यापन करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं । हालांकि कुल मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है परन्तु फिर भी इस समस्या को हल नहीं किया गया है ।

आंध्र प्रदेश के उद्भव का इतिहास तथा देश के राज्यों के भाषायी आधार पर विभाजन या पुनर्गठन का इतिहास बताता है कि यदि वर्ष 1947 में तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री श्री प्रकाशक को यदि मुख्य मंत्री बने रहने दिया जाता तथा एक श्री श्रीरामुलु की भूख हड़ताल से मृत्यु नहीं हुई होती, जिसके कारण इस राज्य में इतना हंगामा और बावेला मचा था, तो इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन न होता । तथा इस राज्य का विभाजन कभी न होता । वस्तुतः नेताओं के मध्य व्याप्त प्रतिद्वंद्विता के कारण ही मद्रास राज्य का विभाजन हुआ तथा आंध्र प्रदेश बना । इसके पश्चात् ही राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ जिसने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन अथवा विभाजन की सिफारिश की थी, पूर्ववर्ती मद्रास राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मालाबार, दक्षिण कनारा तथा बरहानपुर के अनेक भाग थे, विभिन्न भाषा-भाषी तथा संस्कृतियों एवं रिवाजों वाले लोग इकट्ठे रहते थे, प्रेम से रहते थे तथा परस्पर सहयोग करते थे और मद्रास राज्य को एक अत्यन्त सुप्रशासित राज्य समझा जाता था । श्री श्रीरामुलु के आकस्मिक निधन के पश्चात् ही आंध्र प्रदेश बना परन्तु साथ ही लोगों की मांग न होते हुए भी राज्य पुनर्गठन आयोग ने मालाबार को केरल में तथा दक्षिण कनाडा को मैसूर में मिला दिया हालांकि हम बात तो हमेशा देश की अखण्डता की करते हैं परन्तु करते उसके विपरीत हैं । अब भी यदि आंध्र प्रदेश को पुनः विभाजित कर दिया गया तो भी इसके कतिपय क्षेत्रों के लोगों की शिकायतें बनी ही रहेंगी । इस समस्या का हल तो यह ही है कि प्रधान मंत्री स्वयं हैदराबाद तथा विजयवाड़ा जाये और वहां संसत्सदस्यों, विधायकों तथा जिला परिषदों एवं पंचायतों के अध्यक्षों से मिलें तथा उन्हें समझायें । और यदि फिर भी वे नहीं मानते और विभाजन के अतिरिक्त कोई हल ही नहीं रह जाता है तो फिर इसका विभाजन कर दीजिये ।

संयुक्त मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश के निकलने पर मालाबार तथा कनारा के लोगों ने दुःखी होकर प्रधान मंत्री श्री नेहरू को अपनी कठिनाइयां बतायीं तथा इसके फलस्वरूप एक दक्षिण प्रदेश का विचार पैदा हुआ था । इसका अभिप्राय तमिलनाडु, केरल, मैसूर तथा आंध्र का पुनर्गठन करके केवल एक इकाई में परिवर्तित करना था । सभी यह बात मान गये थे । चारों राज्यों के सभी प्रमुख नेता बंगलौर में मिले थे तथा नेहरू जी वहां पहुंचे थे । सभी ने भाषायी आधार पर विभाजन का विरोध किया था और हम प्रसन्न थे कि अब एक अखण्ड दक्षिण प्रदेश गठित हो जायेगा परन्तु मैं जानता हूं कि किसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया सब कुछ खत्म हो गया । मैं जानता हूं कि आज भी जो लोग आंध्र तथा तेलंगाना को पृथक करने की बात कर रहे हैं वे भी पुनः एकत्रित रहने को राजी हो जायेंगे । दक्षिण प्रदेश की स्थापना की बात अब भी हो सकती है । यह भी बड़ी

प्रसन्नता की बात होगी कि एक दक्षिण प्रदेश के नाम पर सब एकमत हो जायें, चारों राज्यों को मिलाकर एक दक्षिण प्रदेश बना दिया जाये ; यही इस समस्या का एकमात्र हल है ।

दूसरे राष्ट्रपति ने पिछले क्षेत्रों के बारे में कहा है । यहां के लोग समझते हैं कि उनकी सर्वथा उपेक्षा की जा रही है । हम भी जब पिछड़े वर्गों की बात करते हैं तो हमें भी केवल अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों का ही ख्याल आता है । परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि देश की 50 प्रतिशत जनता एक पिछड़ा वर्ग है । तमिलनाडु की एक तिहाई आबादी पिछड़ी हुई है और वे लोग बड़े बहादुर तथा शूरवीर हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में लड़ाइयां लड़ी हैं तथा अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी समुदाय घोषित किया था । आज स्वाधीनता के 25 वर्ष बाद भी ये लोग स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं तथा स्वाधीनता प्राप्त के फल से स्वयं को सर्वथा वंचित मानते हैं प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में जांच करायें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें ।

देश में बिजली का संकट देशव्यापी है परन्तु तमिलनाडु में तो इसका भारी अकाल है । वहां बिजली की 25 प्रतिशत कटौती लागू है । हमें पड़ोसी राज्य भी बिजली नहीं देते हैं जैसे कि हम उनके पड़ोसी न होकर मलेशिया या सिंगापुर से सम्बद्ध हों ।

बिजली के संकट के कारण कृषि तथा उद्योग को भारी क्षति हो रही है तथा सभी प्रकार की प्रगति में बाधा पड़ रही है । केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकती ; विशेष रूप से तमिलनाडु के बारे में जहां केन्द्र का कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र है । हम पांच वर्ष से इसके पूरा होने की आस लगाये बैठे हैं । कौन जानता है कि यह कब पूरा होगा ।

नीवेली संयंत्र समूह भी विद्युत उत्पादन में सफल नहीं रहा है । यहां तो निरंतर घाटा ही होता है । हम चाहते हैं कि उसकी क्षमता 250 से बढ़ाकर 500 या 600 मैगावाट कर दी जाये । यह संयंत्र भी केन्द्र के अधीन है ।

हम केवल पन बिजली पर ही आश्रित रहते आये हैं । अब मानसून के उतार-चढ़ाव के कारण हमें परमाणु तथा तापीय विद्युत का उत्पादन करना चाहिये । तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में केन्द्र सरकार कारखाने लगाये । मदुरै में भी एक तापीय केन्द्र बनाया जाना चाहिये ।

इस प्रकार सरकार को विद्युत का संकट दूर करने का प्रयास करना चाहिये । यह केन्द्र सरकार का दायित्व है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 4 निर्गुटीय सदस्यों के लिये केवल 24 मिनट शेष रह गये हैं । पहला नाम श्री एस० ए० शमीम का है । शमीम साहब से अनुरोध है कि वे 10 मिनट में ही अपना भाषण पूरा कर लें ताकि अन्य सदस्यों के लिये भी कुछ बच जाये ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : हमें राष्ट्रपति को उनके उस अभि-भाषण के लिये धन्यवाद देना चाहिये जोकि उनके नाम में कुछ नौकरशाहों द्वारा लिखा गया, कुछ तानाशाहों द्वारा अनुमोदित किया गया तथा काफी दल-बदुलओं द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई है ।

बड़े उत्साह से पढ़े गये अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने वैसे तो सभी बातों का वर्णन किया परन्तु सर्वाधिक सम्बन्धित तथा महत्वपूर्ण विषय—देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति—को छोड़ गये । आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी उन्होंने केवल चलते-चलाते थोड़ा कुछ कहा है तथा न तो इस

समस्या के किसी समाधान की ओर संकेत किया है और न ही वहां व्याप्त हिंसात्मक वातावरण का ही कोई उल्लेख किया है। सरकार की नीतियों तथा सिद्धान्तों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल हिंसा की भाषा ही समझती है। हिंसा की घटनायें अकारण ही तो नहीं होती। छः मास पूर्व आंध्र प्रदेश शान्त था तथा एक उद्देश्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई थी परन्तु प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि वहां इतना विनाश हुआ। इससे यही पता चलता है कि सरकार उसी समय ध्यान देती है जब विनाश की घटनायें होने लगती हैं हिंसात्मक वातावरण बन जाता है। बड़े खेद की बात है कि राष्ट्रपति ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार काश्मीर में भी चुपचाप तथा शांति के षडयंत्रों का बाजार गर्म है परन्तु फिर भी न तो सत्तारूढ़ दल और न ही विपक्ष इसका कोई जिक्र करता है क्योंकि वहां हिंसात्मक घटनायें नहीं हुई हैं। वहां के लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो से बातचीत के बाद जम्मू व काश्मीर का कोई अन्तिम हल निकल आयेगा परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां लोग आज इतने संतुष्ट नहीं है जितने कि होने चाहिये थे। आशा थी कि उस राज्य के नेताओं से मिल बैठकर इस सम्बन्ध में कोई हल निकला जायेगा। प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी तथा शेख अब्दुल्ला की एक बैठक भी हुई। जिसमें शेख साहेब ने एक नये अध्याय का आरम्भ करने की बात कही थी। शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा बेग स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वे काश्मीर के विलय को स्वीकार करते हैं परन्तु फिर भी सरकार ने उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। केवल एक विश्वविद्यालय के एक उपकुलपति को कह दिया गया है कि वह इन नेताओं से आगे बात-चीत कर ले। उस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जब यह कहता है कि वह काश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार करता है तथा मानता है कि इस राज्य को भारत का एक अंग बना रहना चाहिये, फिर भी सरकार इस पर कोई उत्साह अथवा प्रत्युत्तर की भावना नहीं दिखाती है, क्योंकि काश्मीर में कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के बारे में भी ऐसा ही हुआ है तथा सरकार तब चौंकी है जब वहां हिंसात्मक घटनायें हुई हैं।

मुझे डर है कि कहीं जम्मू व काश्मीर के लोग भी धैर्य न खो बैठें क्योंकि भारत सरकार तो केवल हिंसा की भाषा ही समझती है शांति पूर्ण बात-चीत में तो उसे विश्वास ही नहीं है। मेरा अनुरोध है कि श्रीमती गांधी जरा उत्साह दिखायें, उनको मान, मर्यादा तथा गर्व का स्थान प्राप्त है। क्या हम इस प्रश्न को सदैव के लिये हल नहीं कर सकते ?

यही एक सुअवसर है जबकि प्रधान मंत्री जम्मू व काश्मीर के उन नेताओं से बातचीत कर सकती है। गैर-राजनैतिक उपकुलपति, चाहे जितनी उत्कृष्ट भावना के व्यक्ति हों, इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकेंगे जिसके कारण पाकिस्तान से युद्ध हुआ है। काश्मीर केवल ऊपर से शांत दिखाई देता है, परन्तु भीतर से वह शांत नहीं है। जम्मू तथा काश्मीर को भी पृथक करने की बातें हुई हैं। कुछ निश्चित स्वार्थ जम्मू व काश्मीर के वातावरण को खराब करने पर तुले हुए हैं। वे जम्मू व काश्मीर के विभाजन की बातें कर रहे हैं। इस सिद्धान्त के जन्मदाता भी डा० कर्ण सिंह हैं जो कि श्रीमती गांधी के मंत्री-मण्डल में एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती गांधी इस समय सभा में हैं अतः मैं फिर कहूंगा कि शेख अब्दुल्ला तथा श्रीमती गांधी के दूत के मध्य बातचीत वस्तुतः श्री शेख अब्दुल्ला तथा स्वयं प्रधान मंत्री के बीच होनी चाहिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि शेखसाहेब ने वास्तविक में स्थिति को स्वीकार कर लिया है तथा इसके बदले में भी वह वही चाहते हैं जिसका संविधान के निर्माताओं ने संविधान में उपबन्ध किया है अर्थात भारत में रहकर आन्तरिक प्रभसत्ता देने की बात कही है। काश्मीर के लोगों की यह

महानता है कि पाकिस्तान द्वारा कुरान शरीफ हाथ में लेकर धार्मिक प्रपंच द्वारा उनको बहकाने के निरन्तर प्रयास के बाद भी उन्होंने भारतवासी रहना स्वीकार किया है। हम लोगों की वफादारी की कद्र की जानी चाहिए और इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर बारबार नहीं आया करते हैं। शेख अब्दुल्ला के पश्चात् सरकार को काश्मीर के लोगों को धर्मनिर्पेक्षता की भाषा पढ़ाना कठिन हो जायेगा। यही समय है कि आप इस स्वाधीनता सेनानी की सेवाओं का लाभ उठा लें आज आप आन्ध्र के मामले में, उसके विभाजन को रोकने के लिये श्री सुब्बा रेड्डी के पास अपीलें भेज रहे हैं उसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं क्योंकि आप केवल धमकियों की भाषा ही समझते हैं जबकि समय कहता है कि हमें शांति तथा परस्पर समझ बूझ से काम लेना चाहिये।

जम्मू व काश्मीर में चुपचाप चल रहे षड़यंत्रों को रोकने के लिए विपक्ष को भी प्रयास करना चाहिये। वहां के लोगों को विश्वास में लेकर उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिये। मैं वहां के मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने इस संदर्भ में काफी प्रयास किये हैं। वहां पहली बार पूरी तरह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। यही बात विधान सभा के लिये भी होनी चाहिए। यही बात वहां के संसदीय चुनावों के लिए भी होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि शेख अब्दुल्ला से बातचीत का जम्मू व काश्मीर के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति ने अनेक विषयों की चर्चा अपने अभिभाषण में की है। पांचवीं योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना, आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, देश में लोकतंत्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था करना, क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को दूर करना तथा पिछड़े वर्गों एवम् अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की दशा में सुधार करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति से ही देश की प्रगति होगी।

श्री शमीम का यह कहना गलत है कि आन्ध्र में हिंसा कांग्रेस के कारण हुई है वस्तुतः इसके लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उत्तरदायी है। मैं आन्ध्र का निवासी हूं तथा वहां के बारे में जानता हूं। मैंने वहां की सही स्थिति को देखा है। श्री ईश्वर रेड्डी ने भड़काऊ वक्तव्य दिया है तथा ऐसे ही कथनों से हालात बिगड़ते जाते हैं। श्री स्वामीनाथन् की इस बात से मैं सहमत हूं कि इस समस्या का हल शीघ्रातिशीघ्र खोजा जाना चाहिए।

इस आन्दोलन के इतिहास को मैं दोहराना नहीं चाहता। दोनों क्षेत्र के लोग मिलकर रहना नहीं चाहते हैं तथा आन्ध्र और तेलंगाना के लोगों में परस्पर शत्रुता हैं। तेलंगाना के लोग समझते हैं कि आन्ध्रवासी हैदराबाद से उनका शोषण करने आये हैं। मुल्की नियमों के अधीन उन्हें विशेष अधिकार दिये जाने पर भी वह संतुष्ट नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप प्रधान मंत्री द्वारा सुझाया गया फार्मूला भी दोनों पक्षों को स्वीकार नहीं है हालांकि इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं हो सकता था। इसी कारण यह आन्दोलन शुरू हुआ और हम कांग्रेस के सदस्य होने के नाते तमाशायी बनकर इसे देखते रहे हैं। मैं जानता हूं कि स्वतंत्र, साम्यवादी दल तथा निर्दलीय इस स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि ये लोग पुनः शान्ति नहीं पा सकेंगे। प्रधान मंत्री लोगों के दुःखों को समझती हैं। वह अवश्य ही उनकी उचित मांगों को पूरा करेंगी।

इस आन्दोलन में सभी समुदायों के लोगों ने भाग लिया है। पढ़े-लिखे लोग, वकील, डाक्टर, अध्यापक आदि सभी वर्गों ने अपनी शिकायतें रखी हैं तथा एक पृथक राज्य की मांग की है।

गृह मन्त्री तथा हमारे प्रधान मन्त्री ने भी यह सही कहा है कि आंध्र की समस्या अन्य समस्याओं से भिन्न है। इन क्षेत्र का अपना अलग इतिहास है, अलग संस्कृति है। यदि किसी राज्य या क्षेत्र के पास अपनी निजी भाषा है सभ्यता तथा संस्कृति है, इतिहास है तो वह क्षेत्र एक पृथक राज्य बन सकता है। आंध्र क्षेत्र में हमेशा चार जिले रहे हैं तथा पहले आंध्र एक पृथक रिजवाड़ा था जिस पर विशाखापत्तनम से चित्तूर तथा रायलसीमा तक शासन था। इस प्रकार हम एकत्रित थे और इसीलिये हम एक पृथक राज्य मांगते हैं। यही कारण है राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य श्री कुंजरू तथा कुछ अन्य प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने आंध्र प्रदेश को विभाजित करके आंध्र तथा तेलंगाना दो पृथक राज्य बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने अन्य क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया था।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : At present, the drought condition in the country is very grave and crores of people are unable to get their two meals a day ; they have no employment opportunities. The Central Government is not giving instructions to the States in this behalf. More particularly the backward, tribal and hilly areas are worst affected by continuous drought for years together. The relief works taken up by the Government are only for the name sake. The prices of all the essential commodities have risen up beyond recall. The President has given a little mention to this problem but has not indicated any steps taken or to be taken up by the Centre and the States.

I want that the adequate supplies should be made to drought hit areas. Small crash programmes are not going to help much in providing employment. Laying of railway tracks should be started which will go a long way to provide employment to the people of those areas. It is a very serious problem and the Central Government should rise to the occasion.

As regards Andhra Pradesh if the people as well as the leaders, representatives and even the Members of the ruling party desire separation why then this issue should be kept on hanging to give scope for more and more violence and disorder ? Let the people's will be honoured. If they want to divide these areas, let them have it. Otherwise in the absence of a solution, the condition will go worse day by day causing great hardships of all sorts to the common people there. The Division I believe would be in the interest of the people of those areas as well as the country as a whole.

Thirdly, people demand of curbing the rise in prices to eradicate unemployment. Corruption is on the constant increase in our country. It has become very difficult to get any work done without greasing the palm of the concerned officials etc. The corruption is at its peak these days. It cannot be curbed or eradicated unless the Administration takes up very stern measures and implements them very strictly and effectively.

The President in his Address has not mentioned anything about the crores of backward people, particularly the Harijans, of our country although their affaris are directly under the Centre. He has indicated no measures for their upliftment although their grievances have been vindicated quite a number of times here in Parliament and outside.

Then, no industries are being installed in backward and tribal areas. On the other hand those are being centred at Faridabad, Ahmedabad, Calcutta etc. If we are really desirous or bringing socialism and eradicate imbalances, we will have to keep the villages at par with the cities and towns. My Constituency Jhabua is a backward tribal area where there exist no railway lines, factories or industries of any sort. I, therefore, urge upon the Government to look into these things and take effective steps in this regard.

Shri Shankar Dev (Bidar) : The President's Address lacks a bit in regard to improving the relations between India and Pakistan. It is true that our Prime Minister's efforts in bringing

about such a change in the attitudes of both the countries are commendable, but still adequate efforts have not been made in maintaining that tempo of developing friendly relations with Pakistan. Our endeavour to enable Bangla Desh to become the Member of the United Nations was an act of unfriendliness against Pakistan and we should have not done it. India should have kept silent over this issue and that would have brought Pakistan nearer to us. Later on, when the atmosphere would become calm, cool and quiet, we could have jointly given a better shape to the affairs in this sub-continent. We too could have form an I. I. C. as the Europeans have formed the E. E. C. But unfortunately, both the countries, just out of fear of attack on one another are spending huge amounts on their armaments which is resulting high rise in prices in both the countries. Pakistan is trying to malign India on the issue of prisoners of war. We should consider this matter in all seriousness because Pakistan leaves no opportunity in vitiating the atmosphere. Moreover it is telling on our economy. I would suggest that we should clinch this issue on humanitarian grounds. In case Sheikh Mujibur Rehman is not agreeable to release the prisoners of war, we should suggest that the President of Pakistan and the Prime Minister of Bangla Desh should discuss this matter to remedy the situation.

The President of India has not made any mention of one world Government in his address. He spoke of one Asia Assembly in his address. We should think in terms of one world Government also.

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृथक तेलंगाना की मांग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तेलंगाना की जनता गत चार वर्षों से पृथक तेलंगाना राज्य की मांग कर रही है। अब आन्ध्र प्रदेश में भी गत चार महीनों से पृथक राज्य की मांग की जा रही है। तेलंगाना के लोग आन्ध्र प्रदेश के साथ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जायेगा। अब यह बात सिद्ध हो गई है। वर्ष 1971 के मध्यावधि चुनावों में तेलंगाना प्रदेश से 14 में से 10 सदस्य इसी मामले को लेकर चुनाव जीत कर आये हैं। इसी आधार पर पृथक तेलंगाना राज्य की मांग स्वीकार कर ली जानी चाहिये थी। आज भी हजारों लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। अराजपत्रित कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। यह कहना अनुचित है कि प्रतिक्रियावादी और जमींदार इस आन्दोलन को चला रहे हैं। वस्तुतः इस आन्दोलन में समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। जिन दलों के नेता पहले इस मांग का विरोध करते थे वे भी अब इसका समर्थन करने लगे हैं। संसद द्वारा बनाये गये कानून में निहित पांच सूत्री फार्मूला आन्ध्र और तेलंगाना—दोनों ने अस्वीकार कर दिया है। अतः लोकतंत्रात्मक ढंग से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। यह मामला किसी दल विशेष का नहीं बल्कि यह जन आन्दोलन है। जब तेलंगाना में आन्दोलन चल रहा था तब हजारों लोग जेलों में ठूंस दिये गये थे और हजारों लोगो ने भूख हड़ताल की थी और कई लोग मक्खियों की तरह मार दिये गये थे। अब आन्ध्र प्रदेश में भी वही कुछ हो रहा है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना भेज कर पहले जनता को उत्तेजित किया जाता है और जब वे कुछ कहते हैं तो उनपर गोली चलाई जाती है। आन्ध्र में चल रहे आन्दोलन के नेता वास्तव में कांग्रेस जन हैं जो हाल ही में गरीबी हटाओ का नारा लगा कर मध्यावधि चुनाव में जीते थे। परन्तु जब वे अलग राज्य की मांग करते हैं तब उन्हें प्रतिक्रियावादी और जमीनदार बताया जाता है। यदि यही स्थिति रही तो जनता का लोकतंत्र में विश्वास समाप्त हो जायेगा। अन्त में मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह तेलंगाना को अलग राज्य बना दें ताकि वे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सकें। तेलंगाना को सूखे की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है परन्तु उस क्षेत्र को कोई राहत नहीं दी जा रही है क्योंकि गत चार वर्षों से वहां कोई सरकार नहीं है।

बीबीनगर से नीडीकुडे तक और करीमनगर जिले में रामगुंडम से निजामाबाद तक दो रेलवे लाइनें बनाने की मंजूरी दी जानी चाहिये ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके।

मेरे विचार में सरकार को अनाज का थोक व्यापार तब तक अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये जब तक इस प्रयोजन के लिये किसी उचित संगठन की स्थापना नहीं कर दी जाती और जब तक भारतीय खाद्य निगम के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच की रिपोर्ट नहीं मिल जाती ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि देश को सूखे, तूफान और बाढ़ की दैवी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है । परन्तु यह स्थिति भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व की है । सूखे के अतिरिक्त हमारे देश में विरोधी दल पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश में चल रहे आन्दोलन का लोक वितरण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । आज स्थिति यह है कि उड़िया भाषी लोगों को बंगला भाषी लोगों के साथ और बंगला भाषी लोगों को असमिया भाषी लोगों के साथ लड़ाया जा रहा है । एक ओर देश को दैवी आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर विरोधी दल इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल भारत की विदेशी मुद्रा की कुल आय का एक तिहाई भाग अर्जित करता है । वर्ष 1947 में 2.77 लाख एकड़ भूमि में पटसन की खेती होती थी । अब 12 लाख एकड़ में पटसन की खेती होती है । यद्यपि पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल सब जगह उपलब्ध है परन्तु भूमि की सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे अच्छी खेती हो सके । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो क्षेत्रीय भावनाओं को प्रश्रय देते हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सभी राज्यों के साथ न्यायसंगत व्यवहार किया जाये ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 लाख टन खाद की मांग की थी परन्तु केवल आधी मांग पूरी की गई है । जो राज्य धान के स्थान पर पटसन की खेती करने को तैयार हैं ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल की कम से कम खाद की मांग पूरी कर दी जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस अभिभाषण से राष्ट्र को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है । इसके महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश का नाम मिटता जा रहा है । इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में यह सरकार भी कोई सरकार नहीं है । देश में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है । इसी प्रकार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है । आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति का अन्धकारमय चित्रण किया गया है । राष्ट्रपति का अभिभाषण निर्जीव-सा प्रतीत होता है । सरकार ने जो नीतियां निर्धारित की हैं और जिस ढंग से उन्हें क्रियान्वित किया गया है उसी के परिणामस्वरूप देश को गम्भीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । आज विद्यार्थी, अध्यापक तथा अराजपत्रित कर्मचारी सरकार के खिलाफ हैं । देश के अनेक भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । अल्प संख्यक वर्गों का भी सरकार में विश्वास समाप्त हो गया है । हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक कितनी जल्दी में पास किया गया था । सरकार को अल्प संख्यओं की भावनाओं के साथ इस प्रकार नहीं खेलना चाहिये । ऐंग्लो-इण्डियन और ईसाई तथा अन्य अल्प संख्यक समुदाय दिल्ली शिक्षा विधेयक के बारे में बहुत उत्तेजित हैं । विरोधी पक्ष ने कुछ समय पूर्व सरकार को सलाह दी थी कि सरकार को संविधान में अल्प संख्यकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में उपबन्धों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये । हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक में भी संशोधन करने के पक्ष में हैं जिससे हमारे देश में अनेक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है ।

जिन लोगों ने चुनावों में भारी बहुमत से विजय का स्वागत किया था आज वे भी सोचते हैं कि यदि केन्द्र और राज्यों में भारी बहुमत के बावजूद इस देश की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो क्या जनता के मन में संदेह नहीं पैदा हो जायगा कि लोकतंत्र में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इस सरकार पर विश्वास समाप्त होता जा रहा है। चुनावों के समय जनता को जो भ्रम हो गया था वह बड़ी तेजी से दूर होता जा रहा है। जब सरकार सब प्रकार से असफल हो गई तब कभी सी० आई० ए० और कभी दफ्तर शाही की दुहाई दी जाने लगी है और कभी विरोधी पक्ष को धोखेबाज और राष्ट्रविरोधी कहा जाने लगा है। प्रधान मंत्री का विरोधी पक्ष को धोखेबाज और राष्ट्रविरोधी कहना विरोधी पक्ष और देश-दोनों के लिये अनुचित है। अब नेता का वह जादू कहां है ? उस जादू का बेरोजगारी, मूल्व वृद्धि, आन्ध्र या आसाम की समस्याओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ? चुनावों के दो वर्षों में देश की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ी है। सरकार ने जितने वचन दिये थे वे शब्दों और नारों तक सीमित रह गये हैं। यदि समाजवाद में मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि और विषमताओं में वृद्धि होती थी तो निःसंदेह हमारी सरकार उसमें पूरी तरह सफल हुई है। प्रधान मंत्री स्वयं कहने लगी हैं कि अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक पर दबाव बढ़ने लगा है और इसलिये लोकतंत्र को खतरा है। फिर मंत्रिमंडल में वृद्धि शक्ति की नहीं बल्कि कमजोरी की द्योतक है। प्रधान मंत्री का विश्वास का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब उनका विश्वास अपने सिवाय मंत्रिमंडल में किसी पर भी नहीं रहेगा।

अर्थ व्यवस्था में स्थिरता आ रही है या आ गई है। वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय आय में केवल 1.5 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई है। इस वर्ष भी यही स्थिति रहने की सम्भावना है। मूल्य वृद्धि के संदर्भ में यदि गरीब लोगों की प्रतिव्यक्ति आय पर ध्यान दिया जाये तो उसमें लगभग 15 प्रतिशत की कमी हुई होगी। इसी का नाम गरीबी हटाओ कार्यक्रम है।

सूखे की स्थिति के बारे में कुछ राज्यों की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। मैसूर में 70-80 प्रतिशत पशु मर गये अथवा वहां से चले गये हैं। परन्तु सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। अनेक लोगों को पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। शराब से बिक्री कर और उत्पादन शुल्क हटा कर उसे 35 प्रतिशत सस्ता कर दिया गया है जबकि खाद्यान्न और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में 30-35 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। सूखे का मुकाबला करने के लिये दी गई राहत अपर्याप्त ही नहीं बल्कि ऐसे क्षेत्रों को राहत देने में समान नीति का अनुसरण भी नहीं किया गया है। मैसूर, गुजरात और राजस्थान से भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

औद्योगिक उत्पादन लगभग रुक-सा गया है। शासक दल में कुछ लोगों का कहना है कि गत वर्ष कुछ अन्तिम महीनों में उसमें लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह एक अस्थायी स्थिति है। विद्युत के अभाव और परिवहन की समस्या के कारण औद्योगिक उत्पादन में फिर कमी होने लगी है।

यदि प्रधान मंत्री आपके विवरण पर बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव आदि के आंकड़े नहीं दे सकतीं तो उन्हें यह कार्य अपने किसी सहयोगी को सौंप देना चाहिये। जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है उसमें प्रतिवर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि होती जा रही है। रोजगार कार्यालयों में दर्ज नामों से विदित होता है कि देश में बेरोजगारी की कितनी भयानक स्थिति है इसके लिये सरकार की प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतियां केवलमात्र उत्तरदायी हैं।

वास्तव में सरकार ने सम्पूर्ण देश को सत्तारूढ़ दल की समस्या के रूप के परिवर्तित कर दिया

है । यह मेरा अपना मत नहीं है वरन इस बारे में बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं । विधान नगर में रक्षा मंत्रालय ने दो पुल बनाए जिनका मूल उद्देश्य सत्तारूढ़ दल के हितों की सिद्धि करना था ।

इसके अतिरिक्त भारत रक्षा नियम का उपयोग सत्तारूढ़ दल की स्वार्थ सिद्धि के लिये किया गया । कलकत्ता में प्रेसों के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की सूचना दी थी किन्तु उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत हड़ताल करने का अवसर नहीं दिया गया जिससे कांग्रेस पार्टी की पत्रिका समय पर छप सकें ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

कांग्रेस पार्टी की पत्रिका में अनेक विज्ञापन दिये गये हैं तथा इस माध्यम से पूंजीपतियों से भारी धनराशि एकत्र की गई है । प्रधान मंत्री के जन्म दिन पर प्रमुख समाचार पत्रों में पूरे-पूरे पृष्ठ पर चित्र प्रकाशित किये गये हैं । यह कहना सर्वत्रा उचित है कि इस प्रकार करदाताओं की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा हैं । जिस धनराशि का उपयोग स्कूल बनाने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिये होना चाहिये था उसको बड़े-बड़े व्यापारियों को इस माध्यम से दिया गया है ।

श्री इन्द्रकुमार गुजराल यहां उपस्थित हैं अतः मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि प्रेस सूचना ब्यूरो का उपयोग भी कांग्रेस की स्वार्थ सिद्धि के लिये किया जा रहा है । श्री चेलापति राव जैसे प्रसिद्ध सम्पादक का कहना है कि उक्त ब्यूरो में अनावश्यक रूप से व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है । उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो पत्रकारोंको खरीदने का प्रयत्न कर रहा है । मैं यह सब कुछ "नेशनल हैरल्ड" समाचार पत्र में प्रकाशित एक पत्र के आधार पर यहां कह रहा हूं ।

सरकार चुनाव आयोग को भी अपने हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयत्न कर रही है । हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सेवानिवृत्त होने पर चुनाव आयुक्त को किसी प्रकार का कार्य सौंपा जाए । किन्तु सरकार ने ऐसा किया है जिससे वह चुनाव आयुक्त के मन में लालच उत्पन्न करके उससे कोई भी कार्य करा सके । हमें इस बात पर भी आपत्ति है कि नए चुनाव आयुक्त को इस पद पर आसीन होते ही उपाधि से अलंकृत किया जाए । मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि चुनाव आयोग में तीन आयुक्त होने चाहिये । जब सरकार अपने मंत्रिमण्डल में विस्तार कर सकती है तो चुनाव आयोग में तीन आयुक्त रखने में उसे आपत्ति क्यों होनी चाहिये ।

सबसे बुरी बात यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा उप चुनावों को स्थगित किया जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ दल को कुछ उप चुनावों में आघात पहुंचा है । सरकार और बड़े-बड़े उद्योगपतियों में ऐसी सांठ गांठ बनी हुई है कि सरकार अपनी नीतियों को उनके हितों के अनुकूल रखती है । एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में हाल में बीमा उद्योग के उद्योगपति को सम्मिलित किया गया है । हर व्यक्ति ने कनाट प्लेस में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखाया हुआ है "दी लीडर इज राइट, अवर फ्यूचर इज ब्राइट" (**व्यवधान**) इस व्यक्ति का नाम श्री कुलदीप नारंग है । इस व्यक्ति ने बीयर और चीनी से भारी धनराशि अर्जित की है (**व्यवधान**) ।

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने वाणिज्य मण्डल से बड़े उद्योग गृहों के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है । स्वयं दिल्ली के लिये नई उद्योग नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत बड़े उद्योग गृहों की समृद्धि और बढ़ाई जा सकती है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम आसाम में भाषा की समस्या और आन्ध्र प्रदेश में मुल्की कानून की समस्या पर आंसू बहा रहे हैं। मेरे विचार से नामजद मुख्य मंत्री ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते चाहे वे कितने भी योग्य क्यों न हों। प्रजातंत्र में नामनिर्देशन की प्रणाली का अनुसरण करना घातक होगा तथा ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार फैलना अनिवार्य है।

हरियाना के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल को साफ छोड़ दिया गया है जिन्होंने सरकार और प्रधान मंत्री को विषम स्थिति में डाल दिया है। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि श्री बंसी लाल के साथ-साथ अन्य कई लोगों का भी पतन होगा।

गुजरात की सूखाग्रस्त जनता के हितों के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि नर्मदा परियोजना को यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए तथा प्रधान मंत्री को अपना फैसला देने में कोई विलम्ब नहीं करना चाहिये।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : Sir, the hon. President in his Address, has tried to draw our attention to the various problems faced by the nation. He has drawn the attention of the Government as well as the people of our country to this problem of drought conditions prevailing in the country. The hon. President has also made an appeal to the people to solve all kinds of their differences in a democratic way and not to resort to violence and other anti-social activities.

The hon. President has also made a review of the incidents taken place during the last two years in the country. He has mentioned the programme which Government intend to implement in the furture. Our country is facing economic and social difficulties. Various problems, like price rise and unemployment are prevalent in our country. Today our aim is to achieve self-sufficiency by way of promoting our industrial and agricultural production. We have to bring about unity in the country to encounter the challenges from inside and outside the country. We should not ignore our weakness also.

I am sorry to point out that Shri Mishra, who seriously considers our problems, has today joined the people who have been trying to make the Parliament a political arena. Reactionary forces and vested interest have been conspiring against the democratic set-up of the country and they have been trying to malign the image of the country and the Government.

Our country has witnessed historic events during the last two years. There has been peaceful revolution in the country. After 1967 people not only inside the country but also out side the country have started saying that political stability has disappeared and that the country is heading towards anarchy. This was a challenge to our values, ideals and future. The capitalistic forces inside the country and outside combined to destroy our democratic values. Shrimati Indira Gandhi accepted the challenge and went to the people by dissolving Parliament and ordering fresh elections. The people are not protecting our democracy but also protecting territorial integrity and unity of the country.

I do not want to use the language of Shri Mishra. But I would like to make it clear that his party is determined to exercise character assassination of leaders and political parties. They aim at for destroying the values of the country. Actually they are seized by frustration and disappointment caused to them by the people.

I vehemently reject his statement that Shrimati Indira Gandhi is unfit to be the Prime Minister. She has been made Prime Minister by the people of the country and not by him or Shri Piloo Mody. He should know it that the people of our country have full faith in the democratic values.

He has also stated that Government could not fulfil their promises. The hon. President has drawn our attention to the various problem faced by the country in his address. Increase in prices and unemployment is a problem which concerns all the nationalists. But we are fighting

against it. It has been said that there was wide spread frustration in the country and that nothing has been done by the Government during the last two years. I would like to remined them of the historical event of creation of Bangla Desh when our Government took part in that struggle with foresighted ness, self-respect and vehemence.

Our party and all of our Governments have decided to introduce time-bound programmes. It had also been decided that all State Legislatures would pass legislation regarding land reforms by the 31st December and take steps to implement them. The hon. Member should be happy to know that all the State Governments had abided by that decision.

We have also decided to provide land to landless people in the rural areas during the silver jubilee year of our independence. It is a big decision and there are about one crore people who are homeless. It has been decided that our Government should make attempts to provide such peoples land by the 15 August, 1973.

Some people have been pleading that we should take foreign aid from countries like U.S.A. for our development. We do not agree with them because it will result in losing our sovereignty and self-respect. We have decided to stand on our own feet and develop our country by mobilising our internal resources. People of our country may face difficulties but they will make all-out efforts to become self-reliant.

We have also decided to provide employment to five lakhs of educated unemployed in one year before the beginning of Fifth Five Year Plan. We will maintain this step so that by the end of the Fifth Five Year Plan we would be able to provide jobs to 30 lakhs of educated unemployed.

We have realised that there is a shortage of foodgrains in the country and that the system of distribution of essential commodities, like foodgrains, cloth, Kerosene oil, etc. is defective. Now, however, our Government have decided to take over wholesale trade in foodgrains and to distribute it to the people through co-operatives at fair prices to remove intermediaries and profiteers from the trade.

We hoped that Shri Mishra would welcome this decision but in vain. Shri Vajpayee in his speech has critisized the Government for taking this decision. But it is an important decision and with these steps Government would be able to curb exploitation of the poor people. It is necessary for the Government to evolve public distribution system for the benefit of the poor people.

I am aware of the fact that the supporters of the reactionary communal and regional forces and the capitalists create upheavals at the time of economic and social difficulties faced by the country. They are none but those who were defeated in the last elections. Now, they have resorted to violence and sabotage. . .Shri Mishra has cast aspersions upon our party, party leader and our ideals and policies. But the people of our country are wise enough to differentiate between good and bad, and between reality and unreality. We should have realised that when a country embarks upon economic and social development she has to face various difficulties. We were also aware of these difficulties and we have been trying to remove them. But I am sorry to observe that certain political parties and their leader are trying to show distorted picture of the situation.

It should be remembered that the people and the Government have fought against the foreign invasions with unity and courage. People of the country have realised that their interests are protected.

In the present circumstances we realise that our administrative structure should be changed. It is not equal to the tasks ahead of us. Whatever laws are formulated for the well being of the people are not properly implemented as a result people do not derive the benefits. This matter deserves serious consideration.

Besides, we are determined to bring about socialism through democratic methods. We have to consider ways and means to increase tempo of our progress. We do not want to destroy our Parliament as is alleged by some people. The people of our country are the real strength of our nation. They will must know about the combination of forces which want to divide the country in the name of language etc. They should also have firm belief in our national unity and our values. All the socialists forces have to fight such reactionary elements and ideologies which aim at weakening people's movements. We are determined to fight poverty as is evident from the Approach to Five Year Plan. A number of measures have to be taken in this regard. The workers, farmers and young people have to join together to continue our march on the path of socialism. With these words I support the motion of thanks to the President.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी बात सुनाई नहीं दी जिसके लिये मैं उनका धन्यवाद करूं, उन्होंने आंध्र की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया है। केवल हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करने से समस्या का समाधान नहीं होता। मैं भी हिंसा के विरुद्ध हूं किन्तु इसके लिये मैं सरकार को ही दोषी मानता हूं। सरकार ने जनता के मन में यह धारणा उत्पन्न कर दी है कि यह सरकार हिंसात्मक गतिविधियों की भाषा ही समझती है।

यह सच है कि चार महीनों से आंध्र में हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री से विपक्षी दल के सदस्यों तथा कांग्रेस के सदस्यों ने भी यह अनुरोध किया था कि वह अपने सूत्र की घोषणा न करें किन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उन्होंने इस कानून के बारे में जल्दबाजी की। हमने कहा था कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री को ही इसका दोषी मानता हूं।

तेलंगाना में 1969 में आन्दोलन हुआ था और यह आन्दोलन शीघ्र हिंसात्मक गतिविधियों में बदल गया। इस आन्दोलन को आवारा छोकरों और गैर जिम्मेदार व्यक्तियों का आन्दोलन बताया गया था तथा कहा गया था कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। किन्तु इसमें भारी संख्या में जनता ने भाग लिया था। पुलिस ने गोलियां चलाई थी और लगभग 15 व्यक्ति मारे गये थे। प्रधान मंत्री लगभग आधी रात को वहां पहुंची थीं तथा उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण रवैया अपनाने की मांग की थी तथा जनता ने हिंसा बन्द कर दी थी। सौभाग्य से हैदराबाद नगर में उप-चुनाव हुए तथा हमें बहुमत प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा है कि इस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, किन्तु सिद्दिपेट के उपचुनाव से यह धारणा सिद्ध हो चुकी है कि यह आन्दोलन जनता का आन्दोलन है। सरकार ने अब तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष को बातचीत करने के लिए मना लिया है, किन्तु इस बातचीत का कोई अच्छा परिणाम अब तक नहीं निकला है। मध्यावधि चुनावों में हमने तेलंगाना प्रजा समिति की ओर से चुनाव लड़कर 14 स्थानों में से 10 स्थान प्राप्त किए हैं। सरकार ने सदा सबको धोखा दिया है। आन्ध्र प्रदेश के कांग्रेसी भाइयों को भी यह सरकार अवश्य धोखा देगी। इस बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है कि सरकार आंध्र का बंटवारा करना नहीं चाहती है।

कहा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश का आन्दोलन प्रतिक्रियावादियों द्वारा किया गया है। ऐसी बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यह आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और इसको जनता का समर्थन है, और वकीलों, इंजीनियरों, अराजपत्रित कर्मचारियों और हरिजनों का समर्थन प्राप्त है।

मैं प्रधान मंत्री और अन्य मित्रों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपने हित में, कांग्रेस दल के हित में, और देश के हित में, आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर देना चाहिए। आंध्र का बंटवारा करते ही वहां की सारी समस्याएं स्वमेव हल हो जायेंगी। आज वहां स्थिति ऐसी है कि जनता की यह भावना सेना और पुलिस के दबाव से भी नहीं दबेगी। यदि सरकार ने राज्य का विभाजन नहीं किया तो कांग्रेस दल आंध्र प्रदेश से ही समाप्त हो जायेगा। यहां तक कि कांग्रेस सारे देश से ही मिट जायेगी।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : भारत आज विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह विश्व में राजनीतिक रूप में ही सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है अपितु आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। केवल इसी देश में पिछले 15-20 वर्षों के दौरान प्रगति और सामाजिक समृद्धि और न्याय के लिए प्रयास किया गया है। लोगों का प्रधान मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में विश्वास है। चुनावों में जनता ने ही प्रतिपक्षी दलों को हराया है। यहां लोकतंत्र स्थिर और दृढ़ है तथा यहां हर प्रकार की समस्याएं हल की जा सकती हैं। विपक्षी दल ऐसा वातावरण बनाकर अपनी दुर्बलता छुपाते हैं कि सत्ताधारी दल और प्रधान मंत्री द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे लोकतंत्र को खतरा हो गया है। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्पष्ट हो जाता है कि 1971 की भांति 1972 में भी दृढ़ निर्णय लिए गए हैं, सही दिशा में ठीक कदम और दृढ़ कार्यवाही की गई है। महाराष्ट्र में घटी घटनाओं के बारे में ऐसा ही कहा गया है। यह महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार चाहे केन्द्र की सरकार के प्रयासों का फल है कि महाराष्ट्र में करोड़ों लोगों को सूखे से बचाया गया है : अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगभग दो करोड़ व्यक्ति प्रभावित हैं। लोग गांवों को छोड़कर नगरों में जा रहे हैं। वहां पीने का पानी नहीं है। पशुओं के लिये चारा और पानी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा शीघ्र और तुरन्त कार्यवाही किए जाने पर और राज्य स्तर पर कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के कारण ही लोगों को भुखमरी और महामारी से बचाया जा सका है।

राज्य में पिछले 6 महीनों में यह काम किया गया है जो 10 वर्षों में भी नहीं हो सकता था। गत 6 महीनों में 90,000 राहत कार्य आरम्भ किए गए हैं जिनमें 48 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ऐसी दृढ़ कार्यवाही के कारण ही लोगों का प्रधान मंत्री और उनके कार्यक्रम में विश्वास है। सारे विश्व में परिवर्तन आया है किन्तु विपक्ष और इसमें व्याप्त दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी बल में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है।

जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि हम कठिनाइयों, चुनौतियों और भयंकर सूखे और बिजली की कमी के बावजूद भी समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। देश एक बहुत बड़ा निर्णय ले रहा है कि, 1972 73 में न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर 3,300 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है अब कोरम पूरा हो गया है।

श्री राजा कुलकर्णी : देश में वर्तमान समस्याओं का वर्णन करने से ही विपक्ष को आलोचना सिद्ध नहीं हो सकती। किन्तु सरकार उन्हें कैसे हल करती है यह महत्वपूर्ण है। समस्याओं का हल सरकार बहुत दृढ़ता से कर रही है। सरकार हजारों वर्षों से व्याप्त उस समस्त सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन ला रही है। समस्याएं जानबूझकर पैदा की जा रही हैं, ये समस्याएं कृत्रिम हैं। आन्ध्र प्रदेश में जो दंगे और गड़बड़ हो रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर लोगों के सामाजिक जीवन में निहित स्वार्थों की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही वे निहित स्वार्थ

हैं जो देश की एकता, राष्ट्रीय जीवन राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक न्याय के निर्माण करने और हमारे समाज में शीघ्र परिवर्तन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में बाधा डाल रही हैं । जहां

[श्री सेझियान पीठासीन हुए
Shri Sezhiyan in the Chair]

भाषायी राज्यों का प्रश्न हल हो गया है तो वहां यह समस्या भी सुलझाई जा सकती है । जो आंध्र का विभाजन चाहते हैं उन्हें प्रधान मंत्री की सलाह भी मान लेनी चाहिए । प्रधान मंत्री इस समस्या को सुलझाने के लिए सक्षम हैं । किन्तु यह खेद का विषय है कि जो लोग कभी भाषायी राज्यों को एक करने की वकालत किया करते थे वे अब विभाजन की बात करते हैं । यह निहित स्वार्थ ही है जिन्होंने एक नये राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन करने की मांग की है । इससे लोगों का ध्यान और उनकी शक्तियां सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के मुख्य मामले से हट रहा है ।

राष्ट्रपति ने अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र प्रबन्धकों और श्रमिकों की विचारधाराओं में परिवर्तन आना चाहिए देश की प्रगति और परिवर्तन में इन दोनों को साझेदारों के रूप में अपने आपको बदलना चाहिए । आधार भूत मामला सरकारी उपक्रमों के लिए उचित संगठनात्मक ढांचा ही है । एक ऐसा नया ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे लोगों, श्रमिकों, और बाहर की जनता की शक्ति को, उनके द्वारा उत्पन्न की गई सम्पदा या किए जाने वाले उत्पादन में लगाया जा सके । आज हम चाहते हैं कि स्वायत्त शासी सरकार, अथवा नगर पालिकाओं या जिला परिषदों के आधार पर औद्योगिक स्वायत्त सरकार की स्थापना हो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके । इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए ।

***श्री एम० एम० जोजफ** (पोरमाडे): राष्ट्रपति के अभिभाषण से निराशा ही हुई है । हमारा देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है और संकटमय काल से गुजर रहा है । किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह कोई संकेत नहीं मिलता है कि सरकार इनके बारे में क्या करने जा रही है ।

आज हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण समस्या गरीबी की है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे स्तर पर जीवन बिता रहे हैं ।

महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य अनेक राज्यों में भीषण अकाल पड़ रहा है । लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है । समुद्रतटीय क्षेत्रों में गरीबी व्याप्त है । किन्तु राष्ट्रपति ने देश से गरीबी दूर करने के बारे में कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं दिए हैं । देश मूल्य वृद्धि की एक अन्य समस्या का सामना कर रहा है । सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है । खाद्यान्नों के मूल्य 10 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है । 'गरीबी हटाओ' का नारा केवल नारा मात्र बनकर रह गया है । सरकार ने गरीबी दूर करने का एक नया तरीका निकाला है कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथों में लिया जाए । ऐसा करने में करोड़ों रुपये खर्च होंगे किन्तु इससे यह समस्या हल नहीं होगी । समस्या अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने से हल होगी ।

मेरे राज्य में नारियल, सुपारी तथा अन्य वाणिज्यिक फसलें होती हैं । नारियल और सुपारी के वृक्षों में एक प्रकार की बीमारी लगी हुई है । किन्तु सरकार ने इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं । रबड़ उत्पादकों की भी यही स्थिति है । नारियल विकास परिषद और सुपारी विकास परिषद भी वहां कुछ काम नहीं कर रही है । काली मिर्च के उत्पादन की भी यही स्थिति है ।

*मूल मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

आज सारे देश भर में असन्तोष और अशान्ति फैली हुई है। गुरुनानक विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक पहले से ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। केरल में जो आन्दोलन फैला हुआ है यह केवल अराजपत्रित अधिकारियों के कारण ही नहीं है किन्तु यह केरल के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है।

कोचीन में एक शिपयार्ड तथा अन्य कारखानें बनाने हेतु हम अनेक वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में अनेक अभ्यावेदन भी दिए गए हैं किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

देश में अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं। किन्तु केरल में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में कोई रुचि नहीं ले रही अपितु उदासीनता बरत रही है।

केरल में बेरोजगारी भी बहुत है क्योंकि केरल के अभ्यर्थियों को अन्य प्रदेशों में रोजगार नहीं मिलता है। केरल के लोगों के प्रति ऐसा रवैया उनके लिए सहायक नहीं है। अतः ऐसे रवैये को समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इसका कुछ उल्लेख करना चाहिए।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Sir, some opposition parties have walked out of the Presidents address in the joint session of Parliament. In 1971 the same grand alliance was formed. But when it was put to test on mandate it proved it self complete failure. Now it has proved that the opposition has no faith in democracy and democratic institutions of the country. They should not forget that the roots of democracy have become very strong in the country.

We are all concerned over the sad conditions prevailing in Andhra Pradesh. Andhra is in great turmoil and common man's life is paralysed there. There is no security of women and property in the state. Threats for the bifurcation of Andhra can not be tolerated. I appeal to the members from Andhra and Telengana to face this challenge and keep peace and normalcy in the state and show their leadership there.

The Prime Minister has repeatedly stated that the doors for negotiations are always open but there should be an atmosphere of peace and protection to normal life. Negotiations can not be held under pressure of threat.

There is a demand for establishing a new State's Reorganisation Commission. But the fact is that our problem shall not be solved by bifurcating the states into smaller ones. It will weaken our nation and our borders. There will be rivalry among them and Centre will become weak. Whatever may be the outcome of the negotiations with the Prime Minister but the bifurcation of Andhra Pradesh can not be favoured and supported because the division of the state shall not be in the interest of the common people and its results shall not prove favourable.

I want to inform the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister that some reactionary parties in collaboration with some external powers are conducting the agitations in the country on different issues. These reactionary forces can not defame our Government by their violent and subversive agitations. Such agitations and problems will be responsible to make our country weak. Government should investigate the matter and find out these foreign powers supporting these agitations. Government should make efforts to check these powers from supporting these agitations.

Our foreign policy is to have friendly relations with foreign countries. Therefore, the Simla agreement with Pakistan is a historic incident in the Asian subcontinent. I request the Government that the incidents of attack on our High Commission in London should be ignored and Simla agreement should be fully implemented.

It is said here that Pakistani Prisoners of war should be released without any condition. But I am not in favour of their release. In this connection we should take action in accordance with the international law. Nobody has raised any voice for the release of 4 lakh Bengali families detained in Pakistan.

Taking into account the trend of rise in prices, hoarding, blackmarketing and adulteration, Government is taking private sector into its own hands. The prices of foodgrains having been gone up, the Government has been compelled to takeover wholesale trade of foodgrains and its distribution. More over it is the responsibility of the State Governments to see that essential commodities are available to the consumers at reasonable prices. Centre should ensure that State Governments are implementing their directives in this regard.

Crores of rupees have accumulated in the Nationalised Banks. Nationalised Banks have distributed only 6 crores of rupees out of Rs. 300 crores to the agricultural sector and small sector. This non-circulation of money shall lead the economy of the country to stagnation. Moreover the rate of growth of industries is far from satisfactory. The character roll of an officer should be linked with performance of his duty.

Uttar Pradesh has one-sixth of population of the country. Eastern districts of U. P. are densely populated and much backward. In utter of the backwardness in the state of U. P. it seems that funds allotted to this State have not been properly utilised on the plans in the state. Thirtyseven districts have been declared as backward districts. But what is to be done for the development of these districts is not known. The problems of these backward districts can only be solved if adequate funds are allocated to each districts according to the population and their backwardness and they are fully utilised. Many services in Engineering, Medicine and Economics etc. have been declared as All India Services, but their status is not equivalent to that of I. A. S. Even the Pay Commission, which is dominated by I. A. S. personnel and bureaucrats does not want other services to have an equal status to that of I. A. S. The disparities in All India Services must be done away with. The agitation by U. P. Engineers was against the domination of I. A. S. Officers. The country can not progress through only Administrative services, but it can progress with the help of science and technology. Therefore, scientists and technologists should be given due respect.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस, शुष्क और निराशाजनक रहा। अभिभाषण तो सरकार द्वारा लिखा गया था और उन्हें तो केवल उसे पढ़ना ही था। सरकार के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था, अतः राष्ट्रपति भी अपने अभिभाषण में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कह सके।

सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्यों ने बड़े जोरदार भाषण दिए, परन्तु वे इस बात को भूल गये कि यह 1971 नहीं है, 1973 है। प्रधान मन्त्री के भव्य व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस पार्टी विराट बहुमत प्राप्त करने में सफल हो गई, जिससे इस सदन में ही नहीं, बल्कि सारे देश में एक असन्तुलन पैदा हो गया। लेकिन अब सरकार उप चुनावों का सामना करने से कतरा रही है और साबरकंठा एवं कच्छ-माण्डवी के उप चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण कमी की स्थिति बताई गई, लेकिन वास्तविक कमी थी सत्तारूढ़ दल में जीतने के विश्वास की। 1971 और 1972 के आम चुनावों के बाद सत्तारूढ़ पार्टी जनता से सम्पर्क खो चुकी है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में करोड़ों लोगों की महत्वाकांक्षाओं और आशंकाओं की प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है। इसमें आंध्र समस्या, बढ़ती हुई महंगाई, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा और विदेश नीति जैसे चुनौती-पूर्ण कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न इस बारे में कुछ स्पष्ट बात कही गई है।

इस समय साफ और कुशल प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार में उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद व्याप्त है। इस प्रशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

जब हम 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाते हैं, तो हमें इसकी अपने आपसे शुरूआत करनी

चाहिए। विभिन्न पार्टियों के भारतीय नेताओं और खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के रहन-सहन का स्तर क्या है ? बड़े-बड़े बंगले, आयातित विदेशी कारों में बैठकर वे लोगों को सादा जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। इसलिए प्रशासन में और विशेष रूप से उच्च स्तर पर प्रशासन में मित-व्ययिता बरतने की अत्यधिक आवश्यकता है।

अभी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में हुई फेरबदल के परिणामस्वरूप एक मन्त्री की नियुक्ति की गई है, परन्तु हम कैबिनट स्तर का वरिष्ठ मन्त्री गुजरात से चाहते हैं ; क्योंकि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में गुजरात की ओर से दबाव न पड़ सकने के कारण वहां की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

सूखे की गम्भीर समस्या का सामना करने के लिए इस समस्या के अनुरूप सहायता उपलब्ध नहीं की जा रही है। वहां अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। इस सन्दर्भ में मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वह नर्मदा विवाद के बारे में शीघ्र से शीघ्र अपने निर्णय की घोषणा करें। अगर नर्मदा परियोजना 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष पहले क्रियान्वित हुई होती, तो लागत भी कम आती और गुजरात सहित अन्य पड़ोसी राज्यों को भी भारी फायदा हुआ होता।

रेजीड्युअरी फ्यूल आयल की कमी के कारण गुजरात का बिजली संकट और अधिक गम्भीर होता जा रहा है। मुझे पता चला है कि 15 प्रतिशत की और कटौती की जा रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप 15,000 कपड़ा मजदूरों के समक्ष बेरोजगार होने की समस्या उपस्थित हो गई है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता ने भावनगर तारापुर रेल-मार्ग की चर्चा की। हम सौराष्ट्र में एटामिक रिएक्टर चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अहमदाबाद के हवाई अड्डे का विस्तार किया जाय। ये योजनायें राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी आवश्यक हैं। मैं प्रधान मन्त्री से अपील करूंगा कि वह इन समस्याओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करें।

सारे देश में कई विश्वविद्यालयों में पिछले वर्ष छात्र असन्तोष व्याप्त रहा, परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। नवयुवक बेरोजगार ही नहीं हैं, उनके अन्दर और श्रमिकों एवं किसानों के अन्दर निराशा की भावना व्याप्त है। अगर वे पूर्णतः निराश हो जाते हैं, तो वे संगठित होकर बहुत बड़ी क्रान्ति कर सकते हैं।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों की उपेक्षा की जाती रही है। जो सरकार की आलोचना करता है, उसे देशद्रोही की संज्ञा दे दी जाती है, जो अनुचित है। सरकार के आलोचक भी उतने ही राष्ट्रभक्त हैं जितने वे सरकार के समर्थक हैं।

प्रधान मन्त्री का यह कहना बड़ा आश्चर्यजनक है कि विरोधी पार्टियां उनके काम में रोड़ा अटकाती हैं। यह कथन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतना विराट बहुमत है और प्रचार के सभी साधन सरकार के नियन्त्रण में हैं। जो व्यक्ति सत्तारूढ़ है, उन्हें जनता के समक्ष उच्च आदर्शों और सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र की भावना और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : I am proud to say that the Honourable Persident's Address is a symbol of the historic, proud and pious traditions of my party. The Congress Party has always upheld the principles of democracy, secularism and socialism in national sphere and the principles of non-alignment, Co-existence and humanity in International

field. Some of the selfish and opportunist persons in our party, who did not believe in our policies had to leave the party. Jan Sangh Party has always raised the issues relating to Provincialism, religion, communalism, linguism and casteism etc. In the Mid-term elections in 1971, we had gone to the people with our polices and they had given us their mandate on these policies. The people have given us huge majority to implement those policies.

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

महाराष्ट्र में नई रेल परियोजनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : NEW RAILWAY PROJECTS IN MAHARASHTRA

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : श्रीमान् जी सूखा राहत के रूप में महाराष्ट्र में नई रेल परियोजनाओं के बारे में मैं एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य में कुछ रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए अभ्यावेदन भेजती रही है जिनसे सम्बन्धित मिट्टी का काम सूखा राहत कार्य के रूप में किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए जो परियोजनाएं विचाराधीन रही हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) वानी से चनाका तक नयी बड़ी लाइन जिसकी लागत 5.3 करोड़ रुपये और लम्बाई 76 कि० मी० होगी ।

(ख) मनमाड से पुरली बैंजनाथ तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना जिसकी लागत 28 करोड़ रु० और लम्बाई 354 कि० मी० होगी ।

(ग) मिरज-लातुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना जिसकी लागत 30 करोड़ रु० और लम्बाई 326 कि० मी० होगी ।

(घ) आप्टा से मंगलूरू तक कोंकण लाइन के भाग के रूप में आप्टा से दस गांव तक नयी बड़ी लाइन जिसकी कुल लागत, चल-स्टाक और निर्माण के दौरान ब्याज को मिलाकर 225 करोड़ रुपये और लम्बाई 910 कि० मी० होगी ।

2. दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ है । मैंने अपने बजट भाषण के पैरा 42 में अन्य लाइनों के साथ इन लाइनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है । मैं उद्धरण देता हूं :—

महत्वपूर्ण नये निर्माण

"42.....नयी लाइनों के निर्माण तथा आमान परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जिनके सम्बन्ध में इस समय सरकार जांच-पड़ताल कर रही है । इनमें कुछ काम ये हैं :—

(i) वानी-चनाका लाइन

(ii) मनमाड से पुर्ली बैंजनाथ—मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(iii) मिरज से लातूर—छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(iv) मेंगलूरु—आप्टा लाइन ।

(v) दिल्ली-अहमदाबाद—मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(vi) बरौनी-कटिहार—न्यूबोंगाईगांव और गुवाहटी—मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(vii) गुन्टूर-मचेर्ला—बड़ी लाइन में बदलाव और नदीकुड-बीबीनगर के बीच बड़े आमान की एक नयी लाइन का निर्माण ।

नयी लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन और पुनः स्थापन के कुछ और भी प्रस्ताव हैं जिनके सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है । आशा है, साधन होने पर, इनमें से कुछ काम यथासमय प्रारम्भ किये जायेंगे ।

इन कामों के लिए 1973-74 में बजट में कोई राशि नहीं रखी गयी है । इन कामों के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर सम्बन्धित अनुदानों के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा इन्हें शुरू करने के लिए मैं आपकी अनुमति मांगता हूं ।

इन कार्यों के निष्पादन के लिए वर्ष में जितनी राशि आवश्यक होगी, उसकी मंजूरी लेने के लिए मैं फिर सदन में उपस्थित होऊंगा ।

3. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि समुचित रूप से विचार करने के बाद और महाराष्ट्र ने अभाव की विषम स्थिति को देखते हुए सरकार ने वानी से चनाका तक बड़ी लाइन के निर्माण और मनमाड से पुरली बैजनाथ तक की मीटर लाइन के आमान परिवर्तन की मंजूरी दे दी है । इन दोनों परियोजनाओं पर मिट्टी सम्बन्धी काम तत्काल शुरू कर दिया जायेगा । जहां तक महाराष्ट्र की अन्य दो परियोजनाओं का सम्बन्ध है उन पर साधनों की उपलब्धता, पांचवीं योजना में सम्भावित यातायात की ढुलाई सम्बन्धी आवश्यकताओं और विकास सम्बन्धी ऐसे निर्माण कार्यों की पारस्परिक अग्रता के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

आप्टा से दसगांव तक के खण्ड का सर्वेक्षण किया जा चुका है । यह कोंकण पुरली लाइन का एक भाग है । इस खण्ड पर मिट्टी सम्बन्धी काम तत्काल शुरू कर दिया जायेगा । साथ ही साथ बाकी के खण्डों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा ।

सूखा सहायता के रूप में मिरज-लातूर रोड पर भी मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू किया जायेगा ।

राजस्थान, गुजरात और मैसूर जैसे कुछ अन्य राज्य भी सूखा-ग्रस्त हैं और उन राज्यों में इसी प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 27 फरवरी, 1973/8 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 27th February, 1973/8 Phalguna, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—16-4-73—490